खण्ड-314, अंक-10
सोमवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1897
(31 मार्च, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 314 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 31 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--341

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील श्री एडवोकेट, (उर्फ जिमी मिया)
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर' ,श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूलसिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री

छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दवीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री

नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल वधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री

भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन,श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, श्री एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री

रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजवती देवी, श्रीमती
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री

राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—लघु उद्योग मंत्री, श्री इस्तफा हुसैन एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री शिव प्रसाद सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 31 मार्च, 1975

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रीजनल फूड कन्ट्रोलर, जिला गोंडा के गोदाम में रखा हुआ मक्का और ज्वार

**1—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा), श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा); श्री रामपति (जिला गोंडा) तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि गोंडा जिले में 20 हजार क्विन्टल मक्का तथा ज्वार आर0 एफ0 सी0 के गोदाम में गत 2 सालों से पड़ा सड़ रहा है? यदि हां, तो क्यों तथा इस मोटे अनाज के बिकवाने की व्यवस्था सरकार द्वारा न किये जाने के क्या कारण हैं?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई)—

जी नहीं।

(होली की शुभ कामनाओं के उपरान्त)

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या माननीया मंत्री जी यह बताने की कृपा करगी कि दो साल से गोंडा जिले के स्टाक में 20 हजार कुंटल मक्का तथा ज्वार पड़ा हुआ है और सड़ रहा है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

दिनांक 9-4-73 को गोंडा के स्टाक में जो स्थिति थी, उसमें मक्का और ज्वार को लेकर वह टोटल जो पड़ता है, वह है 9 हजार, 772 कुन्टल। आपने जो कहा 20 हजार कुंटल है, ऐसी सूचना नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय मंत्री जी को मैं यह निश्चित जानकारी देता हूं कि गोंडा के गोदाम में 20 हजार कुंटल अनाज 2 वर्ष के अर्से से रखा हुआ है, जिसके संबंध में मैंने जिलाधिकारियों से और माननीय मंत्री जी से भी कहा। मान्यवर, वह अनाज दो वर्ष से रखा हुआ है और बांटा नहीं जा रहा है, गोदाम में पड़ा है, सड़ रहा है। मान्यवर, जिले में ओला पड़ गया, उससे क्षति हुई है, अगर मोटा अनाज पड़ा हुआ है, तो क्या सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान से उसको बंटवाने की कृपा करेंगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, जहां पर भी आवश्यकता पड़ती है, वहां हम भेजते हैं और इसीलिये गोदाम में रखा भी जाता है। तो जैसी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार इन मोटे अनाजों का वितरण किया जायगा।

श्री दशरथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगी कि दो वर्ष पूर्व गोंडा स्टाक में कितना मक्का मौजूद था?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, प्रश्न तो दो वर्ष का किया गया था उसके पूर्व की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया कि 9–4–73 से आज तक 9 हजार, 772 कुंटल ही गल्ला गोंडा के गोदाम में पड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि गल्ला खराब हुआ होगा। जैसाकि प्रदेश में गल्ले का हाहाकार मचा हुआ है, आज तक उस गल्ले को सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से बंटवाया गया? क्यों वह पड़ा हुआ है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने आर0एफ0 सी0 के द्वारा जानकारी किया, उन्होंने पूरी तरह से निरीक्षण किया और बताया कि कोई भी गल्ला खराब नहीं हो रहा है, कोई अनाज सड़ नहीं रहा है। जहां पर आवश्यकता होती है, अनाज बंटवाया जाता है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, यह जो आंकड़े 9–4–73 तक दिये हैं, मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज सन् 75 हो रहा है, उस गोदाम में आज तक कितना गल्ला रखा हुआ है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, 9–4–73 की स्थिति मैंने बतायी। इसमें 400 कुंटल मक्का बिलकुल ताजी इसी वर्ष की खरीद का है 300 कुंटल ज्वार इसमें मिला कर कुल वर्षों का है। यह बाढ़ और सूखा की आवश्यकता के लिये है, और समय–समय पर वितरण किया जाता है।

बरेली जिले मे आंवला कस्बा से आंवला स्टेशन मार्ग के निर्माण की मांग

**2—श्री श्याम बिहारी सिंह (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंवला, जिला बरेली में एक सड़क निर्माण की मांग को लेकर आंवला, जिला बरेली के प्रश्नकर्ता विधायक सहित जनता में 15/16 मार्च, 1975 को आंवला में भूख हड़ताल रखी तथा अभी भी क्रमिक अनशन जारी है? यदि हां, तो अनशनकारियों की मांगें क्या हैं तथा उनको पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)—

जी हां। जिला बरेली में आंवला कस्बा से आंवला स्टेशन 2 कि0 मी0 मार्ग के निर्माण की मांग की गयी है। यह मार्ग जिला परिषद् का है। इस मार्ग के निर्माण कार्य को विभाग की किसी स्वीकृत योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने पर ही यह कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न।]

फर्रुखाबाद जिले के लिये आबंटित साफ्ट कोक का दुरुपयोग

*1—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री को यह जानकारी है कि फरवरी, 1975 में फर्रुखाबाद के लिये एक रैक साफ्ट कोक जिसमें 35 बाक्स कोयला (प्रति बाक्स में लगभग 52 टन कोयला था) लाया जा रहा था परन्तु फर्रुखाबाद तक यह कोयला नहीं आया और कानपुर में ही ब्लैक में बेच लिया गया? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और सम्बन्धित व्यक्ति कौन हैं तथा सरकार इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

फर्रुखाबाद जनपद के लिये एक रेक साफ्ट कोक का आवंटन 29-1-75 को हुआ था और यह रेक फरवरी, 1975 में जूही (कानपुर) पहुंची। जूही बाक्स फिट स्टेशन है और फर्रुखाबाद जनपद की रैकें जूही ही भेजी जाती हैं। यह सही नहीं है कि यह सब कोयला कानपुर में ही ब्लैक में बेच दिया गया। जिला पूर्ति अधिकारी, फर्रुखाबाद ने इस कोयले का आवंटन 38 कार्यरत कोल डिपो होल्डरों को किया और चार को छोड़ कर सभी कोल डिपो होल्डर अपना-अपना कोयला जूही (कानपुर) से ट्रक द्वारा फर्रुखाबाद ले गये। जो चार डिपो होल्डर अपना कोयला फर्रुखाबाद नहीं लाये उनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :--

1--मे0 रविनाथ एण्ड कंपनी--यह चार ट्रकों में से तीन ट्रक कोयला फर्रुखाबाद नहीं लाये। इनका लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया है और अभियोग पुलिस के सुपुर्द किया जा रहा है।

2--मे0 गुप्ता कोल डिपो-- यह अपना पूरा आठ ट्रक कोयला नहीं लाये। इनका लाइसेन्स निलम्बित कर दिया गया है और कारण बताओ नोटिस दी गई है। इस नोटिस की अवधि के समाप्त होने के उपरान्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।

3--मे0 आलोक कोल डिपो--यह चार में से तीन ट्रक कोयला नहीं लाये। इनका लाइसेन्स निलम्बित कर दिया गया है और कारण बताओ नोटिस दी गई है। इस नोटिस की अवधि के समाप्त होने के उपरान्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।

4--मे0 जय श्रीदेवी अब्दुल वसीर--वह चार में से दो ट्रक कोयला नही लाये इनका लाइसेन्स भी निलम्बित कर दिया गया है और कारण बताओ नोटिस दी गई है। इस नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरान्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीया खाद्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आरोप सही है, कि सारी रैक्स का कोयला कानपुर में ही ब्लैक में बेच दिया गया? और क्या कानपुर में इस बात की कागजों वगैरह से जांच हुई कि ये ही 4 लोग हैं, जो कानपुर में कोयला बेंच कर आये हैं, और शेष निर्दोष हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जब कानपर से कोयला, डिपो होल्डर्स के फर्रुखाबाद न ले जाने के बारे में जिला-पूर्ति अधिकारी के यहां पर मौखिक शिकायत आई और यह कहा गया कि उस कोयले को कानपुर में ही बेचा गया तो इसके फलस्वरूप निरीक्षकों द्वारा जांच कराई गई। उनकी जांच के फल-स्वरूप मालूम हुआ कि ये 4 कोल डिपो होल्डर्स ही है जो नहीं ले गये, शेष ले गये हैं। इसी के आधार पर उनके विरुद्ध यह कार्यवाही की गई है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

मैं माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी में यह है कि 27-3-75 को फर्रुखाबाद के डी0एस0 ओ0ने एक स्टेटमेंट दिया था कि:--

"The District Supply Officer, Mr. R. D. Saxena, told this correspondent that soft coke for this district was received at the Kanpur Station in 21 box wagons and 22 four wheelers, but one box wagon and one four wheeler were actually missing from the rakey"

उनके इस बयान से स्पष्ट है कि एक बाक्स वैगन और एक 4 ह्वीलर वास्तव में, रेक से कानपुर में ही मिसिंग थे। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो बयान दिया गया है, वह सत्य है ? यदि हां, तो इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जो भी कोयला फर्रुखाबाद के लिये आता है वह जूही में उतारा जाता है और वहां से फर्रुखाबाद ले जाया जाता है। जब 48 घंटे के बाद देरी होती है तो डैमरेज आरम्भ हो जाता है। डी0एस0ओ0, कानपुर की नोटिस में है कि इस तरह कुछ लोगों ने यह कोयला दिया, बाकी तो फर्रुखाबाद गया, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, इसकी और भी जांच कराई जा सकती है। जो सूचना डी0एस0ओ0 के पास आई उसके आधार पर इन 4 आदमियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। लेकिन इसमें अगर कुछ और भी तहकीकात की आवश्यकता लगती है और माननीय सदस्य आवश्यकता समझते हैं तो इसकी फिर से जांच उच्च अधिकारियों से करा करके इस पर और भी फर्दर कार्यवाही सरकार करेगी।

श्री विमल प्रसाद तिवारी —

माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस कोल की प्राइस क्या 26 रुपये 22 पैसे फर्रुखाबाद आने पर थी और ब्लैक प्राइस 38 रुपये कानपुर में है और इसमें लाखों रुपये का घोटाला है ? साथ ही पूर्ति निरीक्षकों की जांच के आधार पर यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फौरन शिकायत पाते ही अड़तीसों कोल-डिपो होल्डरों के स्टाक रजिस्टर पूर्ति निरीक्षकों ने सील कर दिये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ट्रक की और चुंगी की रसीदें फर्रुखाबाद लाने की पूर्ति निरीक्षकों ने अपने कब्जे में ले लीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इतने डिटेल में चीजें हमारे पास नहीं हैं। जो रिपोर्ट आयी है उसमें श्री शक्तिलाल गुप्ता, मालिक गुप्ता कोल डिपो का कोयला जो 1-7-74 से आया और ट्रक पर जो और कुछ लाया गया है उसकी काफी जांच तो की गयी है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं उसके आधार पर जैसा मैंने कहा इसकी पुनः जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों से करा लेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

यह जो 4 व्यक्तियों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं, क्या माननीया मंत्री जी इन व्यक्तियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करने पर भी विचार कर रही हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने जवाब देते हुए कहा है कि यह बिलकुल हाल की घटना है, इसी साल फरवरी की है और इसकी अवधि समाप्त होने के बाद जोकि नोटिस दी गयी है, विधिक कार्यवाही की जायगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह साढ़े अठारह सौ टन कोयले का लाखों रुपये का घोटाला है, यह देखते हुए मंत्री जी सप्लाई विभाग से जांच न करा करके सतर्कता आयोग के द्वारा जांच करायेंगी क्योंकि यह निश्चित है कि यह सारा माल कानपुर में ही बिक गया और चुंगी बचा ली गयी और किराया बचा लिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देती हूं कि इसकी पूरी जांच होगी और सतर्कता विभाग या जिस भी प्रकार से आवश्यक होगा जांच करायी जायगी, क्योंकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को मैं दबाकर रखना नहीं चाहती।

[31 मार्च, 1975 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उन्नाव व कानपुर की फर्जी औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण का निरसन और उक्त इकाइयों को आयात लाइसेंस का न दिया जाना

*1--श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव व कानपुर की कितनी फर्जी फर्मों का पंजीकरण दिसम्बर, 74 तक (वर्ष 1974-75 में) रद्द किया गया? रद्द की गयी फर्मों के मालिक कौन थे और इनके फर्जी होने में किन्हीं अधिकारियों का हाथ पाया गया? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

लघु उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)--

उन्नाव जिले की 24 व कानपुर जिले की 1415 अकार्यरत लघु औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण दिसम्बर, 1974 तक (वर्ष 1974-75) रद्द किया गया। उन्नाव जिले की रद्दी की गयी इकाइयों के मालिकान की सूची संलग्न है। कानपुर जिले की सम्बन्धित इकाइयों के बारे में सूचना संकलित की जा रही है। अकार्यरत इकाइयों की सहायता करने में दोषी अधिकारियों के सम्बन्ध में जांच करने एवं उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1193-1194 पर।)

*2--श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव व कानपुर की वर्ष 1974-75 में फर्जी घोषित फर्मों को पिछले दो वर्षों में किन सामानों का कितने मूल्य का आयात करने का लाइसेंस दिया गया और इन फर्जी फर्मों को पिछले दो वर्ष में (वर्षों 1972 से 74 तक) कितनी आर्थिक सहायता दी गयी?

श्री इस्तफा हुसैन--

उन्नाव जिले की अकार्यरत पायी गयी इकाइयों में से किसी को भी पिछले दो वर्षों में आयात लाइसेंस प्राप्त करने की उद्योग विभाग द्वारा न तो कोई संस्तुति की गयी और न किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी गयी। कानपुर जिले की सम्बन्धित इकाइयों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जो कुछ भी अब तक हुआ उसमें सरकार को जितना कठोर कदम उठाना चाहिए वह नहीं उठाया, इससे स्पष्ट है कि इसकी ही संरक्षण में ऐसा हुआ है। लेकिन जो इकाइयां फरजी उद्योगों की थीं उनके लाइसेंस निरस्त कर दिये गये लेकिन जो कच्चे माल या और सामानों को लाकर दुरुपयोग किया, जो ब्लैक में बेचा, उस अपराध के संबंध में आपने किसके विरुद्ध कौन कटोर कदम उठाया है?

(2) जो ये फरजी इकाइयां चलीं वह बिना अधिकारियों के सहयोग के नहीं चलायी गयी होंगी। उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश क्या आपने दिये हैं? और इस कार्यकाल में किस-किस अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर, सारी इकाइयां जो कि अकार्यरत हों उनको फरजी या बोगस नहीं कहा जा सकता। लेकिन वही अकार्यरत इकाइयां बोगस या फरजी कही जा सकती हैं, जिन्होंने कच्चा माल लिया है और उनका दुरुपयोग किया है या गलत तरीके से और कार्य किये हों।

जहां तक कि कार्यवाही का ताल्लुक है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि करीब 14 मामलात में सी0 आई0 डी0 के द्वारा जांच करायी गयी है और अन्तिम रिपोर्ट नहीं आयी है। ज्योंही रिपोर्ट आयेगी विशेष कार्यवाही की जायगी। इनके अलावा जो और इकाइयां रह जाती हैं, उनके मामले में पूरी जांच करने के वास्ते आदेश दिये जा चुके हैं, जोनल अधिकारियों को उनके जोन के अन्तर्गत जो इकाइयां हों उनकी पूरे तरीके से जांच करें और पता लगायें कि किन अधिकारी या कर्मचारियों की सहायता से यह गलत काम हुआ ।

श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जितनी फर्में हैं, उनको उत्तरप्रदेश वित्त निगम और लघु उद्योग निगम से कितनी धनराशि दी गयी कर्ज के रूप में, इसकी उनको जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो व्यापक हो गया ।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो बताया गया कि सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट नहीं आयी तो मेरी जानकारी में तो उद्योग निदेशालय सी0 आई0 डी0 की जांच में सहयोग नहीं दे रहा है क्योंकि वहां के बहुत से अधिकारी और कर्मचारी इसमें फंसे हुए हैं। क्योंकि बिना उद्योगों के रजिस्ट्रेशन के इकाइयां स्थापित नहीं हो सकतीं। तो मंत्री जी क्या आश्वासन देंगे कि सी0 आई0 डी0 को पूरी-पूरी सहायता सरकार इस जांच के मामले में देगी ?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में यही कहा था कि सी0 आई0 डी0 की अन्तिम रिपोर्ट नहीं आयी। जो अंतरिम रिपोर्ट आयी है उसके आधार पर क्या कार्यवाही होगी, अभी बताना उचित नहीं होगा, सदन में ।

श्री ऊदल--

वाह, सवाल दीगर जवाब दीगर ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जानकारी मंत्री जी को सब कुछ है, मैं समझता हूं अपने अधिकारियों को बचाने के सारे प्रयत्न कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि 14 इकाइयों की सी0 आई0 डी0 के द्वारा जांच करायी जा रही है, क्या कारण है कि बाकी इकाइयों की उन्हीं अधिकारियों के द्वारा जांच करायी जा रही है जिन पर जनता का आरोप है ? क्या सभी मामलों की उच्च अधिकारियों से जांच करायेंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन--

जब इस बात की आवश्यकता हमें पड़ेगी कि हम सी0 आई0 डी0 के द्वारा जांच करायें तो उसके द्वारा करायेंगे। अभी तो हम अपने विभागीय उच्च अधिकारियों के द्वारा करा रहे हैं ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)--

मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उन्नाव में सूत इत्यादि की इकाइयों की कौन-कौन सी यूनिटें आयी हैं और क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

जहांतक उन्नाव का सम्बन्ध है, मैंने अपने उत्तर की संलग्न सूची प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को दे दी है, अगर आप चाहें तो.....

श्री अध्यक्ष--

यह सूची इसमें लगी हुई है ।

श्री इस्तफा हुसैन--

जी हां, ऐसी 24 इकाइयां हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

यह सरकार लघु उद्योगों का बड़ा विकास कर रही है, लेकिन इस सवाल के जवाब से तो ऐसा लगता है कि प्लस, माइनस, दोनों बराबर हो गये । इससे यह जाहिर होता है कि आपके विभागीय अधिकारी या तो लघु उद्योगों को बन्द करवाने में तत्पर हैं, क्योंकि केवल एक जिले में एक हजार से ऊपर यूनिटें बन्द हो गयीं, जाली पकड़ी गयीं, तो क्या माननीय मंत्री जी उन अधिकारियों के विरुद्ध, जिन्होंने यह रजिस्ट्रेशन करवाये थे, जांच बिठा कर उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन--

उन्नाव के बारे में हों या कानपुर के बारे में हों, सभी के बारे में हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे, आप थोड़ा सब्र कीजिये ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

मैंने मंत्री जी से बड़ा स्पष्ट प्रश्न किया है । मैंने स्पष्ट पूछा है कि सूत और कोयले की कौन-कौन सी फर्जी यूनिटें हैं, सरकार की जानकारी में कौन-कौन सी आयी है, और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं की गयी है, तो क्यों नहीं की गयी ?

श्री इस्तफा हुसैन--

उन्नाव जिले में जिन 24 इकाइयों के बारे में कार्यवाही की गयी है उनके नाम यह हैं : मेसर्स सैनी फाउन्ड्री ऐण्ड मेटल वर्क्स, सहजनी, मेसर्स ज्योति केमिकल्स, शुक्लागंज, उन्नाव, मेसर्स विजय ट्रेडर्स, शुक्लागंज. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

यह पूरी सूची है । वह पूरी सूची नहीं चाहते हैं । वह कोयला और सूत के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी हमारे किसी प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं मैंने स्पष्ट पूछा था कि आइडियल ग्लास फैक्टरी जो कि बन्द है, उसको जितना कोटा हमारे डायरेक्टर ने मन्जूर किया उससे अधिक कोयला दिया जा रहा है, तो वह कोयला कहां जा रहा है, जबकि वह फैक्ट्री बन्द पड़ी हुई है । दूसरे उन्नाव कोल डम्ब को पूरा कोयला दिया जाता है और वह ब्लैक में कर दिया जाता है । तो सरकार ने आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री इस्तफा हुसैन--

जिन इकाइयों के बारे में अभी माननीय सदस्य ने बताया कि वे काम नहीं कर रही हैं और उनको कोटा दिया जा रहा है, उनके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करके आवश्यक कार्यवाही करूंगा । कोटा बन्द करने या जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह मैं करूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इस प्रकार का गलत कोटा देने की, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही मंत्री जी करेंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन—

मैंने तो निवेदन किया है कि कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जायेगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

जब वह अधिकारी रिटायर हो जायेंगे या परमात्मा को प्यारे हो जायेंगे, क्या तब कार्यवाही होगी ? विभाग में आम तौर से यह देखा गया है कि रिटायर लोग हो जाते हैं, कार्यवाही होती नहीं है। ऐसे बहुत से केसेज मेरी जानकारी में हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी सर्वे कराकर सरकार को रिपोर्ट दी है कि कौन-कौन सी कम्पनियां बेईमानी से कच्चामाल ले रही हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

जिन्होंने कच्चा माल लिया उनके खिलाफ तथा जिन अधिकारियों की संस्तुति से वह दिया गया उन सभी के खिलाफ मैं कार्यवाही अवश्य करूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जो भी फर्जी फर्म्स हैं, जिनको कच्चा माल दिया गया, तथा उसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं इस बात का पता सरकार को कब लगा ?

श्री इस्तफा हुसैन—

इकाइयों का पंजीकरण 1960 से हुआ। 1973–74 में उत्तर प्रदेश में इनकी गणना का काम शुरू हुआ। जून, 1974 में यह कार्य जब पूरा हुआ तब इसका पता चला।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कोई अधिकारी दोषी है या नहीं ? है तो कौन–कौन ?

श्री इस्तफा हुसैन—

इसका पता हमें 1974 में लगा.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई ?

श्री इस्तफा हुसैन—

एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे जो भी दोषी हैं। जल्दी कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एडिशनल डाइरेक्टर, श्री रजत कुमार अग्रवाल जब चेकिंग में गये थे तो उसी दिन उन्हें चेकिंग के बाद चाकू मारा गया और चेकिंग करने के बाद जब उन्होंने बतलाया और इसकी उन्हें सूचना मिली तो इस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की ? पहले की बात तो छोड़ दीजिये, इसका गोलमोल जवाब मत दीजिये और सदन को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिये।

श्री इस्तफा हुसैन—

अभी श्री रजत कुमार अग्रवाल का नाम जो प्रश्नकर्ता ने लिया, उनके मामले को लेकर के सी० आई० डी० द्वारा जांच करायी गयी है। सी० आई० डी० की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गयी है, अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आयी है। शेष रिपोर्ट जब आ जायेगी तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या सरकार का ध्यान अखबारों में छपी इस खबर की ओर गया है कि इन फर्मों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, इसी कारण ये अपने लाइसेन्स के आधार पर बराबर कच्चा माल लेती थीं और उनको ब्लैक में बेंचती थीं और उनका दुरुपयोग करती थीं ? अगर हां, तो सरकार ने उन फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री इस्तफा हुसैन---

यह बात कतई गलत है कि जिन फर्मों पर किसी राजनीतिक संस्था का बरदहस्त था उन्हीं को कच्चा माल दिया गया ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि जो कुछ भी कच्चा माल आप किसी फर्म को उसके अनुबन्ध पत्र के अनुसार देते हैं तो उस फर्म से उत्पादन और कच्चे माल की कोई प्रगति रिपोर्ट आती है या नहीं विभाग को ? यदि नहीं आती है, तो क्यों ? और यदि आयी तो क्या उस पर विचार किया गया कि कितने माल का उत्पादन हुआ और कितना कच्चा माल दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष---

यह अलग प्रश्न है । आप व्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उनको इसका पता तब लगा जब केन्द्र सरकार द्वारा जांच पड़ताल की शिकायत अखबारों में आयी, तो आप इस पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का अवसर दे दें, तो अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष---

अभी समय की आवश्यकता पड़ेगी । माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि अभी सी0 आई0 डी0 की जानकारी पूरी नहीं हुई है । ..... (व्यवधान) ... इसमें उन्नाव की सूचना तो है, लेकिन अभी कानपुर की सूचना नहीं आयी है । तो अब मैं आगे चलता हूं ।

*3---श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री मोहन लाल कपूर---

[सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के अन्तर्गत आवंटित सीमेन्ट का वितरण

*4---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) तथा श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)---

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि 1 अक्टूबर, 74 से 20 जनवरी, 75 तक महराजगंज तहसील, जिला गोरखपुर के लिये कितनी बोरियां सीमेन्ट की एलाट की गयीं और इसका वितरण किस आधार पर किया गया और उसका विवरण क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

1 अक्टूबर, 74 से 20 जनवरी, 75 तक गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील को 13,173 बोरी सीमेन्ट का आवन्टन किया गया तथा इसका वितरण प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर आवश्यक जांच के पश्चात् किया गया जिसका विवरण सलग्न है ।

---

†छापा नहीं गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 888 लोगों को वितरण हुआ है तो उसका आधार क्या है ? यह तो लिखा है कि जांच के बाद वितरण किया गया। लेकिन वितरण का आधार क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, कुछ मरम्मत के लिये और कुछ बनाने के लिये सीमेन्ट दी जाती है। आदेश था कि 5 बोरी मरम्मत के लिये साधारण लोगों को दी जाय जिससे उनको परेशानी न हो। क्योंकि देर लगने से लोग परेशानी में पड़ते हैं। आधार तो जो लोग प्रार्थना पत्र देते हैं उनकी जांच होती है, और फिर तहसीलदार देते हैं। ग्रामीण स्तर पर जो प्रतिनिधि होते हैं, वह संस्तुति करते हैं, उसके बाद जांच होती है और फिर तहसीलदार लोगों को सीमेन्ट देते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अध्यक्ष जी, मकान निर्माण के आधार पर इस सूची में कुछ लोगों को 50 बोरी और कुछ को 2 बोरी दी गयी है। इसी तरह इस सूची में एक-एक आदमी को 4-4 बार सीमेन्ट दिया गया है। सिसुवा बाजार लक्ष्मीपुर एकडंगा और महराजगंज में आधे लोगों को दी गयी है। इसलिये इसमें अनियमितता बरती गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि अक्टूबर से जबतक सीमेन्ट वितरण की लिस्ट है, इस बीच में तहसीलदारों के पास कितनी दरख्वास्तें संस्तुति होकर आयी हैं ? उसकी सूची क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

यह विस्तृत प्रश्न है। क्या खाद्य मंत्री जी के पास इसकी सूचना है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि उस तहसीलदार ने 5 रुपये प्रति बोरी ब्लैक में सीमेन्ट बेचा है। कोई सूची तहसील में नहीं है। एक दरख्वास्त का बंडल लाये और 5 रु0 ब्लैक में दे दिया। उस तहसीलदार ने इस तरह 50 हजार रु0 कमाया है। क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर उसको मुअत्तल कराने के आदेश देंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, जितने प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं उसमें लेखपाल, कानूनगो, प्रधान, चेयरमैन और ब्लाक प्रमुख आदि की संस्तुति होती है। और उसके बाद में तहसीलदार सीमेन्ट देते हैं। यह सारे लोग जो रिकमेन्ड करते हैं, उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, जिस तरफ माननीय सदस्य इशारा कर रहे हैं। लेकिन जितने प्रतिनिधि हैं जैसे गांव प्रधान, टाउन एरिया का चेयरमैन और ब्लाक प्रमुख तो इनसे जब संस्तुति जाती हैं तो, उनको तहसीलदार देता है। सूचना यह है कि जितनी भी दरख्वास्तें लोगों से आयीं उनको सीमेन्ट देने की कोशिश की गयी है।

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये तो प्रश्नगत अवधि में जिले में कुल 15,574 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से महराजगंज तहसील में प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या 890 है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मंत्री जी की यह सूचना भ्रामक है। उस तहसील में 890 सीमेन्ट के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये तो इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है 4-5 महीने में। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ब्लाक प्रमुख, प्रधान और एम0 एल0 ए0 जो रिकमन्डेशन करते हैं, क्या उन प्रार्थना-पत्रों को क्रम-वाइज किसी रजिस्टर पर अंकित किया जाता है और क्या वह तहसीलदार के पास कोई रजिस्टर है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, जब हमारे पास उन्होंने एक विस्तृत सूची भेजी है, जो वह किसी रजिस्टर से ही देखकर भेजी होगी।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत सीमेन्ट जो आपने फ्री कर दिया है, तो देखने में यह आ रहा है कि आपके यह जो आदेश हैं कि 15 दिन में अगर कोई सीमेन्ट-स्टाकिस्ट सप्लाई आफिस से परमिट नहीं पाते हैं तो उन्हें वह सीमेंट बेचने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और इस आदेश के तहत सीमेन्ट के स्टाकिस्ट बहुत लाभ ले रहे हैं क्योंकि वह सप्लाई आफिस से मिल जाते हैं, और परमिट देने में और सूचना तय करने में 15 दिन से अधिक का समय लगा देते हैं, तो मैं यह स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हू कि क्या इस आदेश को वापिस ले लेंगे और 50 प्रतिशत का जो कोटा परमिट से देने का है, उसे परमिट से ही दिलवायेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं सीमेंट की पालिसी के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं। अभी सरकार ने जो 50 प्रतिशत की छूट दी है उसका नतीजा यह हो रहा है कि मनमाने ढंग से स्टाकिस्ट उसकी बिक्री कर रहे हैं और वह यह कह देते हैं कि सीमेंट उनके पास नहीं है। तो क्या सरकार अपनी इस पालिसी को बदलेगी और इस 50 प्रतिशत के बंटवाने का अधिकार बी0 डी0 ओ0 को प्रदान करने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, इस पर हम पुनर्विचार कर लेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर यह जो सूची है, वह उन लोगों की है जिनको सीमेंट मिल चुकी है जैसे 27 तारीख में कहा गया है कि 5 लोगों को सीमेंट दिया गया है मैं यह जानना चाहता हूं कि 27 तारीख में और भी कोई दरख्वास्त प्राप्त हुई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, मुझे यह बताया गया है कि जो भी दरख्वास्तें आईं जो सीमेंट अवेलेबिल थी उसके अनुसार सीमेंट भेजने की कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल जाय।

गोरखपुर जिले के ईंट के भट्टे के मालिकों द्वारा बिक्री कर तथा आयकर की चोरी

*5--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बतायेंगे कि उन्हें जिला सोशलिस्ट पार्टी गोरखपुर के मंत्री का एक शिकायती पत्र 25-1-75 का इस आशय का प्राप्त हुआ है कि जिले में भट्ठे के मालिक बिना रसीद के मनमाने दर पर ईंटें बेचते हैं और बिक्री तथा आय कर की चोरी करते हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां।

ईंट का निर्माण दो प्रकार के कोयले से किया जाता है। रेल द्वारा आयातित कोयला से तथा ट्रक द्वारा आयातित कोयला से। रेल द्वारा आयातित कोयला से पकी ईंटों का मूल्य

उत्तर प्रदेश ईंट नियंत्रण आदेश, 1971 के अन्तर्गत गोरखपुर जनपद में निर्धारित किया गया है जिसका प्रदर्शन प्रत्येक भट्ठा मलिक द्वारा अपने भट्ठे पर किया जा रहा है।

ट्रक द्वारा आयातित कोयले से पकी ईंटों के मूल्य पर शासन ने 30 नवम्बर, 1973 से नियंत्रण हटा लिया है। मंत्री, जिला सोशलिस्ट पार्टी, गोरखपुर से एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी, गोरखपुर को भी प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने भट्ठे-मालिकों द्वारा मनमाने दाम पर ईंट बेचने की शिकायत की थी। इस सम्बन्ध में निर्माता-संघ गोरखपुर को पत्र लिखे गये हैं कि वे ट्रक द्वारा आयातित कोयले से पकी ईंटों का मूल्य भट्ठे के सम्मुख प्रदर्शित कराने की व्यवस्था करा दें तथा खरीदारों को उचित कैश-मेमो भी दिये जायें। बिक्री-कर तथा आय-कर अधिकारियों को भी इस संबंध में पत्र लिखे गये हैं कि उक्त करों की चोरी करते हुये यदि कोई ईंट निर्माता पाया जाय तो उस पर उचित कार्यवाही की जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके सम्बन्ध में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह यह बतायेंगी कि उन्होंने यह जो आदेश दिये हैं, कि भट्ठा मालिक सूची लगायें और रेट फिक्स करें, तो क्या उन्होंने इस बात की जांच कराई है कि आया भट्ठे वाले इस प्रकार की सूची रखते हैं? क्योंकि मुझे इस बात की सूचना है कि वह कोई सूची नहीं रखते हैं, और मनमाने तरीके से ईंटें बेचते हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

रेल के द्वारा जो कोयला आता है उस पर हमारा नियंत्रण है लेकिन सड़क द्वारा जो कोयला आता है, उससे बनी ईंटों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वह छूट इसलिये भट्ठों वालों को दी हुई है, चूंकि उत्तर प्रदेश में कोयले की बड़ी कमी थी, रेक्स मिलते नहीं थे, भट्टे बन्द थे, लिहाजा भट्टे चल सकें इसके लिये यह रियायत दी गयी कि जो लोग रोड द्वारा कोयला लायेंगे तो जो खर्चा उनका ईंटें बनाने पर पड़ेगा उस पर वह उनको बेच सकेंगे। लिहाजा उन ईंटों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि भट्टे वाले किसी प्रकार की सूची नहीं रखते कि कितना कोयला रेल के जरिये आया और उसकी ईंटें बनीं और रोड के जरिये से आये कोयले की कितनी ईंटें बनीं और परिणाम स्वरूप वे आयकर तथा बिक्रीकर में बड़ा घुटाला करते हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

अभी तो जहां तक बिक्री कर का सम्बन्ध है यह आदेश दे दिये गये हैं कि हर एक को कैश मेमो कटना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो सरकार इसकी इंक्वायरी करा लेगी।

मुरादाबाद जिले की कुन्दन शुगर फैक्टरी द्वारा खरीदी गयी टरबाइन की स्थापना

*6---**श्री मुहम्मद हयात** (जिला मुरादाबाद)---

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि कुन्दन शुगर फैक्टरी, अमरोहा, मुरादाबाद में एक टरबाइन मशीन कई लाख रुपये की खरीदी गयी थी और वह 10 दिसम्बर, 74 को फैक्टरी में आ भी गयी थी परन्तु काफी दिनों तक टरबाइन चल नहीं पाई? यदि हां, तो क्यों?

वित मंत्री (श्री नारायग दत्त तिवारी)--

जी हां। कुन्दन शुगर मिल द्वारा एक टरबोआलटर मेटर दिसम्बर, 1974 के द्वितीय सप्ताह में प्राप्त की गई। नींव में बोल्टस की ग्राउटिंग (Grouting of bolts) तब तक ठीक ढंग से नही हो पायी थी। अतः ठीक प्रकार से बोल्ट्स की ग्राउटिंग कराकर उक्त टरबाइन 8 फरवरी, 1975 से चालू करा दी गई।

श्री मुहम्मद हयात--

क्या सरकार बतायेगी कि बोल्ट्स की सेटिंग में कितना समय लगता है और बोल्ट्स की ग्राउटिंग ठीक नहीं हो पाई थी तो सरकार की ओर से क्या किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जहां तक बोल्ट्स की ग्राउटिंग का प्रश्न है जब टर्बो सेट नींव में रखा जाता है तो पहले उसे फिट करने के लिये बोल्ट्स लगाते हैं यह मैं समझ पाया हूं।

श्री मुहम्मद हयात--

टरबाइन जब नींव में फिट किया गया तो कितनी बार ग्राउटिंग की गयी और जब पहली ग्राउटिंग हुई थी तो सीमेंट लगाया गया था अथवा पिनोल का इस्तेमाल किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

ग्राउटिंग एक बार हुई।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का प्रश्न से मतलब क्या है ?

श्री मुहम्मद हयात--

मेरी मंशा यह है कि पहली बार ग्राउटिंग हुई तो सीमेंट या तो कंडम लगाया गया एक मिट्टी आती है पिनोल उसे लगाया गया जिससे वह दो महीने में सेट हो सका बजाय 15 दिन के। तो क्या इसके लिये सरकार जांच करायेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अवश्य जांच करायेगी और कार्यवाही भी करेगी अगर जांच के बाद जरूरत पड़ी तो।

*7--श्री शिवपाल सिंह तथा श्री दयाराम भास्कर--

[6ठें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 74 पर स्थानान्तरित।]

गोंडा तथा बहराइच जिले में चावल की लेवी की वसूली

*8--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 2 मास से गोन्डा तथा बहराइच जिले में रीजनल फूड कन्ट्रोलर, फैजाबाद द्वारा चावल की लेवी वसूल किये जाने का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो दिनांक 11-2-75 तक कितना चावल वसूला गया ? क्या यह सही है कि यह लेवी बी0 एफ0 तथा तिलहन लाइसेंसी से भी जबरन वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां।

दिनांक 11-2-75 तक गोंडा तथा बहराइच जिलों में क्रमश: 12,750 तथा 2,152 कुन्टल चावल की वसूली हुई। यह सही नहीं है कि लेवी तिलहन लाइसेन्सीज से भी वसूली जा रही ह। केवल चावल मिलों, 'बी' 'डी' तथा 'एफ' लाइसेन्सीज से उत्तर प्रदेश चावल और धान (उद्ग्रहण) आदश, 1974 के प्राविधानों के अनुसार चावल की लेवी बिना किसी जबरदस्ती के ली जा रही है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष खरीफ की फसल में गोंडा तथा बहराइच में चावल की लेवी वसूलने का कितना लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार अलग-अलग कमिश्नरियों-वाइज है। उसमें इस वर्ष के आंकड़े नहीं हैं। जिलेवार जैसे फैजाबाद, गोंडा और बहराइच आदि जिलों के प्रतिशत के हिसाब से आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय---

दूसरा प्रश्न किये देता हूं। गोंडा और बहराइच जिलों में गत वर्ष 35 प्रतिशत लेवी थी और इस वर्ष 80 प्रतिशत लगा दी है। इन दो जिलों को फैजाबाद रेंज में शामिल कर दिया है जो पहले गोरखपुर में थे। तो क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि गोंडा में 6450 टन, बहराइच में 3350 टन का लक्ष्य था जब कि अब तक 12750 क्विन्टल और 2152 क्विन्टल वसूल हुआ है। गत वर्ष के आंकड़ों के हिसाब से गोंडा में 1838.2 तथा इस वर्ष 1486.2 फरवरी, 1975 तक खरीद हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब 80 प्रतिशत लेवी लगी तो फरवरी तक 1486.2 टन की खरीद हुई और जब 35 प्रतिशत की लेवी थी तो 1838.2 टन की खरीद हुई। तो सरकार यह बतायेगी कि जो लेवी लगाई गई थी वह निरर्थक साबित हुई या नहीं ? क्या इसको आप वापस लेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

न निरर्थक है और न वापस लेने का प्रश्न उठता है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मेरे पास जो आंकडे हैं, वह भी सरकार के ही हैं लेकिन सरकार की यह हठवादिता कब तक चलेगी। 6 जिले हैं-फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। इसमें क्रशम: पिछले वर्ष का लक्ष्य 100 टन, 7500 टन, 6900 टन, 90 टन, 20 टन, 290 टन था। इस वर्ष जो खरीद हुई उसमें फैजाबाद में 154 टन, गोंडा में 1486 टन, बहराइच में 390.7 टन, सुल्तानपुर में 290.4 टन, प्रतापगढ़ में 88.0 टन तथा बाराबंकी में 320.4 टन हुई। तो मेरा कहना है कि लेवी के मसले पर मंत्री जी .....;.

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जहां तक माननीय सदस्य ने बताया, उसके सम्बन्ध में गत वर्ष के चावल के उत्पादन के आंकड़े मेरे पास हैं। गोंडा में 1,85,073 टन, बहराइच में 1,17,644 टन और बाराबंकी तथा फैजाबाद में 1 लाख 5 हजार से भी ज्यादा हुआ है। फैजाबाद डिवीजन में ये जिले ऐसे हैं जहां पर चावल की अच्छी पैदावार होती है। जो आंकड़े माननीय सदस्य ने दिये हैं, उनमें अन्तर है। जो खरीद के आंकड़े हैं वे गोंडा में 1974-75 में 1701, बहराइच में 649 और जो आप आंकड़े दे रहे हैं उनमें अन्तर है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

यह भी सरकारी आंकड़े ही हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, यह अखबारों में भी छपा है कि यह जो लेवी लगा रहे हैं, या लगाने वाले हैं, या जो इनके स्टोर में है, वहां अधिकांश अनाज सड़ जाता है, क्योंकि गोदामों की व्यवस्था नहीं है। जैसे यह 10लाख टन गेहूं वसूल करने वाले हैं या इसी प्रकार धान की वसूली को। तो माननीया मंत्री बतायेंगी कि सारे जिलों में जहां-जहां लेवी से वसूल करने वाले हैं, वहां पर गोदामों की व्यवस्था कर ली गई है ? गोंडा के सम्बन्ध में यह प्रश्न है मुमकिन है वहां की जानकारी होगी तो वहां पर कहां-कहां रखने का इंतजाम किया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जहां तक गोदामों का सवाल है, कुछ तो हमारे गोदाम हैं, कुछ हम वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन से ले लेते हैं किराये पर, तो इस तरह से आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। गोंडा में भी हमारे गोदाम हैं। जहां तक चावल के सड़ने की शिकायत है, वह हमारे पास कोई नहीं आई है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैंने उदाहरण के लिये गोंडा की बात बताई क्या आपने हर जिले में इसके लिए गोदामों की व्यवस्था कर दी है क्योंकि आप लेवी लगाने जा रहे हैं, इसलिये वह गोदामों में रखा जा सके ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जहां पर अपने निजी गोदाम नहीं हैं वहां पर किराये के गोदाम ले लेते हैं। इस तरह की व्यवस्था बराबर रहती है क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था चली आ रही है, यह कोई नई बात नहीं करने जा रहे हैं। गोदामों की व्यवस्था हमारे पास है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

श्रीमन, 23-2-73 तक हमारे पास रिपोर्ट है उसमें 6 जिलों में वसूली जो बताई है वह कहीं पर भी 3, 4 सौ टन से अधिक नहीं हुई है। केवल एक गोंडा जिले में आपने जो बताई है वह 1486.2 टन 23-2-75 तक वसूल कर लिया है.....

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न करें।

श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या यह सही नहीं है कि लेवी वहां पर लाईसेंसीज से भी ली जा रही है ? यह मेरा स्पष्ट आरोप है कि गोंडा जिले में नाजायज तौर से तंग किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---

यह आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं। इसलिये आगे चलें।

श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या उनको इस बात की जानकारी है कि जब बाकी 6 जिलों से 4 सौ टन से ज्यादा वसूली नहीं हुई तो गोंडा जिले से 14 सौ टन कैसे हो गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह वहां के उत्पादन के आंकड़े बताते हैं ।

आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर व्ययों में पन्द्रह प्रतिशत की कटौती

*9--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्लान और नान प्लान खर्चों में 15 प्रतिशत कटौती करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय अभी हाल में लिया गया है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या होगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

1974-75 में सर्वोच्च प्राथमिकता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त संसाधन सुलभ करने की दृष्टि से अपेक्षाकृत अल्प महत्व के आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर व्ययों में 5 से 15 प्रतिशत तक की बचत करने का निर्णय लिया गया । इस निमित्त गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर 12 करोड़ रुपये की आयोजनेत्तर तथा 13 करोड़ की आयोजनागत पक्ष में कटौती कर उसे सर्वोच्च महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात विद्युत तथा सिंचाई के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में लगाया गया ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो उन्होंने 12, 13 करोड़ रुपये की बचत बताई है यह किस विभाग से और कितनी-कितनी बचत हुई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी-- श्रीमन,

	लाख में
कृषि शोध एवं शिक्षा	10.35
कृषि उत्पादन	157.99
निजी लघु सिंचाई	36.35
भूमि संरक्षण कृषि	10.00
पशुपालन	102.34
दुग्ध विकास	20.00
मत्स्य पालन	10.52
वन	40.00
मारकेटिंग	6.13
सहकारिता	73.00
सामुदायिक विकास विभाग	3.73
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	13.50
पंचायती राज	12.23
प्रशिक्षण	6.01
प्रादेशिक विकास दल	1.70
उद्योग	125.02
सामान्य शिक्षा	128.73
तकनीकी शिक्षा	13.65
स्वास्थ्य	115.32
क्राफ्ट ऐण्ड लेबरवेलफेयर	24.38
सूचना	2.01
राज्य नियोजन संस्थान	4.94

बांट तथा माप	4.40
सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक कार्य-क्रम	2.50
वित्त विभाग	50.00
सामान्य प्रशासन एवं सचिवालय प्रशासन ..	3.20
स्वायत्त शासन पेय जल	200.00
गन्ना विकास	14.83
पर्यटन	.06

आयोजनेत्तर की लम्बी चौड़ी लिस्ट है

जैसे विकास अन्वेषण प्रयोग	1.00
अर्थ एवं संख्या विभाग	2.91

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह जो बचत की बात है, तो सिंचाई और बिजली पर अलग अलग कितना खर्च किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

विद्वान सदस्य का ध्यान मैं अपने बजट भाषण के पृष्ठ 1 व 2 और अन्त में जो पुनरीक्षित बजट के अनुमान हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। शारदा सहायक परियोजना में जो अतिरिक्त धनराशि खर्च की गई है, उसका उल्लेख है, तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के खर्च का जिक्र है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

इस सम्बन्ध में मंत्री जी ने जो भारत सरकर को लिखा था और उनसे जो बातचीत की गई थी, उसके फलस्वरूप क्या कुछ रुपया भारत सरकार से मिला था ? उसी के सम्बन्ध में वहां से मिला या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, यह रुपया भारत सरकार से अतिरिक्त मिला है, जो उन्होंने कहा है कि आप भी कुछ रुपया इन प्रायरिटी सेक्टर्स में लगाएंगे, तो मिलेगा। उसका विवरण माननीय सदस्य भी जानते हैं, बजट भाषण में है।

मुरादाबाद जिले की अलौह धातु योजना के सेवानिवृत्त केमिस्ट के अवशेष उपलब्धियों का भुगतान.

*10--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 1967 से जनवरी, 68 के बीच अलौह धातु योजना, मुरादाबाद से कितने केमिस्ट सेवामुक्त किये गये तथा में से कितनों का अवशेष वेतन जमानत की रकम अथवा निर्वाह निधि की कितनी-कितनी धनराशि अभी तक नहीं दी गई और क्यों ? सरकार कब तक इनका भुगतान कर देगी ?

श्री इस्तफा हुसैन--

दिसम्बर, 1967 से जनवरी, 1968 के बीच अलौह धातु योजना मुरादाबाद से केवल एक केमिस्ट को ही सेवा से मुक्त किया गया था और केवल उसी के अवशेष वेतन, जमानत की रकम तथा निर्वाह निधि का भुगतान होना बाकी है।

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त

जहां तक अवशेष वेतन का भुगतान का सम्बन्ध है, पुनरीक्षित वेतन मान में केमिस्ट के वेतन निर्धारण के विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वेतन निर्धारण के पश्चात् अवशेष वेतन की धनराशि ज्ञात हो सकेगी।

जमानत की धनराशि (रु0 770·25) तथा उस पर ब्याज देय है जो कि केमिस्ट द्वारा नियमानुसार जमानती बान्ड न भरने के कारण मुक्त न की जा सकी थी। नियमानुसार भरा जमानती बाण्ड अब प्राप्त हो गया है और मामले में उचित कार्यवाही की जा रही है।

भविष्य निर्वाह निधि में उपलब्ध धनराशि के भुगतान हेतु केमिस्ट ने जो आवेदन-पत्र दिया था उसमें त्रुटियां थीं। त्रुटियों के निवारण के पश्चात् आवेदन पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबद को भेजा जा रहा है। महा लेखाकार द्वारा निर्वाह निधि में उपलब्ध धनराशि की पुष्टि तथा अन्य औपचारिकतायें पूरी किये जाने के पश्चात् भुगतान किया जायगा।

वर्णित परिस्थितियों में प्रत्येक मामले में देय धनराशि के शीघ्र भुगतान किये जाने की आशा है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त लेवी चीनी का आवंटन

*11—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या यह सही है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश का लेवी चीनी का कोटा 2 लाख टन से 1.90 लाख टन जून, 74 में और 1.80 लाख टन जुलाई, अगस्त, 1974 को आवन्टित किया है? यदि हां, तो सरकार ने प्रदेश में इसका आवन्टन किस आधार पर किया?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को जून, 1974 में 24,728 मी0 टन तथा जुलाई व अगस्त, 1974 में प्रत्येक माह के लिये 23,384 मी0 टन लेवी चीनी का मासिक कोटा आवन्टित किया गया। प्रत्येक को प्राप्त कोटे का आवन्टन जिलों की शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए उपलब्धता के आधार पर किया गया।

गोरखपुर जिले के लकड़ी के ठेकेदारों से बिक्रीकर की तथा कथित दो बार वसूली

*12—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के लकड़ी के व्यापार करने वाले सैकड़ों ठेकेदारों के खिलाफ सेल्स टैक्स के बकाये की कुर्की (नीलामी की नोटिस सन् 1954–55 से लगायत 1963–64 तक के) हालही में निकली है जब कि ठेकेदारान सेल्स टैक्स दे चुके हैं जिनकी रसीदें भी मौजूद हैं? यदि हां, तो क्या इस गड़बड़ी को करने वाले जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करेगी ताकि भविष्य में इस तरह की गलती न हो सके?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद गोरखपुर में अगस्त, 1974 से दिसम्बर, 1974 की अवधि में वर्ष 1954–55 से 1963–64 तक के लिये 406 मांग–पत्र जंगल के ठेकेदारों के विरुद्ध जारी किये गये जिनमें केवल 16 बकायादार ऐसे थे जिन्होंने पहिले जमा की गई धनराशि की रसीदें मौके पर प्रस्तुत कीं। इन मांग–पत्र के जारी करने के पूर्व जारी हुए मांग–पत्रों का पूरा विवरण न उपलब्ध होने पर और जमा की गई धनराशि का इन्दराज बिक्रीकर अभिलेखों में न होने के कारण से दोहरे प्रमाण–पत्र जारी हो गये थे। ऐसे मामलों में रसीद प्रस्तुत होने के पश्चात् कार्यवाही रोक दी गयी थी। उपरोक्त अवधि में किसी भी जंगल के ठेकेदार के विरुद्ध बिक्रीकर बकाये की वसूली हेतु कुर्की या नीलाम की कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की अवश्यकता नहीं है।

बाराबंकी जिले की बुढ़वल चीनी मिल द्वारा गन्ना क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गन्ने के मूल्य का मिलगेट पर भुगतान

*13—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (बाराबंकी) तथा श्री अठईराम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत बुढ़वल चीनी मिल के कड़ाकापुर वा बदोसराय गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना बेचने वाले किसानों के मूल्य का भुगतान चालू गन्ना वर्ष 1974-75 में नियमानुसार क्रय केन्द्रों पर ही न करके मिलगेट पर किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों और सरकार नियमानुसार क्रय केन्द्रों पर ही भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। बुढ़वल गन्ना समिति की अर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रश्न में बताये गये गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना मूल्य भुगतान की उचित व्यवस्था पहले से समिति कार्यान्वित न कर सकी। गन्ना मूल्य भुगतान की व्यवस्था क्रय केन्द्रों पर करने हेतु आवश्यक आदेश जिला गन्ना अधिकारी, बाराबंकी द्वारा प्रसारित किये जा चुके हैं।

*14—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री अठई राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 9-1-75 को ग्राम पर्वतपुर, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में मुख्य मंत्री को गन्ना यूनियन बुढ़वल, जिला बाराबंकी के अध्यक्ष ने कोई प्रार्थना पत्र गन्ना मूल्य बकाया के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र क्या है और किस प्रकार की रियायत किसानों को दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। इस प्रार्थना पत्र में बुढ़वल चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु अनुरोध किया गया है। यह मिल रिसीवर के नियंत्रण में संचालित है। गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान कराने के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, बाराबंकी द्वारा दिनांक 25-11-74 को एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें उक्त मिल के रिसीवर ने सीजन 1973-74 के गन्ना मूल्य बकाया का पूर्ण रूप से माह अप्रैल, 1975 तक भुगतान को यथा सम्भव कर देने का आश्वासन दिया था।

गन्ना खरीद मूल्य का निर्धारण

*15—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार तथा चीनी मिल मालिकों के बीच हाल ही में हुये समझौते के परिणाम स्वरूप गन्ना खरीद मूल्य क्या निर्धारित किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

चीनी मिलों के प्रतिनिधियों से दिनांक 14-12-74 को हुई वार्ता के फलस्वरूप पश्चिमी व मध्य उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने रु0 14.50 प्रति क्विन्टल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने रु0 13.50 प्रति क्विन्टल गन्ना खरीद मूल्य दिनांक 7-12-74 से देना-स्वीकार किया ।

उद्योग इकाइयों का निदेशालय द्वारा सर्वेक्षण

*16—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग निदेशालय द्वारा पंजीकृत इकाइयों की स्थिति जानने हेतु वर्ष 74 तथा जनवरी, 75 में इकाइयों का कोई सर्वेक्षण कराया गया ? यदि हां, तो सर्वेक्षण कब और किसके द्वारा हुआ तथा उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

जी हां। 1-12-1973 से 28-2-1975 के बीच सर्वेक्षण का सम्पूर्ण कार्य उद्योग निदेशालय के स्टाफ के माध्यम से सम्पादित हुआ। सर्वेक्षण के अनुसार 12,898 इकाइयां अकार्यरत पायी गयीं।

प्रदेश में विभिन्न चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य और भुगतान के लिये की गयी व्यवस्था

*17--श्री निदेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी क्षेत्र की तथा उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन द्वारा संचालित किस-किस चीनी मिल पर किसानों का कितना-कितना गन्ना मूल्य का बकाया 31-1-75 को था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रदेश में निजी क्षेत्र की तथा उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन के नियंत्रण में संचालित विभिन्न चीनी मिलों पर दिनांक 31-1-75 को किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का मिलवार विवरण संलग्न तालिका 'अ' के अनुसार है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1195-1196 पर।)

*18--श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य काश्तकारों को तुरन्त भुगतान कर दिया जाय इसके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य को शीघ्र भुगतान कराने हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रयकर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम की धारा 2 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 17 में संशोधन के फलस्वरूप यह व्यवस्था लागू की गयी है कि चीनी मिलों द्वारा बैंक से प्राप्त अग्रिम में से एक नियत प्रतिशत इस भुगतान हेतु पृथक खाता खोल कर रखा जाय। इस व्यवस्था के संबंध में चीनी मिलों को बैंक से अनुबन्ध करना होता है।

देवरिया जिले की छितौनी गन्ना विकास समिति द्वारा उर्वरक के वितरण में बरती गयी कथित अनियमितता

*19--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत जून-जुलाई मास में देवरिया जिले के छितौनी गन्ना विकास समिति द्वारा किए गए उर्वरक के गंभीर घोटाले की जांच की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

विभागीय जांच के आधार पर प्रासंगिक खाद वितरण में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी।

एक हजार रुपये से ऊपर वेतन मान वाले अधिकारियों को नकदीकरण की सुविधा देने की मांग

*20--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों को आवकाश के नकदीकरण की सुविधा पुन: स्थापित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये शासनादेश में 1,000 रुपये से ऊपर वेतनमान वाले पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को नकदीकरण की सुविधा से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें इस सुविधा का लाभ देने के विषय में शासन पुन: विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह सही है कि वर्तमान आदेशों के अनुसार नकदीकरण की सुविधा उन सरकारी अधिकारियों को ग्राह्य नहीं है जिनके वेतनमान का उच्चतम 1,000 रु0 प्रतिमास से अधिक है। राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये ऐसे अधिकारियों को नकदीकरण की सुविधा पुन: प्रदान किये जाने के सबन्ध में कोई आश्वासन देना सम्भव नहीं है।

इलाहाबाद नगर में फर्जी राशन कार्डों की जांच

*21--श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर की जनसंख्या क्या है तथा कुल कितने यूनिट के राशन कार्ड बने हुये हैं ? क्या नगर में जाली राशन कार्ड पकड़ने सम्बन्धी कोई अभियान वित्तीय वर्ष 1974-75 में अक्टूबर के अन्त तक चलाया गया ? यदि हां, तो अभियान में कितने फर्जी यूनिट पाये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

1971 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद नगर की जनसंख्या 513036 है। 1 जुलाई, 1974 को वहां 841990 1/2 यूनिट के राशन कार्ड बने हुये थे। जुलाई, 1974 से अक्टूबर, 1974 में जांच के दौरान के 1,18,145 1/2 यूनिटें रद्द की गईं। इसी अवधि में 57,108 यूनिटें पुन: स्थापित की गई और 19,381 नई यूनिटें बनीं। अत: अभियान के बाद अक्टूबर, में कुल 8,00,334 यूनिट बचे थे। राशन कार्डों की जांच का कार्य अभी चालू है। जांच अभियान में फर्जी राशन कार्डों के सम्बन्ध में पांच व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई।

*22--श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री दशरथ सिंह--

[7वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

*23--श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री दशरथ सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

सहारनपुर की कचहरी में कोर्ट स्टैम्प का अभाव

*24--सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या वित्त मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या सहारनपुर की कचहरी में कोर्ट स्टैम्प का भारी अभाव है ? जिससे जनता को बहुत असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो शासन इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, शासन को सहारनपुर में कोर्ट फीस के छोटे स्टाम्पों के अभाव की सूचना मिली है। कन्ट्रोलर आफ स्टाम्पस, नासिक प्रेस से स्टाम्पों की तत्काल पूर्ति के लिये बराबर जोर

दिया जा रहा है। इस समस्या के सामान्य निराकरण के लिये अव कोर्ट फीस ऐक्ट में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि इन स्टाम्पों का अभाव होने पर न्यायालय फीस का भुगतान नकद धनराशि के रूप में किया जा सकता है।

सहारनपुर जिले की लार्ड कृष्णा शुगर मिल पर बकाया गन्ना मूल्य

*25--सरदार कुलतार सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लार्ड कृष्णा शुगर मिल, सहारनपुर की तरफ वर्ष 1972-73 का किसानों के गन्ने के कितने रुपये की अदायगी होनी बाकी है? किसानों को गन्ने के रुपयों की अदायगी अब तक न होने के क्या कारण है और यह की अदायगी कब तक हो जायगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कथित मिल पर वर्ष 1972-73 के गन्ना मूल्य का 31-1-75 को रु0 29.38 लाख बकाया था। बकाये की वसूली के लिये मिल पर रिसीवर की नियुक्ति की गयी जो उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गयी और देयों के भुगतान के लिये मासिक किस्तें बांध दी गयीं। परन्तु मिल के अध्यासी ने किस्तों का भुगतान उच्चन्यायालय के आदेशानुसार नहीं किया और अब मिल डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत राज्य चीनीनिगम द्वारा संचालित है। उपरोक्त बकायों के भुगतान का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

देवरिया जिले के ग्राम भड़सर खास में गेहूं की तलाशी में रुकावट डालने के संबंध में श्री हरिभान सिंह की गिरफ्तारी

*26--श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि 2 जून, 1974 को देवरिया जनपद के ग्राम भड़सर खास, थाना कप्तान गंज के हरिभजन सिंह के घर परगनाधीश, हाटा सदलबल पहुंच कर उनके घर गेहूं की तलाशी ली और गृह स्वामी के यह कहने पर कि हमारे पास मात्र 2 एकड़ भूमि है जिसमें खाने भर का गेहूं नहीं होता है, पकड़ कर थाने में लाकर कटहल के पेड़ से लटकाया, मुर्गा बनाया और धारा 143/353 ता0 हि0 114 डी0 आई0 आर0 में जेल भेज दिया जिसकी लिखित शिकायत 4 जून, 74 को संबंधित अधिकारियों को की गयी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी--

जी नहीं।

दिनांक 2-6-74 को देवरिया जनपद के ग्राम भड़सर खास थाना, कप्तानगंज के श्री हरिभजन सिंह के घर पर परगनाधीश, हाटा द्वारा कोई तलाशी नहीं ली गई बल्कि इस दिन उसी ग्राम के निवासी श्री खेदन के यहां जब वे उत्तर प्रदेश गेहूं (विक्रय की अपेक्षा) आदेश, 1974 के अन्तर्गत गेहूं की तलाशी लेने गये तो श्री हरिभान सिंह न कि श्री हरिभजन सिंह तथा अन्य तीन व्यक्तियों ने तलाशी लेने में रुकावट डाली। इस प्रकार सरकारी कार्य में रुकावट डालने के आरोप में भारतीय दंड विधान 143/353 और डी0 आई0 आर0 के नियम 114 के अधीन अभियुक्त गणों को हिरासत में ले लिया गया और मुकदमें में विवेचना के उपरान्त चार्जशीट लगा दी गई। सभी अभियुक्त जमानत पर छूट चुके हैं। श्री हरिभान सिंह द्वारा 4-6-74 को की गई शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जांच जिलाधिकारी ने कराई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री हरिभान सिंह द्वारा लगाये गये सभी आरोप निर्मूल पाये गये।

गोरखपुर जिले की सरैया शुगर मिल एवं पिपराइच मिल द्वारा गन्ना उत्पादकों से काटी गयी धनराशि से सड़क निर्माण की मांग

*27—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री विश्राम (जिला आजमगढ़) तथा श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर की सरैया शगर मिल, सरदार नगर एवं पिपराइच मिल की एरिया के गन्ना उत्पादक किसानों का निर्माण कार्य सड़क, पुल, पुलिया हेतु कटी धनराशि-इस समय तक की अलग-अलग मिल क्षेत्रों की कितनी-कितनी जमा है ? क्या इस धनराशि के अतिरिक्त अन्य सरकारी या गन्ना विकास परिषद की धनराशि से तरकुलहा पुल, अमारी विशुनपुरा, पकरडीहा एवं अमारी की पुलिया, बरठी विशुनपुरा होते सरार मझगांवा, डुमरी खुर्द से रामपुर रकबा, डुमरी खास से बघाड होते मुन्डेरा बाजार आदि की सड़कें (सरैया मिल क्षेत्र) बनाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद गोरखपुर को सरैया शुगर मिल, सरदार नगर क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों से कुल रु0 20,886.50 पैसे तथा पिपराइच मिल एरिया के गन्ना उत्पादकों से रु0 5,739.86 पैसा जमा हुआ है। उक्त धनराशि के अतिरिक्त कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। प्रश्नगत निर्माण कार्य पिपराइच क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है। उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल प्रश्नगत कार्यों का सम्पादन करना सम्भव नहीं है ।

शासन द्वारा संचालित विभिन्न चीनी मिलों में जनरल मैनजर तथा केन मैनेजर के पदों पर प्रतिनियुक्ति

*28—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रुप टू के एक ही स्तर के अधिकारियों को विभाग ने सरकारी फैक्टरियों मे जनरल मैनेजर, केन मैनेजर एवं केन सुपरिन्टेन्डेन्ट करके नियुक्त किया है ? यदि हां, तो ऐसा किस आधार से किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, शासन द्वारा संचालित विभिन्न चीनी मिलों में इन अधिकारियों को जनरल मैनेजर तथा केन मैनेजर उपयुक्तता के आधार पर प्रतिनियुक्त किया गया है।

कीटनाशक दवाइयों का आवंटन

*29—श्री मंजूर अहमद—

क्या गन्ना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पहली जनवरी, 1970 से लेकर 18-2-75 तक कितनी कीट नाशक दवाइयां खरीदी गयीं और कितने की खरीदी गयीं और इसके बंटवारे का क्या आधार है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस अवधि में कुल 9,286 मी0 टन एवं घोल 8,34,086 लीटर की कीटनाशक दवाइयां कुल 208.08 लाख रुपये में खरीदी गयीं। ये दवाइयां कृषकों में गन्ना विकास परिषदों तथा गन्ना समितियों के माध्यम से मांग के अनुसार वितरित की जाती हैं।

लखनऊ स्थित मोहन मीकिन ब्रिवरीज में तथा कथित छापे का मारा जाना

*30—श्री श्रीनारायण—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्तूबर, 1974 में लखनऊ स्थित मोहन मींकिंग ब्रिवरीज में पड़े छापे में कई हजार बोतलें अवैध देशी और विदेशी शराब की पकड़ी गयीं तथा एक ऐसी सूची भी पकड़ी गयी जिसमें वर्तमान मंत्रि परिषद् के कुछ सदस्य एवं कुछ अन्य नेताओं को उक्त संस्थान की ओर से बिना मूल्य के देशी व विदेशी शराब की सप्लाई का विवरण है ? यदि हां, तो उक्त सूची में मंत्रि परिषद के किन-किन माननीय सदस्यों और नेताओं के नाम हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योग विभाग के फालतू घोषित सहायक विकास अधिकारियों की पुनः नियुक्ति के पश्चात् वेतन का निर्धारण

*31—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्योग विभाग के फालतू घोषित कितने सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) 1968 में सहकारिता विभाग में सहायक निरीक्षक सहकारिता के पद पर खपाये गये और उनमें से कितने लोग आबकारी निरीक्षक के पद पर चुने गये तथा कितने लोग सचिवालय में कनिष्ठ और प्रवर वर्ग सहायक के पद पर चुने गये और उन सबके वेतन का निर्धारण किस आधार पर हुआ था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गेहूं की वसूली हेतु उत्पादकों पर लेवी लगाने की रूप रेखा

*32—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि गल्ला वसूली हेतु लेवी लगाने की पूर्ण रूप रेखा क्या है तथा कितनी एकड़ भूमि के जोतदारों को इससे मुक्त रखा जायगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

शासन ने मौजूदा रबी फसल के गेहूं की खरीद सीधे उत्पादकों पर लेवी लगाकर करने का निर्णय लिया है ।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 3 1/8 एकड़ तक की होल्डिग को लेवी से मुक्त रखा जाएगा। बुंदेलखंड, मथुरा, आगरा, इटावा व इलाहाबाद जिलों में यमुना पार क्षेत्र (ट्रांस यमुना एरिया) तथा जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 337 में उल्लिखित मिर्जापुर जिले के विशिष्ट भागों में 4 11/16 एकड़ तक की लेवी होल्डिग लेवी से मुक्त रहेंगी।

*33—श्री हरिकेवल तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[6ठे सोमवार के लिये स्थगित।]

इटावा जिले की टाउन एरिया एवं नगर पालिकाओं में सस्ते गल्ले की दुकान खोलने की मांग

*34—श्री गोरेलाल शाक्य (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जनपद की छोटी-बड़ी टाउन एरिया एवं नगर पालिकाअ . . . . . गेहूं उपलब्ध कराने हेतु सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने हेतु

जिलाधिकारी ने शासन को अब तक कोई योजना भेजी है ? यदि नहीं, तो इस दिशा में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि इटावा जनपद में अभी से मन्डियों में गेहूं का भारी अकाल है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी नहीं। ऐसी कोई योजना जिलाधिकारी ने शासन को नहीं भेजी है, और न इटावा जनपद की मंडियों में गेहूं के अकाल की कोई सूचना शासन को मिली है। फिर भी जिला मुख्यालय पर 2 किलो प्रति यूनिट प्रति माह की [illegible] चावल तथा 2 किलो प्रति यूनिट प्रति माह की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है।

सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, बदायूं द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान

*35--श्री बृजपाल सिंह यादव (जिला बदायूं)--

मेरी इस सूचना को सही मानकर न्योली शुगर फैक्टरी, बदायूं को गन्ना सप्लाई करने वाले काश्तकारों को सहकारी बैंक के लिये चेकें दी जाती हैं जिनकी कैश कराने के लिये काश्तकारों को कई बार दौड़ना पड़ता है ? क्योंकि बैंक वाले मिल के खाते में धन न होने के कारण बहुधा चेक स्वीकार करने से मना कर देते हैं, क्या गन्ना विकास मंत्री काश्तकारों को इस असुविधा से बचाने हेतु कोई अन्य सुलभ व्यवस्था भुगतान के सम्बन्ध में करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बदायूं अपनी दुर्बल आर्थिक स्थिति के कारण गन्ना मूल्य भुगतान का कार्य स्वयं संभालने में इस समय असमर्थ है। तदनुसार उक्त समिति की प्रबन्ध समिति ने अपने दिनांक 6-1-75 को पारित प्रस्ताव संख्या 6 के अन्तर्गत न्योली शुगर फैक्ट्री, न्योली (जिला एटा) द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान चेक द्वारा कृषकों को किए जाने की व्यवस्था को एकदम रोक देना ठीक नहीं समझा। आर्थिक स्थिति ठीक होने पर उक्त समिति गन्ना मूल्य भुगतान का कार्य स्वयं संभाल सकेगी।

लखनऊ स्थित क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक के कार्यालय का भवन

*36--श्री बांके लाल (जिला देवरिया) तथा चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या खाद्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 37 विशेश्वर नाथ रोड, लखनऊ, में जिसनें क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक का कार्यालय है उसके भवन के शासन द्वारा क्रय करने के सम्बन्ध में मामला पिछले 20 वर्षों से शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस विषय को इतने वर्षों तक लटकाने का क्या कारण है और शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह सही है कि 37, विशेश्वर नाथ रोड, लखनऊ जिसमें क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक का कार्यालय स्थित है, उसके भवन को शासन द्वारा क्रय करने का मामला काफी अरसे से विचाराधीन है।

खरीदारी की शर्तों को तय करने में विभिन्न स्रोतों से सूचनायें प्राप्त करनी पड़ी और इसमें काफी समय लग गया। जब खरीदारी की शर्तों के तय होने की स्थिति आयी तो अर्थाभाव के कारण भूमि भवन का क्रय सम्भव न हो सका।

पुनर्विचार के पश्चात् अब सरकार ने प्रश्नगत भूमि भवन को क्रय करने का विचार त्याग दिया है।

प्रत्येक न्याय पंचायतों में सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा अनाज के वितरण की मांग

*37—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार ने 1974 में यह निर्णय लिया है कि हर न्याय पंचायत में सस्ते गल्ले की दुकान द्वारा मोटा अनाज लोगों को पहुंचाया जावेगा ? यदि हां, तो क्या इस आश्वासन का कार्यान्वयन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

सरकार द्वारा इस आशय का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः उसके कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद नगर में चावल का आवंटन

*38—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद नगर में दिसम्बर, 1974 एवं जनवरी, 1975 में जितना चावल का कोटा राशन की दूकानों द्वारा वितरण हेतु दिया गया था वह कोटा फरवरी, 1975 से कम कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अन्य जिलों की तरह फैजाबाद नगर के चावल के आवंटन में भी जनवरी, 1975 से बृद्धि कर दी गयी थी। परन्तु चावल की बाजार में उपलब्धता व स्टाक्स को देखते हुये फरवरी, 1975 से इन सभी जिलों के लिये किये जाने वाले आवंटन को पुनः पुनरीक्षित करके पूर्वानुसार कर दिया गया। अतः फैजाबाद नगर के आवंटन को भी फरवरी, 1975 में पुनरीक्षित कर दिया गया।

महोबा स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा बिना सत्यापित कांटे तथा बांट का प्रयोग

*39—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की महोबा स्थिति शाखा द्वारा गैर-प्रमाणित बांट इस्तेमाल किये जाने के अपराध में वेट्स एन्ड मेजर्स विभाग द्वारा 16 सितम्बर से 21 सितम्बर, 1974 के बीच चालान किया गया ? यदि हां, तो उक्त बैंक द्वारा अनधिकृत बांट कब से इस्तेमाल किये जा रहे हैं तथा बैंक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत अवधि में इस प्रकार का कोई चालान नहीं किया गया। 9-9-74 को स्टेट बैंक महोबा से बिना सत्यापित कांटे तथा बांट अभिग्रहीत किये गये। इन कांटों/बाटों का अन्तिम सत्यापन एवं मुद्रांकन 18-5-72 को हुआ था। नियमानुसार इनका पुनः मुद्रांकन 18-5-73 से पूर्व करा लेना चाहिये था जो उन्होंने नहीं कराया। इस त्रुटि के लिये बैंक को चेतावनी दी गयी कि भविष्य में बिना मुद्रांकन और सत्यापन के कांटों तथा बांटों का प्रयोग न करें और अभिग्रहीत कांटों तथा बांटों को आवश्यक सत्यापन/मुद्रांकन शुल्क लेकर सत्यापित/मुद्रांकित करने के पश्चात् बैंक को वापस कर दिया गया।

प्रदेश की अकार्यरत औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति

*40—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 31 जनवरी, 1975 तक कितनी बोगस औद्योगिक इकाइयों का पता लगा है ? क्या इन औद्योगिक इकाइयों को

कच्चा माल की तथा अन्य राजकीय सुविधायें प्राप्त थीं ? यदि हां, तो उन विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिन्होंने इन सुविधाओं की संस्तुति इन इकाइयों के लिये की ?

श्री इस्तफा हुसैन—

28-2-1975 तक 12,898 औद्योगिक इकाइयां अकार्यरत पायी गयीं। जी हां, इनमें से कुछ इकाइयों को कच्चा माल की तथा अन्य राजकीय सुविधायें प्राप्त थीं। उन विभागीय कर्मचारियों, जिन्होंने इन इकाइयों की सुविधाओं की संस्तुति की थी, पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने हेतु आदेश दे दिए गए हैं।

बहराइच जिले में मोटे अनाज का वितरण

*41—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनवरी, 1975 से अब तक बहराइच जिले को कितना मोटा अनाज वितरण हेतु आबंटित किया गया है और उसे किस माध्यम से किन-किन विकास खंडों में वितरित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जनवरी, 1975 से अब तक बहराइच जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिये शासन द्वारा 1500 कुन्टल मोटे अनाज का आवंटन किया गया है। इसका वितरण सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से विकास खंड सिरसिया, हरिहर-पुरानी, जमुनहा तथा नवाबगंज (बाबा गंज) के अभावग्रस्त भागों में किया जा रहा है।

राज्य खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड में बाह्य सेवा में आये स्थाई कर्मचारियों की पदावनति

*42—श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतलायेंगे कि दिनांक 2 सितम्बर, 1974 को राज्य खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड ने कार्यकारिणी की बैठक में शासनादेश संख्या 2706, दिनांक 20 नवम्बर, 1971 के अनुसार बाह्य सेवा से आये स्थाई कर्मचारियों को उन्हीं पदों पर पदावनत करने का निर्णय किया जिन पदों पर वह बाह्य सेवा पर आने के पूर्व कार्यरत थे और उनके स्थानों पर अस्थाई कर्मचारियों को प्रोन्नति किया और जिस निर्णय की पुष्टि भी बोर्ड की दिनांक 2 दिसम्बर, 1974 की सामान्य बैठक में की गई ? यदि हां, तो फिर उक्त निर्णय को शासन द्वारा धारा 16(1) केअन्तर्गत आदेश जारी करके रोकने का क्या कारण है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

यह निर्णय इस कारण लिया गया था कि शासन के मत में बोर्ड के कर्मचारियों के सेवा विनियम बन जाने तक यथास्थिति बनाये रखना न्याय संगत होगा।

उत्तर प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड कर्मचारी परिषद्, कानपुर द्वारा भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*43—श्री जगदीश अवस्थी—

क्या लघु उद्योग मंत्री जी कृपया बतालायेंगे कि उत्तर प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड कर्मचारी परिषद् कानपुर ने दिनांक 20 जनवरी, 1975 को बोर्ड के कतिपय अधिकारियों द्वारा बढ़ते गये पक्षपात, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई अपना प्रतिवेदन भेजा है ? यदि हां, तो उसके मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों?

श्री इस्तफा हुसैन--

जी हां।

प्रत्यावेदन में बोर्ड के भूतपुर्व सचिव के विरुद्ध बोर्ड में नियुक्तियों, स्थानान्तरण एवं वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में पक्षपात एवं अनियमितता किये जाने के सामान्य आरोप हैं।

प्रत्यावेदन में उल्लिखत मामलों की जांच हेतु खादी बोर्ड के प्रशासक को लिखा गया है उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुयी।

*44--श्री राम लखन तथा श्री किशन लाल--

[6ठे सोमवार के लिये स्थगित।]

गोरखपुर, देवरिया आदि जिलों की खाद्य स्थिति का निरीक्षण

*45--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) तथा श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने का अनुग्रह करेगी कि जनवरी, 1975 के द्वितीय सप्ताह में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ आदि जनपदों की गम्भीर खाद्य स्थिति का अध्ययन करने हेतु अधिकारियों की कोई टीम गई थी ? यदि हां, तो उस टीम ने देवरिया जिले की खाद्य स्थिति के बारे में शासन को क्या रिपोर्ट दी है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां, स्थिति के अध्ययन के लिये एक टीम गई थी। देवरिया जिले की खाद्य स्थिति के बारे में टीम की रिपोर्ट के उद्धरण संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1197--1199 पर।)

*46--श्री किशन लाल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

अतारांकित प्रश्न

बजट के घाटे को पूरा करने हेतु व्यय में की गयी मितव्ययता एवं करों में की गयी वृद्धि का विवरण

1--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 26 अगस्त, 1974 के बाद दिनांक 19 नवम्बर, 1974 तक बजट का घाटा पूरा करने के लिये एवं व्यय में कमी करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की हैं और आय बढ़ाने के लिये कौन-कौन कर नये लगाये हैं और कौन-कौन से करों की दरें बढ़ाई हैं और इससे कितनी आय बढ़ने की सम्भावना है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

26 अगस्त, 1974 के बाद 19 नवम्बर, 1974 तक व्यय म मितव्ययता करने के जो आदश जारी किये गये हैं उनका ब्योरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है। इस अवधि में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, परन्तु कुछ करों की दरें अवश्य बढ़ाई गई हैं जिनका ब्योरा संलग्न विवरण पत्र 2 में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1200--1201 पर।)

विस्थापित स्वर्णकारों को दी गयी सुविधायें

2—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोल्ड कन्ट्रोल ऐक्ट लागू होने के कारण हुये विस्थापित स्वर्णकारों को कोई सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

जी हां। उत्तर प्रदेश में विस्थापित स्वर्णकारों को दी जा रही सुविधाओं का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1202 पर।)

गोंडा जिले में गन्ना मिलों द्वारा गन्ना मूल्य से की गई कटौती का विवरण

3—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में गन्ना काश्तकारों से मिल मालिकों द्वारा प्रति क्विन्टल कितनी कटौती किस-किस मद की होती है ? उक्त कटौती का प्रस्ताव डाइरेक्टरों की मीटिंग में कब पास हुआ तथा सरकार द्वारा कब स्वीकृति दी गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद गोंडा के किसी भी चीनी मिल के मालिकान द्वारा गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य से कटौती नहीं की जा रही है। जिले की सहकारी गन्ना विकास समितियां अपने प्रबन्ध कमेटी के प्रस्तावानुसार कृषकों के गन्ना मूल्य से कटौती गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश की स्वीकृति से करती हैं। बलरामपुर चीनी मिल, जो गन्ना मूल्य कृषकों को सीधे भुगतान करती है, स्थानीय गन्ना समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार गन्ना मूल्य से कटौती करके प्राप्त धनराशि समिति को भुगतान कर देती हैं। कटौतियों के मद आदि का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1203-1204 पर।)

इलाहाबाद जिले की तहसील हंडिया में मकर संक्रान्ति व मुहर्रम के अवसर पर चीनी का तथाकथित आवंटन

4—श्री अठई राम—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जनपद की तहसील हंडिया में दिनांक 14 जनवरी, 1974 मकरसंक्रान्ति व 22व 23 जनवरी, 1975 मुहर्रम के दिनों पर जनता को चीनी नहीं मिल पाई है, यदि हां, तो क्यों और क्या यह सही है कि दिनांक 16 जनवरी, 1975 को जिले से 4 ट्रक चीनी भेजी गई परन्तु वहां के तहसीलदार ने उसे रिसीव नहीं किया फल स्वरूप चीनी वापस इलाहाबाद चली गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

जनवरी माह में मकर संक्रान्ति अथवा मोहर्रम के अवसर पर जन साधारण को चीनी का कोई कोटा आवंटित नहीं किया गया था। इलाहाबाद जनपद की हंडिया तहसील में जनवरी माह की चीनी का साधारण कोटा 17-1-75 को बांटा जाना चाहिये था, लेकिन किसी कारणवश भारतीय खाद्य निगम द्वारा 4 ट्रक चीनी तहसील मुख्यालय पर 16-1-75 को ही

भेजी गई और यह वितरण के लिये निर्धारित तिथि न होनेके कारण चीनी के दुकानदार उपस्थित नहीं थे और उनको चीनी का वितरण नहीं हो सका। तहसीलदार, हंडिया ने भारतीय खाद्य निगम को यह सुझाव दिया कि चीनी को निगम के किसी कर्मचारी की देखरेख में तहसील में रख दें और इसका वितरण 17-1-75 को करा दें, परन्तु भारतीय खाद्यनिगम के प्रतिनिधि इस पर तैयार नहीं हुये और इस चीनी को लौटाकर वापस ले गये। तत्पश्चात् इस चीनी का वितरण फरवरी माह के कोटे के साथ किया गया। भारतीय खाद्य निगम को इस विषय में 25-1-75 और पुनः 29-1-75 को जिलास्तर से लिखा गया।

वाराणसी जिले की काशी सहकारी चीनी मिल द्वारा फर्टीलाइजर का वितरण

5—श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी जनपद की काशी सहकारी चीनी मिल औराई सेन्टर से केन विभाग द्वारा एक जून, 1974 से 30 दिसम्बर, 1974 तक कुल कितना फर्टीलाइजर कृषकों में वितरण किया? क्या सरकार पूर्ण विवरण की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस अवधि में कुल 670.120 मी0 टन फर्टीलाइजर कृषकों में वितरित किया गया है। विवरण की सूची †अवलोकनार्थ सदन के पटल पर रक्खी है।

मथुरा जिले की तथाकथित रमन ग्रुप को दिया गया कोयला

6—श्री चन्दन सिंह (जिला झांसी)—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा के रमन ग्रुप को कितना कोयला व पिग आयरन प्रतिवर्ष मिलता है और उनकी क्या वार्षिक खपत है?

श्री इस्तफा हुसैन—

मथुरा जिले की इकाइयों में रमन ग्रुप नाम की कोई लघु औद्योगिक इकाई पंजीकृत नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जिले की फर्मों को आवंटित चीनी व मैदा

7—श्री चन्दन सिंह—

क्या माननीय खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा में इस समय किस-किस फर्म को कितनी-कितनी चीनी व मैदा का कोटा प्रति माह मिलता है? और दो वर्ष पूर्व कितना मिलता था?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वांछित सूचना †संलग्नक 1 व 2 में उपलब्ध है।

इटावा शहर में राशन कार्डों के फर्जी यूनिट

8—श्री गौरे लाल शाक्य—

क्या सरकार को जानकारी है कि इटावा शहर में राशन कार्डों के अनुसार यूनिटों का योग 1,50,000 आता है जब कि जनगणना के अनुसार यह कुल आबादी से अधिक है? यदि हां, तो क्या सरकार यूनिटों की संख्या सही कराके दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

---

†छापी नहीं गई।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इटावा शहर में कुल 1,20,000 यूनिट हैं जो कि वर्ष 1971 की जनगणना से अधिक है। फर्जी यूनिटों के उन्मूलन का कार्य किया जा रहा है। फर्जी यूनिटों के बनने के लिये कोई कर्मचारी यदि उत्तरदायी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधिकारी, बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

9--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

क्या शासन को ज्ञात है कि जिला अधिकारी, बाराबंकी के द्वारा बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता ने गन्ना आयुक्त, गन्ना मंत्री को माह जनवरी, 1975 में दिया था? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कोई जांच का आदेश दिया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, जांच के आदेश दिये गये हैं।

10--श्री बाबू लाल वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

बहराइच जिले के ग्राम सभाओं के मजरों के परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मांग

11--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

उत्तर प्रदेश विधान सभा के तृतीय सत्र के दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 की कार्य सूची के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले की सिरसिया विकास खंड के 16 ग्राम सभाओं के सम्पूर्ण मजरों के परिवारों को राशन कार्ड अब तक उपलब्ध करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद से ब्लैंक राशन कार्ड फार्म प्राप्त कर लिये गये हैं तथा 22 मार्च, 1975 को खंड विकास अधिकारी, सिरसिया को उपलब्ध करा दिये गये हैं जो उनके द्वारा तैयार करके जारी किये जा रहे हैं।

मुरादाबाद नगर में सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा गेहूं, चावल और चीनी का वितरण

12--श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद नगर में सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु गेहूं, चावल तथा चीनी का कितना-कितना कोटा प्रतिमास वर्ष 1974 में दिया गया तथा महीने का कोटा उस महीनों की किस तिथि को दुकानदारों को मिला? नगर में कितने राशन कार्ड बने हुये हैं तथा उनकी कुल यूनिटें क्या हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1205-1206 पर।)

13--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

मिट्टी के तेल के दुकानदारों से एग्रीमेन्ट भराने के आदेश

14—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री दशरथ सिंह—

क्या खाद्य मंत्री को यह जानकारी है कि उप सचिव, खाद्य उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या 8675/उन्तीस–आ0–ब0–1–3–(के0 ओ0)–74 के द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को मिट्टी तेल की संशोधित वितरण प्रणाली का पत्र भेज कर समस्त मिट्टी के तेल के दुकानदारों से एग्रीमेन्ट भराने के आदेश प्रसारित किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। यह इस लिये किया गया है कि मिट्टी के तेल की जन–वितरण प्रणाली अधिक सुव्यवस्थित हो, जनता को तेल सुगमता से उपलब्ध हो सके और तेल की कालाबाजारी व जमाखोरी न होने पाये। इस योजना के पूर्ण कार्यान्वयन के लिये यह आवश्यक था कि नया फुटकर लाइसेन्स देते समय या पुराने लाइसेन्स का नवीनीकरण करते समय अनुबन्ध पत्र भराया जाय।

बहराइच जिले के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में आवंटित किया गया गल्ला

15—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि जनवरी, 1975 से अब तक बहराइच जिले के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सस्ता गल्ला वितरण हेतु, कितनी मात्रा में गल्ले का आवंटन हुआ है और उससे कितनी दुकानें कहां–कहां पर खोली गयीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जनवरी, 1975 से अब तक बहराइच जिले के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण हेतु केवल 500 कुन्टल मक्का आंवंटित की गयी है जिसके वितरण हेतु सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ग्यारह सस्ते गल्ले की दुकानें निम्न स्थानों पर कार्य कर रही हैं :

1—भरथाकलां
2—शहापुर बरगदवा
3—परसोहना
4—लक्ष्मनपुर
5—रामपुर देवमन
6—चेलाही
7—पूरे प्रसाद
8—लक्ष्मनपुर कोडरी
9—तिलकपुर
10—राजापुरानी
11—किशुनपुर चोरवामारी

देवरिया जनपद में पावर क्रशर लगाने के लाइसेन्स

16—श्री हरिकेवल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया, जनपद में कोई क्रशर मिल सरकारी एवं गैर–सरकारी खोलने का आदेश शासन ने दिया है ? यदि हां, तो उसका पता और नाम क्या है तथा उक्त क्रशर मिलों में कितने दिन में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

देवरिया जिले में वर्ष 1974–75 में शासन द्वारा कोई क्रशर लगाने का आदेश नहीं दिया गया है परन्तु देवरिया जनपद में वर्ष 1974–75 में श्री मारकन्डे कुमार पाण्डे, वैद्य-

नाथ कुमार पाण्डे, फर्म शिवा खण्डसारी प्रतिष्ठान के नाम ग्राम सिसवां पोस्ट कसया, तहसील पडरौना, जिला देवरिया में एक पावर क्रशर 13×18–अलावा, हाईड्रालिक तथा दो शक्ति चालित केन्द्रापग का लाइसेंस दिनांक 29–8–74 को जारी किया गया। इकाई स्वामी के अनुसार इसमें अप्रैल, 1975 में उत्पादन प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

मिर्जापुर जिले के नारायणपुर प्लास्टिक वर्क्स और नारायणपुर दियासलाई उद्योग के विरुद्ध शिकायती–पत्र

17––श्री ओम प्रकाश सिंह––

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिसम्बर, 1974 के अन्तिम सप्ताह में नारायणपुर (मिर्जापुर) के (1)–नारायणपुर प्लास्टिक वर्क्स तथा (2) नारायणपुर दियासलाई उद्योग नाम फर्जी फर्मों के बारे में पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या जांच करायी गयी और उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री इस्तफा हुसैन––

जी हां। दोनों संस्थाओं के विरुद्ध की गयी शिकायतें निराधार पाई गयीं।

मिर्जापुर जिले के नगर चुनार, अहरोरा आदि के अन्तर्गत राशन का वितरण

18––श्री ओम प्रकाश सिंह––

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर का जिला प्रशासन मिर्जापुर नगर चुनार नगर एवं अहरोरा नगर की जनता, पुलिस, पी0 ए0 सी0 तथा जेल को प्रति माह प्रति यूनिट कितना कौन गल्ला जनवरी, 1974 से अबतक दिया है ? क्या इतनी ही मात्रा में गल्ला दूसरे पास के जिलों में भी दिया जाता रहा है ? यदि नहीं, तो यह अन्तर क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी––

जिला प्रशासन द्वारा मिर्जापुर नगर चुनार नगर एवं अहरोरा नगर की जनता पुलिस पी0 ए0 सी0 तथा जेल को प्रति माह प्रति यूनिट जनवरी, 1974 से दिसम्बर, 1974 तक दिये गये खाद्यान्नों की तालिका संख्या सदन के पटल पर रख दी गई है। विभिन्न जिलों को किये जाने वाले आवंटन से स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुये खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है। इस समय प्रदेश में प्रचलित वितरण की दरें तालिका संख्या 2 में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1207–1208 पर।)

गोंडा जिले में सहकारी चीनी मिल की स्थापना की मांग

19––श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री दशरथ सिंह––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितनी सहकारी चीनी मिल लगाये जाने का प्रस्ताव सन् 1975 में स्वीकार किया है ? क्या गोंडा के पास भी मिल लगाने का विचार कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

वर्ष 1975 में नई सहकारी चीनी मिल की स्थापना का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। गोंडा के पास फिलहाल नई चीनी मिल लगाने की कोई योजना नहीं है।

20––श्री ओम प्रकाश सिंह––

[6ठें सोमवार के लिये स्थगित।]

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 1975 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 29 मार्च, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री फजलुर्रहमान की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

जिला मैजिस्ट्रेट, बहराइच ने अपने तार दिनांक 29 मार्च, 1975 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री फजलुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा 28 मार्च, 1975 को रात में 9.15 बजे मिहीपुरवा में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं।

वन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल माननीय मोतीलाल जी ने माननीय वन मंत्री के विरुद्ध दिया है। चूंकि इस समय मंत्री जी नहीं हैं, मैं इसे उनके पास स्पष्टीकरण के लिये भेज रहा हूं। उसके बाद इसको लूंगा परसों-नरसों।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, नियमावली में यह है कि जिसके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न हो उसे आवश्यक रूप से सदन में रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन फिर भी।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

केन्द्रीय सरकार की एक योजना है अयोध्या में आज, उसके सिलसिले में वे वहां गये हैं और स्पीकर से उनकी अनुपस्थिति के लिये मैंने क्षमा मांग ली है।

विश्वकप विजेता भारतीय हाकी टीम को आमंत्रित करने के लिए नियम ११० (१) के अन्तर्गत प्रस्ताव

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

मैं, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 110(1) के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि विजयी हाकी टीम को अपनी कार्यवाही देखने के लिये यह सदन सादर आमन्त्रित करता है। यह मैं नियम 110(1) में देता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

बेहतर होगा, उस हाकी टीम को सदन में बुला लिया जाए। लोक सभा में भी हुआ था, यहां उनका सम्मान किया जाए।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, जिस अच्छे विचार से माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आपको स्मरण होगा कि जिस दिन हमारी विजय हुई थी, उसी दिन सदन ने उनको बधाई दे दी थी। यदि पुनः सदन बधाई देना चाहे तो बिजयी हाकी टीम के लखनऊ आगमन पर हम सब उनका स्वागत करते हैं और इस प्रकार हम उनको उनकी विजय के लिये पुनः मुबारकवाद देते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव आप स्वीकार कर लें और उसे कह दिया जाए।

इसी संबंध में दो निवेदन मुझे और करने हैं। चूंकि वे लोग यहां हैं और उत्तर प्रदेश की सारी जनता द्वारा सायंकाल 4.45 बजे स्टेडियम में उनका सार्वजनिक अभिनन्दन है, उस समारोह में सभी माननीय सदस्य भी उपस्थित रहना पसन्द करेंगे। अतः नेता विरोधी दल से मैंने प्रार्थना की थी और नेता जनसंघ से भी कि आज यह सदन 4 बजे कार्यवाही करके उठ जाए और शेष कार्यक्रमों को आगे बढ़ा दिया जाए। इस पर नेता विरोधी दल का यह परामर्श था, उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को रख सकते हैं बशर्ते खाद्य के सम्बन्ध में चर्चा ऐसे दिन हो, जब वह उपस्थित रह सकें। तो फिर वह 4 तारीख को, 3 तारीख को छुट्टी है और इधर कठिनाई है, यह भी प्रस्ताव है कि खाद्य के सम्बन्ध में 4 तारीख को उतने घंटे जितने का आपने निर्णय ले रखा है उस सिलसिले में बहस हो जाय। तीसरे, शेष कार्यक्रम जैसा आप ठीक बैठाना चाहें, बैठा दें। चूंकि बजट पर बहस चलती रहनी है और कल भी चलती रहनी है इस लिये वोटिंग का प्रश्न आज है नहीं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन आज चार बजे अपनी कार्यवाही बन्द करे और उनके सम्मान में दिये जाने वाले अभिनन्दन में माननीय सदन के सदस्यों को शामिल होने का मौका दें।

एक और सूचना देनी है माननीय सदस्यों को। राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि हम उत्तर प्रदेश के ऐसे खिलाड़ियों को जो वृद्ध हो जायं और आर्थिक संकट में हों तो उनको सहायता देने के लिये एक ट्रस्ट बनाया जाय। उस ट्रस्ट का पदेन चेयरमैन चीफ मिनिस्टर रहे और नेता विरोधी दल भी उसके सदस्य रहें। ट्रस्ट डीड वगैरह उनको दिखा कर हम बनाएंगे। एक लाख रुपया हम उसमें देंगे। वह सीड कैपिटल की तरह काम करेगा। केन्द्रीय सरकार ने इनकम टैक्स में भी शायद कुछ परिवर्तन किया है, या नियम बनाये हैं कि अगर कोई फर्म खेल की तरक्की के लिये जो रुपया देगी वह इनकम टैक्स फ्री होगा। हम आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो हमारे धनिक वर्ग के लोग हैं वह उसमें रुपया देंगे और इस तरह इस ट्रस्ट में कोई बड़ी मद इकट्ठा कर सकेंगे। जिसके सूद से हमारे उत्तर प्रदेश के उन खिलाड़ियों को जो उच्च कटेगरी के हैं जिन्होंनें इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त की है इंटरनेशनल खेलों में बाहर के देशों में कोई पदक प्राप्त किया हो या बिजयी हुए हों या उत्तर प्रदेश के वह जिन्होंने भारत के किसी रेकार्ड को तोड़ा हो, भारत के खिलाड़ियों का रेकार्ड तोड़ा हो या सम्मान बढ़ाया हो, इस तरह से मोटा-मोटा रखा है। शेष जैसा मैंने कहा, चूंकि यह सिर्फ एक विचार है जिसको स्वरूप देते वक्त नेता विरोधी दल से भी सम्पर्क करेंगे। वहां अभिनन्दन में कहने के पहले मैंने उचित समझा कि मैं सदन को इस निश्चय से अवगत करा दूं। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव किया है, माननीय सदन स्वीकार करेगा।

(तालियां)

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक आज सदन की कार्यवाही स्थगित करने का प्रश्न है चार बजे, मैं उससे सहमत हूं। विरोधी पक्ष की तरफ से उनका अभिनन्दन करने में भी मैं माननीय नेता सदन से सहमत हूं। लेकिन जो ट्रस्ट कायम करने की बात की जा रही है, मैं समझता हूं कि एकदम से प्रस्ताव आया है माननीय मुख्य मंत्री जी के मन में, उस पर जरा गौर करने की जरूरत होगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आप से भी सलाह करेंगे ।

चौधरी चरण सिंह—

उसके सिलसिले में अभी कुछ अर्ज करना नहीं चाहता हूं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय मुख्य मंत्री ने जो ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव किया है उसमें मेरा एक संशोधन है। जो उन्होंने प्रस्ताव किया है कि उसका एक्सआफिशियो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर हो और उसमें सदस्य विरोधी दल के नेता हों, मेरा कहना यह है कि उसमें जो उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ट खिलाड़ी हैं वहीं चेयरमैन हों और उन्हीं को कमेटी में रखा जाय । राजनीतिक लोगों को न रखा जाय ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वह प्रस्ताव का भाग नहीं है । वह सिर्फ सूचना है ।

श्री अध्यक्ष—

अब, मैं समझता हूं कि नेता सदन व नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है उससे सब की सहमति है । (कोई आपत्ति नहीं की गयी) ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, एक बात मैं और चाहता था । उनका मैच हो जाता, हम सब लोग देख लेते तो बड़ा अच्छा होता ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हमने प्रार्थना की थी । लेकिन उन्होंने निश्चय किया है कि किसी प्रदेश में कोई मैच नहीं खेलेंगे । तो उनके ऊपर जबरदस्ती मैच नहीं लाद सकते ।

ओला वृष्टि से सम्बन्धित वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंधी, तूफान एवं ओला वृष्टि से रबी की फसल को क्षति के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य । मैं समझता हूं कि अगले दिन के लिये.....

एक सदस्य—

दिल्ली में विजयी हाकी टीम को पार्लियामेंट में बुलाया.....

श्री अध्यक्ष—

अब ओला वृष्टि के सम्बन्ध में वक्तव्य होने वाला है उसको आज न लेकर आगे लिया जायेगा ।

एक सदस्य—

माननीय अ[illegible] खिलाड़ियों ने पार्लियामेंट देखना चाहा था उनको वहां सम्मान दिया गया [illegible] अपनी विधान सभा देखने के लिये सम्मान दिया जाय तो अच्छा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष--

अगर वे आयेंगे तो उनको सम्मान के साथ जो उनका स्थान है हम उनको वहां पर बिठावेंगे। लेकिन यह उनके ऊपर है। हम तो उनसे नहीं कह सकते हैं कि आप विधान सभा देखने जरूर ही आइये।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है? क्या प्रश्न आप उठाना चाहते हैं?

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय त्रिवेणी सहाय जी आप क्या प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री त्रिवेणी सहाय--

आप अभी जो माननीय माल मंत्री जी से ओला वृष्टि के सम्बन्ध में वक्तव्य दिलवाने जा रहे थे उसके बारे में क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष --

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी जो भावनायें सदन में व्यक्त की गयी हैं उनको देखते हुये उसे किसी दूसरे दिन के लिये टाल दिया है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

अभी 24-25 की रात को काफी ओला वृष्टि प्रदेश के विभिन्न भागों में हुई है, उसके सम्बन्ध में भी सरकार पूरी सूचना मंगाकर अगर वक्तव्य दे तो ज्यादा अच्छा रहगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, वह विवरण भी आ जावे।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

जैसा मान्यवर, लारी साहब ने कहा है कि 24-25 की रात को जो ओला वृष्टि हुई है, उसकी रिपोर्ट मंगा ली जाय।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

प्रदेश के जिन-जिन भागों में ओला वृष्टि हुई उन सबकी पूरी सूचना और विवरण आ जावे तो ठीक रहगा।

श्री अध्यक्ष--

अगर पूरी सूचना होगी तो उसके लिए कुछ दिन के लिए टालना पड़ेगा।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

जो 301 में मैंने सूचना दी थी क्या उसको आप आज ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं।

श्री राम समुझ तिवारी (जिला बस्ती)—

ओले के सम्बम्ध में जो वक्तव्य होना था आज वह फिर कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आज तक की स्थिति को बताते हुये तो कम से कम 10 दिन उसमें लग जावेंगे। क्योंकि और दूसरी जगह भी जैसाकि लारी साहब ने कहा है काफी नुकसान हुआ है तो उसका आगणन कराना सरकार के लिये जरूरी है।

श्री राम समुझ तिवारी—

गवर्नमेंट से तीन दिन के लिये कहिये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि आज तक जो नुकसान हुआ है वह भी उसमें जोड़ कर विवरण दिया जाय, तो समय उसके लिये चाहिये।

श्री राम समुझ तिवारी—

25 तारीख को ओला पड़ा है और आज 31 तारीख हो गयी। 6 दिन तो वैसे ही गुजर गये और अब ज्यादा समय देने से लाभ कुछ होगा नहीं, जानवरों के लिये चारा नहीं है, आदमियों के लिये खाना नहीं है, तबाही और बरबादी काफी हो गयी है, इसलिये 10 दिन का वक्त मत दीजिये, सिर्फ 3 दिन का टाइम दीजिए और सरकार से कहिये कि इतने समय में सारा विवरण मंगा कर दे देंवे।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा कर दूंगा। प्रश्न यह है.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अभी हमारे माननीय तिवारी जी ने जो कहा है वह बिलकुल ठीक है। बस्ती जिले में बहुत सी जगहों पर ओले पड़े हैं और अगर इसमे सहायता पहुंचाने में देरी होगी और विवरण हाऊस में नहीं आयेगा तो कटनी का वक्त आ रहा है और बाद में कोई सहायता पहुंचाने से मैं समझता हूं कि पैसा बेकार में खर्च होगा। इसलिये यह जरूरी है कि माल मंत्री जी जिला मैजिस्ट्रेटों को आदेश दें कि वे जितनी जल्दी हो सके जांच पूरी कर लें नहीं तो फायदा नहीं हो सकेगा और उस समय तक लेवी की वसूली स्थगित यह सरकार कर दे।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, जल्द से जल्द हो जायगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब 5 सूचनायें मिली हैं नियम 56 की। एक तो माध्यमिक शिक्षकों के बारे में है। यह जो सूचनायें हैं माननीय त्रिवेणी सहाय, माननीय दशरथ सिंह, माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा, माननीय हरिकेवल, माननीय मोहनलाल जी कपूर, माननीय श्रीनारायण, माननीय आशाराम यादव तथा माननीय जितेन्द्र कुमार अग्रवाल की, उनके बारे में शिक्षा मंत्री का बयान आज ही हो जावेगा।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

आज तो 4 बजे तक ही है सदन .....।

श्री अध्यक्ष—

उससे पहले हो जावेगा। साढ़े तीन बजे के बाद इसको ले लेंगे।

श्री मोहन लाल कपूर—

श्रीमन्, आज शिक्षा का बजट है, उससे पहले ही हो जावे तो बजट में उस पर विचार करने म सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष—

साढ़े तीन बजे के बाद वह आज हो जावेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

शिक्षा के अनुदान पर आज बहस है अगर उस बहस के प्रारम्भ होने से पहले ही कह दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

उस समय आ जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

स्टेटमेंट तो उनके पास तैयार होगा ही उसके पहले ही वह दे दें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, वह उस समय हो जावेगा। अब आगे का काम चले।

अब एक माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी का है। उनका कहना है कि वाराणसी से दिल्ली जाने वाली काशी विश्व नाथ एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ने से नागरिकों पर रोक।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से आने नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आपने मेल से क्यों नहीं यात्रा कर ली, देहरादून एक्सप्रेस उसके बाद जाती है, उससे चल सकते थे। क्या यह तो नहीं है कि अदबदा के उसी गाड़ी से चलेंगे?

झगड़ा अदबदा कर मोल नहीं लेना चाहिये।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, जितने अधिकारी थे, सबने देखा है कि एक सम्प्रदाय की वहां पर पूजा की है। वहां पर जितने अल्पसंख्यक थे सबकी भावना पर ठेस पहुंचाया गया था। जिस समय आप ट्रेन पर चल रहे थे, उसी समय राष्ट्रीय ध्वनि बजाई गई है।

श्री अध्यक्ष—

इस सवाल को तो जब चाहे तब उठा सकते हैं। वहां पर ट्रेन गई, ट्रेन में रेल मंत्री जी गये।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, इसमें ट्रेन की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय कार्य-स्थगन का नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

अध्यक्ष महोदय, जहां पर जनतंत्र की बात है, सम्प्रदाय की बात है, राष्ट्रीय गाने और बाजे बजाये जा रहे, अध्यक्ष जी, यह काशी विश्व विद्यालय का सवाल नहीं है, बल्कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा है ।

श्री अध्यक्ष--

उसको हमने अस्वीकार कर दिया है । अब माननीय राम अधार ने जो लिखा है साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति के बारे में, यह कार्य स्थगन का विषय नहीं है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, आज आजमगढ़ जिले के अन्दर जो 26 मार्च को स्थिति थी, वहां पर हिन्दू मुसलमान भाइयों ने एक फिरके के अन्दर बैठकर निर्णय लिये, मान्यवर, आजमगढ़ के अन्दर मीटिंग में मैं भी था, वहां पर हिन्दू मुसलमानों ने तय किया कि हम बारावफात और होली का जुलूस निकालेंगे । इसके बारे में हम लोगों ने लिख कर दिया जिला मजिस्ट्रेट और एस0 पी0 को। मान्यवर, आज युवक कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि दोनों फिरकों के लोग अलग हो जायं ताकि हम सम्प्रदाय का वोट ले पावें । मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर एक विशेष स्थिति पैदा हो गई है ।

श्री अध्यक्ष--

आरोप आप अपने ढंग से लगा सकते हैं । यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है । यह अस्वीकृत किया । बहस तो हो सकती है लेकिन कार्य-स्थगन का विषय नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बाकी (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, सर्वहित कार्य समिति ने इस दंगे की पूरी अगआई की । इसी जमात में दूसरे लोग भी शामिल हो गये थे । उस समय पुलिस अधिकारी श्री श्रीवास्तव और उप पुलिस कप्तान ये दोनों लोग वहां पर खड़े रहे । पुलिस अफसरों की वजह से यह हो रहा है । इस सिलसिले में मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि सरकार से यह बयान दिलाया जाय । आजमगढ़ में आज भी करफ्यू लगा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष --

यह ठीक है । मैंने यह कहा कि यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है । लेकिन इस पर अगर 5 1 में वक्तव्य चाहेंगे तो देख लिया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, वक्तव्य दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है । इस समय हम कार्य-स्थगन देख रहे हैं । 5 1 का देखेंगे तो देख लिया जायगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ध्वनि बजती रही । यह राष्ट्र का अपमान है .....

श्री अध्यक्ष--

यह कार्य स्थगन का विषय कैसे हो सकता है ? आप कह सकते हैं बजट पर, भाषण में । रेल मंत्री गोर रेल चले, चले या न चले, यह तो राय का विषय है ।

श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, पूरे ढाई लाख का एक तरफा नुकसान हुआ है। वहां पर साम्प्रदायिक दंगे की स्थिति है।

श्री अध्यक्ष--

अगर साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में कोई ऐसी बात है तो चर्चा का विषय हो सकता है।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, इलाहाबाद में भी 29 तारीख को इसी तरह की घटना घटी है।

श्री मुहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, वहां दिक्कत यह है कि .....

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

एक-एक बोलें न। सभी बोलेंगे तो क्या सुना जायेगा?

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि हरिजनों के साथ ज्यादती न हो। यह और तरीके से यह इशारा है कि उनके साथ ज्यादती होनी चाहिये। इसीलिए यह जानबूझकर व्यवस्था नहीं रखते हैं। जानबूझ कर झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं। इसलिये यह जरूर स्वीकार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

अगर साम्प्रदायिक दंगों के बारे में वक्तव्य मांगेंगे तो 51 में देखूंगा।

श्री भामी (जिला आजमगढ़)--

13-14 दुकानें मुसलमानों की लूट ली गयीं। यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

इस पर चर्चा हो यह बहुत अहम मसला है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय चौधरी साहब। मान लिया वक्तव्य का है, तो फिर क्या है?

(व्यवधान के मध्य श्री शफीकुर्रहमान वर्क बोलते रहे)

श्री तीरथ राम कोहली--

मान्यवर, इलाहाबाद में भी .....

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, आप इसको अवश्य स्वीकार कीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आप बार-बार कहते हैं। तो मैं नहीं करता। जो कह दिया जाता है, उस पर फिर हल्ला मचा दिया जाता है। (व्यवधान) (शिक्षा मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोहन लाल कपूर--

श्रीमन्, आपने कहा था कि आप वक्तव्य दिला देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

पहले मांग पेश हो जाने दीजिए, फिर वे वक्तव्य देंगे ।

श्री मोहन लाल कपूर--

मान्यवर, 1 बजे से सत्याग्रह भी आरम्भ हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

वही बात तो कही है । अगर दोनों एक साथ रखे जायेंगे तो सब बोलने लगेंगे ।

श्री मोहन लाल कपूर--

श्रीमन्, आप पहले वक्तव्य दिला दें ?

शिक्षा अनुदान से सम्बन्धित साहित्य के देरी से बांटे जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

मान्यवर, आज ही 11 बजे के करीब शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित यह किताब बांटी गई है । इस सम्बन्ध में मैंने कई बार आपका व सरकार का ध्यान इस बारे में दिलाया लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि यह लिट्रेचर कुछ दिन पहले हम लोगों में बांटा जाय । मैं जानना चहता हूं कि इस तरह से लिट्रेचर को बांट कर क्या मखौल बनाया जाता है । आपके जमाने में भी अगर इस तरह से कार्यवाही होती रहेगी तो कैसे काम चलेगा ? समझ में नहीं आता कि ये इसे ठीक करा पायेंगे या नहीं ? जो रिपोर्ट हमें मिली है, वह आज ही प्राप्त हुई है।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मैं इसकी जांच कराऊंगा कि क्यों देर में बंटी है । मुझे ऐसा मालूम होता है कि प्रकाशन पहले हो चुका होगा लेकिन छुट्टियों के कारण यह बंट न सकी हो ।

श्री अध्यक्ष--

देर से तो आई है, क्योंकि हमारे पास भी आज ही आई है । माननीय असरार अहमद ने जो आपत्ति उठाई है, वह उचित है । आज 10 1/2 बजे यह हमारे कार्यालय आई है । विलम्ब का कारण शायद 4-5 दिन की छुट्टियां हों । मंत्री जी इसको देख लेंगे ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

ऐसा मालूम होता है कि ये 28 तारीख तक देखते ही रहेंगे । मेरा प्रस्ताव है कि एक ही दिन में ये सब ग्रान्ट्स ले लें ?

श्री अध्यक्ष--

आपकी आपत्ति उचित ही है । मैंने कहा था कि अनुदान के 3 दिन पहले यह साहित्य माननीय सदस्यों में बंट जाना चाहिये । माननीय संसदीय मंत्री ने अब कहा है वे इसको देखेंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य मुझे देना था वह तैयार हो रहा है । वह अब मैं ढाई बजे दूंगा ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

उसे पहले दिलवा दीजिए ?

श्री अध्यक्ष—

उसे बीच में दिलवा देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, इस बारे में मैंने भी एक सूचना दी थी। मान्यवर, शिक्षक लोग 31 तारीख से स्ट्राइक आरम्भ करेंगे। 3 तारीख से बोर्ड की परीक्षा होने वाली है।

श्री अध्यक्ष—

आज वह बयान ढाई बजे आयेगा, इस पर आप बहस करते रहें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, ये गिरफ्तार कर लेंगे तब बयान आयेगा।

1975–76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 28—शिक्षा तथा अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम—शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28–शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,89,07,02,800 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम—शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 56,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश ने शिक्षा की ओर जो क्रान्तिकारी कदम उठाया है उसको देखने से पता चलता है कि सरकार शिक्षा की ओर कितनी सजग और सचेत रही है। अगर आप पिछले चार साल का बजट देखें तो आपको मालूम होगा कि 72–73 में 111 करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपये का बजट था, 73–74 में 154 करोड़ 84 लाख रु0 का था, 74–75 में 174 करोड़ 50 लाख रुपये का था और इस साल 206 करोड़ 19 लाख, 43 हजार रुपये का बजट है, यानी पूरे बजट का 26.3 है। शिक्षा किसी भी देश और प्रदेश का आधार होती है जिससे बच्चे आगे चल कर शहरी होते हैं और देश की सेवा करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन पर इसी वजह से 53 परसेंट बजट का दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें। इस वक्त 74 लाख लड़के और 48 लाख लड़कियां प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रही है जबकि 50–51 में 24 लाख लड़के और 4 लाख लड़कियां पढ़ती थीं। जहां यह कहते हुये खुशी होती है कि इतने ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं वहां यह देख कर हमें अफसोस होता है कि जितने बच्चे प्राइमरी में दाखिल होते हैं उतने बच्चे 5वें दर्जे में नहीं पहुंच पाते हैं। अगर 100 बच्चे प्राइमरी में दाखिल होते हैं तो 25 ही 5वें दर्जे में पहुंच पाते हैं। इसके लिये एजूकेशन डिपार्टमेंट ने जो सर्वे कराया था उससे यह पता चला कि काफी बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते। यह कोई अच्छी चीज नहीं है।

देखने से पता यह चला कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण अकसर गांवों में लड़कों को अपने मां-बाप के साथ खेत पर जाना पड़ताहै जिसकी वजह से पढ़ाई की तरफ वह ज्यादा तवज्जह

[श्री अम्मार रिजवी]

नहीं दे पाते। शिक्षा विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है और इस बात की कोशिश की है कि स्कूलों का समय ऐसे वक्त रखा जाय जोकि उनकी कटाई वगैरह का काम न हो, बालाहार की स्कीमें चलायी जा सकें और क्लास रूम को इतना अट्रैक्टिव बनाया जा सके जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा तादाद में आ सकें। जो चीजें की जा रही हैं उससे कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ है और उम्मीद है कि जो इतने ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ पाते वह पढ़ेंगे। साथ ही साथ शिकायत बहुत से प्राइमरी स्कूलों की इमारतें नहीं हैं, कुछ में टाट पट्टी नहीं है, शिक्षा की वह सब सुविधायें नहीं हैं जो होनी चाहिये। इस बात को मानने से कोई शख्स इन्कार नहीं कर सकता। सरकार ने कुछ इमारतें बनवाने का प्रयत्न किया है। इस वक्त करीब 13,500 रुपये एक इमारत पर लागत आती है। सैन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिये से यह बिल्डिंग्स बनवायी जा रही हैं। उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया था। इरादा है कि पी0 डब्लू0 डी0 और वह, दोनों मिल कर इमारतें बनवायें। प्लैटो ने लिखा था कि बचपना वह जमाना होता है जब उसका चरित्र ढाला जा सकता है। अगर इस जमाने में लड़के को छोड़ दिया जाय तो आने वाले जमाने में हम कभी भी उसका कैरेक्टर फारमेशन नहीं कर सकते। इसलिये हमें बच्चों की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान देना होगा। जो लड़के प्राइमरी स्कूलों से जूनियर स्कूलों में आते हैं उन स्कूलों को 108 की लिस्ट में लिया गया और 151 जूनियर हाई स्कूल 1975-76 के आखिर तक बनाने का इरादा है। उनमें पढ़ने वाले लड़कों की इम्पार्टेन्स भी किसी माने में कम नहीं है, अधिक ही है। इनमें पढ़ने वाले लड़कों की संख्या 21 लाख है तथा लड़कियों की संख्या 7 लाख के करीब है। इनको स्काऊटिंग सिखाने का इन्तजाम सरकार कर रही है। इसके जरिये से लड़के अनुशासन सीखते हैं। अन्य जरूरी बातों को भी सीखते हैं इसलिये इसका इन्तजाम किया जा रहा है। इसके लिये योगाश्रम आदि की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी इनके पी0 टी0 कोर्स में की जा रही है। लड़कों की दाखिले की समस्या को हल करने के लिये डबल शिफ्ट चलाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

एक चीज और की गयी है जो अभी तक भारत में कहीं किसी सरकार ने चालू नहीं की है। पूरे प्रदेश में 10 हजार शिक्षकों को हमने ट्रेन्ड किया है। हर जिले से 8–8 शिक्षकों को इलाहाबाद में एक माह की ट्रेनिंग दी गयी है और उनसे सवाल बनवाये गये हैं ताकि एक प्रश्न बैंक खोला जाये और आब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो सके। यह तजुर्बा इसके पहले कभी नहीं किया गया है। इसके लिये सेन्टर ने हमें बधाई भी दी है।

पहले जिस प्रकार कापियां जांची जाती थीं उनमें कुछ लोग अपनी एप्रोच कर लिया करते थे, सिफारिश आदि एग्जामिनर के पास पहुंचाते थे। अब हमने पिछले साल से यह किया है कि सी0 पी0 एम0 टी0 की तरह कापियां एक जगह रखकर ही उनकी जांच हुआ करे। हाई स्कूल की कापियां जांचने का यह तरीका पिछले साल हमने अपनाया था, इस वर्ष भी यही तरीका चलाया जायेगा। यह सब जो सुधार किया जा रहा है यह निश्चय ही शिक्षा प्रगति की ओर एक बढ़ता हुआ कदम है।

इसी तरह से कैरीकुलम में भी सुधार किया जा रहा है। तमाम समस्याओं को सामने रख कर उसमें सुधार किया जायेगा।

छात्रवृत्ति जो पहले इन्टर क्लास के छात्रों को 16 रुपये दी जाती थी, वह अब 25 रुपये कर दी गयी है, तथा हाई स्कूल छात्रों को जो 10 रुपये दिये जाते थे वह अब 15 कर दिये गये हैं। हरिजन छात्रों की छात्रवृत्तियां भी बढ़ाई गयी हैं।

टीचर्स के लिये भी सरकारी स्कूलों के बराबर पे स्केल्स दिये गये हैं। ट्रीपिल बेनिफिट योजना भी उनके लिये चलायी गयी है, उसका लाभ भी उन्हें दिया जा रहा है। यह सब ऐसे कदम हैं जिनसे शिक्षकों की भलाई होगी। उनकी भलाई के लिये हमारा यह एक कदम है। इसके बाद हायर एजूकेशन के लिये, जिसे विश्व विद्यालय और महाविद्यालय की तालीम कहते हैं उसकेलिये भी हमारी सरकार ने जो कुछ किया वह मैं बतलाना चाहता हूं।

सेन कमेटी की एक रिपोर्ट आयी थी और उत्तर प्रदेश ही पहला सूबा था जिसने उस कमेटी की रिपोर्ट को उसी तरह से लागू किया जिस तरह से सेन कमेटी ने बतलाया था। भारतवर्ष के अन्दर किसी भी सूबे की सरकार ने यूनिवरसटी और कालेजों के शिक्षकों को इस ग्रेड की अनुमति नहीं दी और वह कहीं पर भी लागू नहीं किया जा सका लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे लागू किया। यह एक ऐसा क्रान्तिकारी कदम है जो पूरे भारत वर्ष में कहीं भी नहीं उठाया गया है। इसके अलावा जिस वक्त भारतवर्ष आजाद हुआ था उस समय यहां सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज थीं और 12 डिग्री कालेज थे और उस वक्त उनमें 30 हजार छात्र पढ़ते थे। जब कि इस वक्त यहां पर 19 यूनिवर्सिटीज और 253 डिग्री कालेज हैं। इस तरह से जो बढ़ोत्तरी हुई है यूनिवर्सिटी में वह चौगुनी है और लड़के जो पढ़ रहे हैं उनकी संख्या 29 गुनी बढ़ी है कालेजों में और 11 गुनी यूनिवर्सिटी में बढ़ी है।

ये तमाम सब चीजें ऐसी हैं जो बतलाती हैं कि शिक्षा की ओर हम लोग कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बी० एड० कालेजों के अन्दर बड़ा ही भ्रष्टाचार नजर आता है। मान्यवर, मुझे बतलाया गया कि जब लोग वहां पर दाखिले के लिये जाते हैं तो उनको हजारों रुपये देने पड़ते हैं फीस के रूप में,जिसका कोई पता नहीं लगता कि वह फीस कहां पर गयी और प्रबन्धक लोग उस फीस को खतम कर देते हैं। तो उसके लिये सी० पी० एम० टी० टाइप की एक स्कीम बनायी गयी है। जिन यूनिवर्सिटीज में बी० एड० के क्लासेज चलते हैं उनको लिख दिया गया है कि वे अपने यहां इस स्कीम को लागू करें ताकि भ्रष्टाचार को खतम किया जा सके। जिस तरह से सेंट्रल की बहुत सी स्कीमें चल रही हैं प्रदेश में जिसमें छात्रों को स्कालरशिप देते हैं, एन० सी० सी० है या नेहरू युवक कांग्रेस है, इन सब चीजों के द्वारा छात्रों को पैसे देते हैं कि कहत के खिलाफ, पिछड़ेपन के खिलाफ वे गांव-गांव में जायं और उनके लिये काम करें और वहां इस तरह से श्रमदान करें। इसके लिये उनको रोजाना कुछ दिया जायेगा। हर कालेज और यूनिवर्सिटी में इस स्कीम को चलाया जायेगा जिसके लिये केन्द्र की सरकार ने 5 लाख रुपया दिया है और उसका आधा प्रदेश सरकार ने देने का फैसला किया है।

मान्यवर, ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे हम यूनिवर्सिटी एजूकेशन की तरफ देखते हैं। साथ ही साथ एक बात और बतला दूं कि पिछले साल सिर्फ एक कालेज को छोड़ हमने किसी भी कालेज को अफिलिएशन नहीं दिया है क्योंकि हम लोगों ने विचार किया था कि अब तक जितने कालेज खुले हैं, उनको सुचारु रूप से चलाया जा सके, उनमें सुधार हो और उनको ऐसे लेविल पर लाया जाय जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके। इसके साथ-साथ आप जानते हैं कि यह हमेशा शिकायत रहती थी कि प्रबन्धक लोग डिग्री कालेज के टीचर्स की तनख्वाह वक्त से और पूरी नहीं देते हैं। इससे शिक्षकों में व्यापक असन्तोष था और अकसर यह कहा करते थे कि अच्छी शिक्षा उस समय तक नहीं दी जा सकती जब तक कि पढ़ाने वाले अध्यापकों और प्रोफसरों को पूरी तरह से शान्ति न हो कि उनको महीने के अन्दर वक्त से तनख्वाह मिल जायेगी। यह एक बड़ा ही जबरदस्त सवाल था। प्रदेश के सामने वित्तीय कठिनाई थी लेकिन वित्तीय कठिनाई के होते हुए भी प्रदेश की सरकार ने फैसला किया कि जिस तरह से इन्टर कालेज के टीचर्स के लिये सेलरी डिस्बर्समेंट स्कीम है उसी तरह से डिग्री कालेज के टीचर्स के लिये भी सेलरी डिस्बर्समेंट स्कीम लागू की जाय। मई महीने से सरकार इसी स्कीम के अनुसार उनको तनख्वाह देने जा रही है जिससे उन तमाम शिक्षकों को सर्विस की सुरक्षा भी प्राप्त हो सकेगी।

सरकार ने बहुत से एवार्डस् भी देने की स्कीम बनायी है और संस्कृत के लिये 1974-75 में 75 हजार रुपया इसके लिये दिया गया था लेकिन 75-76 में इसके लिये 2 लाख 35 हजार रखा गया है। वे पंडित लोग जिनको वेदों में महारत हासिल है और पुराने लोग हैं उनको यह एवार्ड दिया जायेगा। 15 हजार रुपये ऐसे 10 वेद पंडितों को दिये गये हैं। इस तरह से उर्दू की तालीम का इन्तजाम किया और एक रजिस्टर रखा गया कि जितने छात्र

[श्री अम्मार रिजवी]

उर्दू पढ़ना चाहते है तो वह रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और जब तादाद पूरी हो तो उनको उर्दू पढ़ाने का इन्तजाम करते हैं। जहां उर्दू को पढ़ाने की जगह खाली हैं उनको हम आशा करते हैं कि जल्दी ही पूर्ति करेंगे। पेन्शन और ग्रेचुटी की सुविधायें जो दूसरे अध्यापकों को दी गयी हैं वही उनको भी दी गयी हैं। इसी तरह याद होगा कि पिछले साल टेक्स्ट बुकों और कापियों की एक समस्या थी, उसका इस साल शासन ने प्रबन्ध किया है। किताबों और 10-10 कापियां हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट में देने का प्रबन्ध किया है। पुस्तकों को छपवाने और कागज का कोटा पब्लिशर को दिया है जिससे पिछले साल जो कठिनाई थी वह इस साल नहीं होगी।

मान्यवर, इसी तरह टेक्निकल एजूकेशन का जहां तक संबंध है तो उसका बड़ा शिक्षा में महत्व है। छात्र सोचते हैं कि पढ़ेगा तो वह क्या करेगा। उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिये उसको देखते हुये प्राविधिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में आगरा इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद पालीटेक्नीक और सिविल इंजीनियरिंग कालेज और हाथरस का पालीटेक्नीक कालेज—यह चार कालेज थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ नये पालीटेक्नीक कालेज खोले गये जैसे नैनीताल, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बड़ौत में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मोतीलाल नेहरू इजीनियरिंग और मदन मोहन मालवीय कालेज तथा सहारनपुर में एक कालेज खोला है। पालीटेक्नीक फैजाबाद, मिर्जापुर, आजमगढ़, कानपुर आदि स्थानों में खोले गये। यदि आप देखें तो रुड़की यूनिवर्सिटी जो है उसकी सारे संसार में ख्याति है। बाहर के देशों से छात्र यहां पढ़ने आते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि रुडकी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ अपने प्रदेश में ही नहीं बल्कि बाहर की मिलाकर 60 योजनायें चलायी हैं और उसकी एक लम्बी लिस्ट है जिसको मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। इस तरह रुड़की यूनिवर्सिटी ने 60 योजनाओं में योगदान दिया है। जब कोई प्रोजेक्ट का सवाल आता है तो उसमें इस यूनिवर्सिटी से मदद ली जाती है।

मान्यवर, इसी तरह एक इन्डस्ट्री लियाजा बनायी गयी है जिससे उद्योग और शिक्षा में सम्पर्क बना रहे। यदि टेक्निकल नो हाऊ की जरूरत हो तो जो टेक्निकल इक्सपर्ट हैं उनकी शिक्षा में मदद ली जा सके। इसलिये प्राविधिक शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया है। मान्यवर, प्रदेश बहुत बड़ा है और साधन सीमित हैं लेकिन आप जानते है कि शिक्षा को बहुत दिनों तक बरबाद किया गया और यहां की शिक्षा ऐसी है कि उससे बाबू पैदा किये जायं जिसका भारत से कोई तालुक नहीं है। सैकड़ों वर्षों से यह किया गया इसलिये 25 वर्षों में इसको दूर नहीं किया जा सका है। लार्ड मैकाले की योजना थी कि यहां ऐसी शिक्षा दी जाय जिसका संबंध यहां से न हो। इस उद्देश्य के खिलाफ एक ऐसा एजूकेशनल सिस्टम यहां बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस प्रकार अंग्रेजी में एक कहावत है कि 'रोम वाज नाट बिल्ट इन ए डे' उसी प्रकार वैसा एजूकेशनल सिस्टम बनाना इन 27 सालों में एक नामुमकिन काम है। इस वजह से गलती तो जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ कठिनाई भी है और इसमें सुधार की जरूरत है जिसके बगैर यह देश तरक्की नहीं कर सकता। उसके लिये समय की जरूरत होगी, उसके लिये सहयोग की जरूरत होगी और उसके लिये रचनात्मक आलोचना की जरूरत होगी और एक ऐसा दिन आयेगा जिस वक्त भारतवर्ष के मैप में उत्तर प्रदेश एजूकेशन सिस्टम के मैप पर सबसे आगे होगा और हम लोग एक ऐसी मंजिल पर पहुंचेंगे जहां पर दूसरे देखने वाले हम लोगों की तारीफ करेंगे।

*श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, पिछले वर्ष शिक्षा के बजट पर कटौती का प्रस्ताव हमारे सहयोगी माननीय मलिक जी ने रखा था, तब उस ओर से अनेक बार यह कहा गया था कि वह कुछ सुझाव दें। उन्होंने अनेक सुझाव दिये थे, लेकिन बार-बार टीका-टिप्पणी की गई। मैं उन माननीय सदस्यों से आग्रह करना चहता हूं कि जितने भी प्रश्न मैं अपने भाषण में करने जा रहा हूं, जितनी भी आलोचना करने जा रहा हूं उसके पैरलल सुझाव भी दूंगा और अगर उन्हें कुछ कहना है तो वह कहें, कल मैं उनका उत्तर दे दूंगा।

इससे पहले कि मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर भाषण शुरू करूं, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह यहां पर शान्ति से बैठें और नये सदस्यों को प्रोत्साहित करें. . . . .

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं और माननीय मंत्री जी सुन नहीं रहे, तो जबाब क्या देंगे ? वह अब भी नहीं समझ रहे हैं. . . . . .

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जब तक मैं सदन में बैठा रहूं, उस वक्त तक माननीय सदस्य मेरे ऊपर ध्यान रखेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

होली की वजह से ऐसा है. . . . . .

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां, होली की वजह से। माननीय मालवीय जी ने पहली मर्तबा बहुत अच्छी बात कही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, इस देश में ही नहीं सम्पूर्ण जगत में शिक्षा समाज के लोगों में हमेशा प्राण के रूप में काम करती है। शिक्षा समाज की जननी है, शिक्षा समाज को प्रेरणा देती है, उसका मार्ग-दर्शन करती रहती है। जो अंधकार में है उनको प्रकाश देती है और इतना ही नहीं वह अर्थ की कभी पुजारी नहीं रही है और राजनीति हमेशा शिक्षा की दासी रही है। लेकिन आज 27 साल में देश की जो स्थिति बनाई है शिक्षा की इस शासन ने उसके अनुसार आज शिक्षा राजनीति तथा अर्थ दोनों की दासी बन कर समाज में पल रही है। शिक्षित ही नहीं आज अशिक्षित भी उसका मखौल उड़ा रहा है और आये दिन सुनने को मिलता है कि डिग्री प्राप्त करके क्या करना है, बेकार ही घूमना है तो हमारा लड़का पढ़ने नहीं जायगा। यह भावना पहले नहीं थी। यह शिक्षा की आज स्थिति है। आज मंत्री जी ने अनुदान पेश करते हुए डेटा पेश किया किस तरह समय-समय पर शिक्षा का बजट बढ़ाया गया। मैं कहता हूं शिक्षा की आज वह दुर्गति हो गयी है, शिक्षा की नीतियां इतनी पथभ्रष्ट हो गयी हैं, इतनी अनुपयोगी हो गयी हैं, इतनी उलझी हुई हैं, अस्पष्ट हैं कि आप बजट का सारा का सारा पैसा खर्च कर दें तो भी शिक्षा से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यह होगा जैसे एक रोगी शरीर में आप चाहें जितने फलों का शर्बत पिला दें उससे कोई भला नहीं होगा जब तक आप सुचारु रूप से उसकी दवा न करें। बताया गया कि अब 26 परसेंट शिक्षा का बजट हो गया है। उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपने निर्माण कार्य पर कितनी प्रगति की है ? पिछले वर्षों की अपेक्षा जितना बजट बढ़ाया है वह वेतन तथा भत्ते पर बढ़ाया है। आपने निर्माण कार्य पर तथा वेतन भत्तों पर कितना-

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

कितना बढ़ाया इसकी अलग-अलग व्याख्या नहीं की है ? स्थिति आज यह है कि निर्माण में जो पहले वर्षों में राशि थी आज वह नहीं है। सारा बजट आपने महंगाई भत्ता तथा वेतन में दे दिया है।

शिक्षा मंत्री ने बेसिक शिक्षा से अपनी बातें शुरू की हैं। मैं भी बेसिक शिक्षा से ही अपनी बातें शुरू करूंगा। लेकिन एक बात बतला दूं मंत्री जी ने केवल यह बतलाया कि इतना वेतन बढ़ा दिया, इतनी संस्थायें खोल दीं। लेकिन जो आज शिक्षा की समस्यायें हैं, उलझे हुए प्रश्न हैं, उसकी उपयोगिता है उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। नीतियों में वह क्या परिवर्तन ला रहे हैं इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं बतलाया। सिर्फ हमेशा की तरह पेच बर्क कर दिया है। प्रश्न आज यह नहीं है कि कितनी संस्थायें खोल दीं, कितने विद्यार्थी बढ़ गये और कितने डिग्री प्राप्त कर लेंगे। प्रश्न आज यह है कि शिक्षा की उपयोगिता क्या है ? उससे क्या कोई प्रेरणा प्राप्त कर रहा है ? इसका उत्तर नहीं दिया गया। प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा में जो कमियां हैं उनमें जो नीतिगत दोष हैं उनको दूर करने के लिये कोई आमूल परिवर्तन इन 27 सालों में नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में भी वर्तमान नवयुवक मंत्री महोदय ने सदन को निराश ही किया।

बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में मैं बतलाना चाहता हूं कि विश्व के जो समृद्धिशाली देश हैं और भारत भी जब अपनी समृद्धि के शिखर पर था और वह शिक्षा जगत में विश्व का नेतृत्व कर रहा था और जगतगुरू कहा जाता था, उस समय सबसे अधिक बल था तो प्राइमरी शिक्षा, पर। आपने प्राइमरी शिक्षा पर बजट बढ़ा दिया लेकिन नीतिगत जो मूल सुधार होना चाहिये वह सुधार नहीं किया गया। वही घिसी पिटी पुस्तकें, वही एक, दो, तीन तथा चार रटा देना क्या यही शिक्षा नीति चलती रहेगी या आप इसमें कोई सुधार भी करेंगे और उसका कोई मूल उद्देश्य भी निर्धारित करेंगे ?

आज शिक्षा जगत में आवश्यकता है उसकी नैतिकता और उसका चारित्रिक निर्माण। यही सबसे मूल प्रश्न है। शिक्षा जगत में आज नैतिकता और चारित्रिक निर्माण का कोई स्थान नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछता हूं और उत्तर के समय अपने भाषण में वे बतायें कि बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक आप नैतिकता और चारित्रिक निर्माण पर कितना बल देते हैं। कहने के लिये तो आप कह देते हैं कि किताबों में यह बातें दी गई हैं लेकिन नैतिक और चारित्रिक शिक्षा किसी स्तर विशेष पर बल दे कर दी जा रही हो, यह आप बतला सकते हैं, नहीं बतला सकते हैं। मेरा कहना यह है कि प्राथमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य नैतिक और चारित्रिक शिक्षा होना चाहिये। यही स्तर होता है जबकि छात्रों के जीवन का निर्माण होता है. यहीं से छात्र अपने जीवन चरित्र का निर्माण करता है, यहीं से देश और प्रदेश की भावी पीढ़ी का निर्माण होता है, यही छात्र की आधार शिला होती है जिस प्रकार की किसी मकान की होती है, इसी पर उसका जीवन निर्भर करता है और यह है नैतिकता और चारित्रिक गुण। यदि आपने इसे नैतिक और चारित्रिक नहीं बनाया तो चाहे जितना बजट आप बेसिक शिक्षा पर खर्च कर दें, हर गांव में स्कूल खोल दे उससे कुछ होने वाला नहीं है वह चरित्रहीन होगा और आज की ही तरह से उसका भविष्य भी बना रहेगा। बेसिक शिक्षा का मूल आधार क्या है और क्या होना चाहिये, इस पर मैं बाद में कहूंगा। माननीय मत्री जी ने कहा कि हम टाट-पट्टियों और मकानों का इन्तजाम करेंगे। यह आप 27 सालों से करते चले आ रहे हैं। जो वातावरण आज बेसिक शिक्षा का है उस वातावरण में कोई भी नव युवक बल्कि बालक बैठकर नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का अध्ययन करेगा, अपने भावी जीवन का निर्माण करेगा, यह सम्भव नहीं है।.....

(इस समय 1 बजकर 4 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुये।)

जहां छात्र पेड़ के नीचे बैठते हों, धूप खाते हों, पानी सहते हों, डेली रुटीन के अनुसार अध्यापक पाठ्यक्रम पढ़ाते हो , छात्र के पेट में भोजन न हो, स्कूल में धूल उड़ती हो, गन्दगी हो, इन परिस्थितियों में क्या स्वच्छ मन बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। जो प्राइवेट सेक्टर में शिक्षण संस्थायें चलती हैं वहां अध्यापकों का किस तरह से शोषण हो रहा है। उसमें आपने कोई रोक नहीं लगाई है। कोई निर्धारित वेतन अध्यापकों को वहां नहीं दिया जाता है। एक ओर तो फिफ्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिये एर्थ क्लास पास व्यक्ति को रखा जाता है और दूसरी ओर उसी फिफ्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिये पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति रखा जाता है और इस प्रकार निर्धारित वेतन भी उसे नहीं दिया जाता है। दोनों जगह असंतोष है। उच्च मस्तिष्क और अच्छे स्तर के अध्यापक नहीं रखे जाते हैं। मेरी मांग है कि प्राइमरी शिक्षा का आप स्टैंडर्ड बढ़ायें। जब तक आप यह नहीं करेंगे, जब तक उसमें सुधार नहीं लायेंगे तब तक कोई प्रगति इस क्षेत्र में नहीं हो सकती है। पैसा बढ़ा देने से शिक्षा का सुधार नहीं होगा। अध्यापक कितनी रुचि से छात्रों को पढ़ाता है और छात्र कितनी रुचि एवं लगन से या स्वच्छ मन से पढ़ता है इन दोनों का मेल बिठाना होगा। अगर आप यह मेल नहीं बिठायेंगे तो प्राइमरी शिक्षा मे सुधार सम्भव नहीं है।

दूसरी बात जिस तरह से आज सुबह फर्जी फर्मों की चर्चा हुई उसी तरह से शिक्षा में भी आप कोई भी नगर ऐसा नहीं है जहां पर कि फर्जी विद्यालय न हों। सरकार उनको अनुदान देती है लेकिन कोई भी छात्र वहां से पढ़ कर नहीं निकलता है इस तरह से एक व्यापार इसको लोग बनाये हैं। इसको रोकने के लिये तुरन्त कदम उठाना चाहिये। यह जनता के धन का दुरुपयोग है। मेरी मांग है कि आप तत्काल एक उच्चस्तरीय अधिकार संपन्न समिति बनायें जो हर नगर और हर जिले में ऐसे स्कूलों की जांच करे और दो महीने के अन्दर रिपोर्ट करे। यह शिक्षा जगत के साथ चोरबाजारी है यह मेरा स्पष्ट आरोप है कि अगर इसको रोकने के लिये सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है तो इसमें वह भागीदार है। आपने बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए कुछ कदम उठाये। 1972 में कमलापति त्रिपाठी जी जब यहां पर मुख्य मंत्री थे उस समय बेसिक शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिये बेसिक शिक्षा परिषद् बनाई क्योंकि जिला परिषद् जो थी वह ठीक से प्रबंध नहीं कर रही थी। जिला परिषद् के सदस्य सरकार के अनुदान को दूसरी मदों में खर्च कर देते थे। अयोग्य अध्यापकों को पैसा लेकर ट्रेनिंग के लिये भेज देते थे और इसी तरह से अयोग्य अध्यापकों को भर्ती भी करते थे। इतना ही नहीं ट्रांसफर के लिये भी पैसा लिया जाता था। माना कि आपने बेसिक शिक्षा में सुधार करनेके लिये परिषद् बनाई लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो पहले जिला परिषद् के सदस्य शोषण करते थे जो पहले लोगों का, छात्रों का, अभिभावकों का शोषण करते थे जब वह काम बेसिक शिक्षा अधिकारी करने लगे हैं। वह किसी भी तरह से सदस्यों से कम नहीं हैं जो पैसा लेकर शिक्षकों का शोषण करते हैं।

1972 में एक बेसिक शिक्षा निदेशक अलग से बनाये गये लेकिन जब वह रिटायर हो गये फिर आपने दोनों को मिला दिया। यह आपके सुधार की गति है, यह आपके सुधार के निर्णय का परिणाम है। 1972 में जो आपने व्यवस्था की उसे 1973-74 में वापस ले लिया और वह एक ही निदेशक के अधीन काम कर रहा है। इतना ही नहीं जब यह बटवारा हुआ तो अधिकारों का बटवारा स्पष्ट नहीं किया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलापरिषदों में खीचा तानी हुई। यह जो बेसिक शिक्षा का बालक है वह इन दो बलवान शोषकों के बीच में घुट रहा है।

इसी तरह से भवनों के निर्माण की हालत है। जिला परिषद् और स्थानीय निकाय जो हैं वह भवनों के निर्माण में रुचि नहीं लेती हैं। जो भवन गिर गये हैं वह बन नहीं रहे हैं जो जर्जर अवस्था में हैं उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? आपके निर्णय हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, होचपोच होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

निर्णय आप लें वह सोचसमझ कर लें, दूरगामी परिणामों को ध्यान में रख कर लें। इस तरह की खींचातानी करते-करते 27 साल निकल गये हैं और 227 साल निकल जायेंगे। जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि शिक्षा के प्रति लोगों को अविश्वास हो रहा है वह प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि देश के लिए घातक सिद्ध होगा। फिर आप कहेंगे कि यह मेरी गलती नहीं है बल्कि कुछ लोग आन्दोलन और अराजकता फैला रहे हैं। मैं एक बात कह दूं कि कोई भी अच्छाई या बुराई जो समाज में प्रकट होकर आती है वह एक दिन में नहीं बनती और इसी लिए उस अच्छाई और बुराई का केवल देखकर ही उसका अध्ययन नहीं किया जाना चाहिये। आइशोलेशन में किसी समस्या को नहीं देखना चाहिये, बल्कि उस अच्छाई या बुराई की कहां तक जड़ है, वहां तक देखना चाहिये। इसको देखकर ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिये। आज समाज की जो स्थिति है, वह चाहे छात्र हो या अध्यापक, मजदूर हो या मालिक, वह स्थिति 27 सालों के दुष्परिणामों का नतीजा है। एक दिन का नहीं है। सन् 51 से जिस समस्या पर ध्यान नहीं दिया है, उस पर आज भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस पर मंत्री जी ने अब भी कोई प्रकाश नहीं डाला है कि बेसिक शिक्षा का नियन्त्रण और प्रबन्ध का स्वरूप क्या हो। आज जो बेसिक शिक्षा का प्रबन्ध या उसके नियन्त्रण का जो स्वरूप है, उससे कोई सुधार होने वाला नहीं है। आपने बेसिक शिक्षा को अलग करके बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कर दिया, फिर बजट भाषण में क्या कहा ? जिला परिषद्, महापालिका, नगर महापालिका, नोटीफाइड एरिया आदि स्तर पर स्थानीय समितियां बनेंगी और इनके निर्वाचित अध्यक्ष समितियों के अध्यक्ष रहेंगे, जिन्हें स्थानीय निकाय व बेसिक विद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। आप वही करने जा रहे हैं, जो पहले किया था। इसका परिणाम यह होगा कि इनकी जो दुर्दशा पहले थी, वह पुनः अब होगी यदि जिला परिषद्, नगरपालिका और टाउन एरिया के चेयरमैनों को आपने निरीक्षण का अधिकार दे दिया।

मेरा कहना यह है कि यदि आप बेसिक शिक्षा में सुधार चाहते हैं, तो इसको शासकीय नियन्त्रण और राजकीय नियन्त्रण-दोनों से दूर रखें। शिक्षा को इन दोनों बुराइयों से हटाना ही पड़ेगा। हर जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाए, जिसमें यह बंधन हो उसका सदस्य वही व्यक्ति पदेन होगा, जिसका न तो शासन से सम्बन्ध हो और न राजनीति से सम्बन्ध हो। इसीलिए हमने कहा, वही व्यक्ति पदेन होगा, इसमें न एलेक्शन चलेगा न सेलेक्शन चलेगा। इन दोनों को छोड़ना होगा। क्योंकि चयन और नियुक्ति का जहां तक सम्बन्ध है, जहां ये दोनों होंगी राजनीति अवश्य घुस जाएगी। समाज और शिक्षा को भ्रष्ट करने वाली राजनीति है, शिक्षा को समाप्त प्रायः करने का दोष इसी राजनीति पर है। यह कहें कि सरकार दोषी है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन शुरुवात सरकार की तरफ से होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति चयन या चुनाव के द्वारा नहीं होना चाहिये, नियुक्ति के द्वारा नहीं होना चाहिये। ऐसा जिला समिति का सदस्य नहीं बल्कि वह पदेन हो। क्योंकि मेरा और मेरे दल का यह स्पष्ट मत है कि शिक्षा का निर्देशन और नियन्त्रण विद्वानों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के हाथ में होना चाहिये। सरकार केवल पैसा देने वाली हो, इसके अलावा सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं होना चाहिये। इसीलिए जो जिलास्तर पर समिति गठित की जाए, उसका प्रबन्ध संभालने के लिये, उसमें बेसिक शिक्षा के रिटायर होने वाले प्रधानाचार्य, शिक्षकों और उस जिले के विद्वत् समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। और वही सारे विद्यालयों का नियन्त्रण और निर्देशन करें। इसमें मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कहीं राजनीति होती है, वहां निश्चित है मान्यताओं, मर्यादाओं और शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, जितना कि राजनीति की अवसरवादिता को दिया जाता है। राजनीति में काम करते हुये कोई अवसरवादिता से बच जाय, आज के वातावरण में यह सम्भव नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद् जो जिला स्तर पर बनाई जावें उसमें सक्रिय राजनीति में काम करने वालों को जरा भी स्थान न दिया जावे।

अब मैं बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के बारे में कहूंगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों का जो वैचारिक स्तर है उसे उठाया जाना चाहिये। बेसिक शिक्षा के अध्यापन के लिये कम से कम ग्रेजुयेशन निम्नतम योग्यता रखी जावे।

इसी तरह से जो विषय के आधार पर वेतन में भेद बरता जा रहा है वह भी समाप्त किया जावे। कक्षाओं के आधार पर अध्यापकों का वेतन निर्धारित होना चाहिये और मेरा स्पष्ट मत है कि बेसिक विद्यालय का अध्यापक कम वेतन भोगी होता है इसलिये उसे अपने गांव के बगल वाले स्कूल में न नियुक्त किया जाय लेकिन इसी के साथ-साथ उसे तहसील से बाहर भी नहीं नियुक्त किया जाना चाहिये। मिरजापुर जिले में जहां सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ और दो-दो सौ मील तक की लम्बाई एक कोने से दूसरे कोने तक है वहां केवल इस बात पर कि कोई अध्यापक जिला परिषद् के किसी सदस्य को या बेसिक शिक्षा अधिकारी को पैसा नहीं देता है उसकी सौ-सौ मील दूर भेज दिया जाता है, यह कहां का न्याय है? एक ओर तो किसी अध्यापकों को जो कम वेतनभोगी है उसके घर से इतनी-इतनी दूर भेज रहे हैं और कहीं जहां पैसा मिल जाता है वहां उसको गांव के बगल के स्कूल में ही नियुक्ति दे रहे हैं जहां वे 12-12 साल से पड़े हैं। यह भेदभाव दूर होना चाहिये।

एक पक्षपात जो यह सरकार बहुत दिनों से कर रही है वह यह है कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो कक्षा 6 से 8 तक के जूनियर हाई स्कूल हैं और इनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 8 प्रतिशत कुल जाती है। इन अध्यापकों को सरकार ने जूनियर हाई स्कूल या कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों के लिये जो वेतनमान निर्धारित किया है वह नहीं दिया जा रहा है। हमारी समझ में नहीं आता कि जब एक ही प्रकार की कक्षाओं में अध्यापक पढ़ाते हैं चाहे वह राजकीय विद्यालय हों या प्राइवेट कालेज हों या स्कूल हों उसमें आपने भेदभाव क्यों बरता है एक ही स्तर के जो विद्यालय हैं उनके अध्यापकों को आप एक समान वेतन क्यों नहीं देते और यही कारण है कि आज जो वेतन से जो झगड़े हर साल खड़े होते हैं वह सब सरकार की अदूरदर्शिता के कारण ही। इसका कारण केवल यही है कि आपने राजकीय कालेजों के अध्यापकों का वेतन बढ़ा दिया और प्राइवेट स्कूलों और कालेजों में काम करने वाले अध्यापकों का नहीं बढ़ाया। उनकी ओर से आन्दोलन हुआ। तो उसका कुछ बढ़ा दिया और उसमें से एक कैटेगरी को छोड़ दिया। अब जब उस कैटेगरी के लोगों के आन्दोलन किया तो उसमें से कुछ किया कुछ छोड़ दिया। जब-जब आन्दोलन होता है तब आप वेतन बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। जब वेतन बढ़ाने के बारे में आप सोचते होंगे तो उसका कोई न कोई आधार तो जरूर ही बनाते होंगे, चाहे वह महंगाई का आधार होता हो, चाहे आवश्यकता का आधार मानते हों और चाहे योग्यता का आधार मानते हों तो फिर क्यों नहीं उसी आधार को दृढ़ता के साथ सब पर एक समान लागू कर दिया जाता? इसलिये जो वेतन के झगड़े हैं उनमें से अधिकांश के लिये सरकार उत्तरदायी है। आपको चाहिये कि समान क्षेत्र में काम करने वाले अध्यापकों को आप समान वेतन दें लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं करती।

इसी के साथ-साथ, अब मैं जो संस्कृत के विद्यालय हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इससे पूर्व 69-70 का बजट पेश करते हुये माननीय शिक्षा मंत्री, डाक्टर रामजीलाल सहायक ने कहा था कि संस्कृत न केवल विश्व की अनेक भाषाओं की जननी है अपितु वह मुख्य भाषाओं में से एक है अतः उसका विकास करना आवश्यक है। लेकिन दिक्कत इस बात में है कि यह शायद 27 साल से चाहे वह हिन्दी हो, संस्कृत हो या उर्दू हो, सबके साथ आश्वासन और भाषणों से सुधार लाना चाहता है जो कभी सम्भव नहीं है। आप संस्कृत विद्यालयों का वर्गीकरण छात्रों के आधार पर करते हैं। उसी वर्गीकरण के आधार पर अध्यापकों का वेतन निर्धारित करते हैं। अन्य विषयों में जो पढ़ाते हैं, उसमें कक्षा के आधार पर अध्यापकों का वर्गीकरण है और उसी आधार पर अध्यापकों का वेतन निर्धारित करते हैं। लेकिन संस्कृत के

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

केस में आप कहते हैं कि छात्रों के आधार पर विद्यालयों का वर्गीकरण होगा और उसी वर्गीकरण के आधार पर अध्यापकों का वेतन निर्धारित करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। आप यहां भी जिस कक्षा को पढ़ाता है, प्रथमा, द्वितीया, मध्यमा, आचार्य, जिस क्लास को व्यक्ति पढ़ाता है उसके आधार पर वेतन निर्धारित करें। यही उस समस्या का हल है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमेशा वहां भी बैचेनी बनी रहेगी, असंतोष रहेगा। और जो आप कहते हैं कि संस्कृत का विकास होना चाहिये संस्कृत का विकास नहीं हो पाएगा, केवल वह बातों में रह जायगा।

इसी के साथ-साथ हर विद्यालय के अध्यापकों के लिये एक सेवा नियमावली बनी हुई है। क्या कारण है कि वह नियमावली उन पर लागू नहीं? यही सब चीजें हैं जो असंतोष पैदा करती है। उन चीजों को आप दूर करें और एक साथ सारी चीजों का समाधान निकाल करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। इतना ही नहीं। यह आप मानते हैं कि संस्कृत एक जननी है सभी भाषाओं की। संस्कृत के प्रसार के लिये आपने कुछ नहीं किया। संस्कृत को प्राइमरी शिक्षा में एक अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिये जिससे जो कि भारत में जितनी भी प्रचलित भाषाएं हैं सब की जननी है, सब की जड़ है, उसका विकास आवश्यक है, तो उसकी जानकारी रखेंगे, तो आगे चल कर चाहे वह किसी भाषा में रुचि रखते हों, उन भाषाओं को अच्छी तरह समझ पायेंगे। इसी प्रकार जो क्षति पूर्ति देते हैं विद्यालयों को उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो बेसिक कक्षाएं माध्यमिक कक्षाओं से सम्बधित हैं उनको तीन रुपया प्रति व्यक्ति तक देते हैं पाचवीं कक्षा तक और माध्यमिक स्कूल से सम्बन्धित नहीं हैं उनको 12 पैसे देते हैं। यह क्षति पूर्ति किस आधार पर देते हैं? एक जगह 12 पैसे और एक जगह तीन रुपये। इस आधार को भी समाप्त किया जाना चाहिए। अगर आप महसूस करते हैं कि शिक्षा के विकास के लिये यह क्षति-पूर्ति आवश्यक है तो आपको ऐसा आधार नहीं रखना चाहिये। यह जरूर है कि क्षति पूर्ति देने में या अनुदान देने में छात्र संख्या का आधार हो सकता है। लेकिन वह आधार इतना बड़ा अन्तर नहीं पैदा करेगा। कम से कम रेट तो एक होना चाहिये।

इतना कहकर मैं बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी बात समाप्त करूंगा कि बेसिक शिक्षा का मूल उद्देश्य सभी छात्रों में, नैतिक और चारित्रिक गुणों को पैदा करना होना चाहिये। बोधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये बहुत सी कक्षाएं हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा का आधार चारित्रिक और नैतिक गुण पैदा करना होना चाहिये। ऐसा व्यक्ति बेसिक शिक्षा प्राप्त करके यदि मजदूर की तरह भी काम करेगा तो निष्ठावान, चरित्रवान, नैतिक व्यति की तरह काम करेगा। अगर आपने इस पर बल नहीं दिया, तो यदि वह डिग्री कालेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हो जायगा तब भी लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरह एस0 डी0 सिंह की रिपोर्ट जायेगी, जिसमें कहा जाता है कि प्रोफेसर भी लड़कियों से नाजायज फायदा उठा कर मार्क देना चाहते हैं, उनके साथ अनैतिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। कम से कम प्राइमरी स्टेज पर नैतिकता और चारित्रिक गुण पर बल दीजिये और पैदा कीजिये। बेसिक शिक्षा का मूल आधार नैतिकता और चारित्रिक ज्ञान होना चाहिये।

इसके बाद अब माध्यमिक शिक्षा पर आता हूं। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा पिछले वर्ष भी और इस साल के बजट में भी न अध्यापकों की नियुक्ति और न नये विद्यालयों का खोला जाना, न पिछले साल प्राविधान था और न इस साल प्राविधान है। माननीय मंत्री जी ने शिक्षा के स्तर पर सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न कोई बात कही। मैं पूछना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा है क्या? माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उसका उद्देश्य क्या रखा है? आपने केवल यही उद्देश्य रखा है कि लड़के हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट में ऐडमिशन लें और बोर्ड की परीक्षा में बैठें। उस शिक्षा की उपयोगिता क्या है? किसी चीज की उपयोगिता उसकी महत्ता पर होती है। अगर आपने किसी चीज की उपयोगिता निर्धारित नहीं किया तो आप लाख सुविधाएं दें, उसके प्रति किसी का आकर्षण पैदा नहीं होगा। आपने

कहा कि इतने छात्रों की भर्ती हुई। क्या आपने यह भी कहा कि जितने पिछले साल निकले किसकी पढ़ाई का उपयोग हुआ, समाज के लिये, उनके लिये, यह नहीं बतलाया क्योंकि आपका लक्ष्य नहीं है। साल भर शिक्षा मंत्री जी का, शिक्षा अधिकारियों का फाइल पर दस्तखत करते-करते बीत जाता है, उनको समय नहीं मिलता है कि आज जो मूल प्रश्न है उनको सुलझाया जाय। आपने माध्यमिक शिक्षा के बारे में अनेकों कालेज खोले, मान्यता भी दिये, लेकिन क्या आपने पता लगाया कि प्राइवेट लड़कियों की शिक्षा के लिये कोई कालेज खोला गया? उधर न तो प्राइवेट सेक्टर का ध्यान है और न शासन का ध्यान है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो कालेज खोले जायें देहाती आंचल में लड़कियों का, कालेज खोलने की व्यवस्था की जाय। यह महिला वर्ष भी है, जिस पर शासक दल का विशेष ध्यान है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य अभी कितना और बोलेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, दो दिन की बहस है।

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरे माननीय सदस्य भी तो बोलना चाहेंगे ?

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

शिशु मंदिर के विषय में आपकी क्या राय है ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने दीजिए। अच्छा होगा जरा संक्षेप में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

माननीय रामायण राय जी ने कहा कि शिशु मंदिर नैतिकता और चारित्रिक शिक्षा का प्रसार करता है। उसमें अच्छाई तो जरूर है बुराइयों को छोड़ दीजिये। अब जो यह माध्यमिक विद्यालय हैं उनके प्रबन्ध के बारे में बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न है कि किस तरह से प्रबन्ध किसके हाथ में दिया जाय। पैसा लेकर जिनका स्तर नीचा होता है, उनकी नियुक्ति होती है। प्रबन्ध समिति जो है वह पैसा खाती है। माध्यमिक शिक्षा के विकास में वे पैसा नहीं गलाते हैं। ये अनेक बुराइयां हैं। अनेक विद्यालय व्यापारिक केन्द्र बने हुए हैं। इसका एक प्रमाण यह है कि उधर कई सदस्य कई-कई स्कूलों के सदस्य होंगे, लेकिन किसी सदस्य ने यह हिम्मत नहीं किया कि जनता की सेवा के लिये अस्पताल खोले जायं। हर एक ने यही किया कि स्कूल खोल दिये जायं। किसी-किसी जिले में तो कई-कई स्कूल और किसी किसी जिले में तो बिलकुल बिलीन कर दिया। मान्यता देते समय उसका कभी नहीं ध्यान रखा गया। सरकार ध्यान नहीं रखती है। उसका कभी ध्यान नहीं रखा गया। इतना ही नहीं जो प्रबन्ध समितियां थी वह शोषण करती थीं।

सरकार की ओर से जो अनुदान दिया जाता है, उसमें भी बहुत पक्षपात किया जाता है और मंत्री जी मेरी इस बात से शायद इनकार नहीं करेंगे कि इनके आफिस के बाबू या जिलास्तर के बाबू पैसा लेकर संस्तुति करते हैं कि किसको अनुदान मिलना चाहिये और किसको नहीं मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में अगर मैं उदाहरण दे दूं तो बुरा नहीं है। मैं विशेष रूप से कह देना चाहता हूं कि एक बी0 एस0 कालेज, लखीमपुर खीरी में है। वहां का रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसके विरुद्ध एक व्यक्ति ने चार्ज लगा दिया। उसकी इन्क्वायरी डी0 आई0 ओ0 एस0 ने किया और उसने उस चार्ज को निराधार पाया। डी0 डी0

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

आर0 ने उसकी इन्क्वायरी की और उन्होंने भी उसको निराधार पाया। डाइरेक्टर ने भी उसको निराधार पाया, लेकिन उसको अनुदान नहीं मिला। अब शासन ने डी0 एम0 को इन्क्वायरी करने को दिया है, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। वह कालेज शिक्षा में अपना स्थान रखता है। उसके विरुद्ध आरोप थे, वह निराधार पाये गये। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वहां का प्रबन्धक विरोधी विचार धारा का है।

अब मूल प्रश्न आज जो है उस पर अपनी बात केन्द्रित करता हूं। माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप क्या हो, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह जो वर्तमान प्रबन्ध है उसको तत्काल समाप्त होना चाहिये। दूसरी तरफ शिक्षा में शासन का हस्तक्षेप भी समाप्त होना चाहिये।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

राष्ट्रीयकरण आप नहीं चाहते हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मैंने जो कहा, वह सुन लें। राष्ट्रीयकरण का भी सुन लें। अगर शासन अपने हाथ में लेती है और उसका सरकारीकरण हुआ तो मैं उसका विरोध करता हूं।

अब प्रबन्ध का सही स्वरूप क्या हो, उधर के माननीय सदस्यों से मैं कह देना चाहता हूं कि मैं आज खड़ा हुआ हूं बोलने के लिये तो केवल बरगलाने के लिये नहीं बल्कि जितनी बातें मैं कह रहा हूं उनके बारे में मेरी स्पष्ट कल्पना है। प्रबन्ध का स्वरूप क्या हो, इस बारे में दो बातें हैं। जो वर्तमान प्रबन्ध की व्यस्था है, वह तो तत्काल समाप्त होनी चाहिये, लेकिन उसका प्रबन्ध बेसिक शिक्षा की तरह बेसिक शिक्षा अधिकारी के हाथ में नहीं चला जाना चाहिये। मैंने शुरू में कहा कि शासन का हस्तक्षेप शिक्षा में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये। अब इसके लिये उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि जिले में इनको स्वायत्तशासी बनाया जाये। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक विश्वविद्यालय को जो इतनी बड़ी संस्था है जिसमें 7 हजार, आठ हजार, 11 हजार और 15 हजार छात्र पढ़ते हैं और इतनी बड़ी संस्था को स्वायत्तशासी बनाकर उसका संचालन किया जा सकता है तो क्या जिले में एक स्वायतशासी संस्था उस जिले के स्कूलों का संचालन नहीं कर सकती है?

मेरे कहने का मतलब यह है कि शिक्षा प्रबन्ध समितियां बनायी जायें जो अधिकार संपन्न हो और मैं कह रहा हूं कि जो उसके सदस्य हों वह एक्स आफिसियो हों जो उसके सदस्य हों, वह चुनाव लड़ने के अयोग्य हों। अगर किसी तरह से वहां पर राजनीति को स्थान मिल गया तो जो कार्यकर्ता होगा या अध्यापक होगा वह भी राजनीति में भाग लेने लगेगा और फिर वहां भ्रष्टाचार फैल जायेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि माध्यमिक विद्यालयों के जो सीनियरमोस्ट और रिटायर होनेवाले प्रिंसिपल हैं उनको उस समिति में रख दिया जाये। जो सीनियर मोस्ट अध्यापक हैं उनको उसमें रखा जाये और जो जूनियर मोस्ट अध्यापक हैं उनको उसमें रखा जाय और जो मैरीटोरियस छात्र हैं उनको उस समिति में रखा जाय। यह होगा उसका स्वरूप। जिले का सारा प्रबन्ध स्वायत्त शासी संस्थायें करें, जिसमें विद्यालय भी होंगे। मैं यह नहीं कहता कि जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन में अपने किसी एम0 एल0 ए0 को बैठा दिया या किसी इन्टरमीडिएट के अध्यापक को बैठा दिया तो वह किस तरह से योग्य लोगों का चुनाव कर सकेगा। तो उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिये जो स्वायत्त शासी संस्थायें हैं, वे चुनाव भी नहीं लड़ सकतीं और सक्रिय राजनीति में कार्य करने वाले जो अध्यापक हैं, वे भी उसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। यह होगा आपका स्वरूप। आप कहेंगे कि ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं में कोआर्डिनेशन बनाने के लिये स्वायत्त शासी संस्थायें होनी चाहिये। अगर आप यह कहते हैं कि ये संस्थायें प्रबन्ध देखेंगी तो माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्या करेगा? वह आम तौर पर परीक्षा लेने वाली बाडी है। इन समितियों का प्रबन्ध देखेगी स्वायत्त शासी संस्थायें, पैसा देगी, सरकार और परीक्षा लेगा, बोर्ड।

अब तक राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भ्रष्टाचार है, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो माध्यमिक शिक्षा में आप चाहें जितना पैसा लगा दें, कोई सुधार होनवाला नहीं है। नीति का निर्धारण, संचालन यह प्रबन्ध समिति की जिम्मेदारी है। मुझे दुःख है और मैं बार-बार कह रहा हूं कि इसके भविष्य को निर्देशित करने वाले जो प्रश्न खड़े हुए हैं, समय-समय पर, उन पर माननीय मंत्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला है। बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? वही हुआ कि 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ो थर्ड डिवीजन या सेकेंड डिवीजन में पास कर लो और फिर बेकार घूमो। आपको शिक्षा में बड़ा आमूल परिवर्तन करना होगा और उसी के अनुसार हर प्रश्न को बड़े माइन्यूट ढंग से अध्ययन कर उसमें सधार खोजना पड़ेगा। इसमें सुधार करने के दो ही तरीके हैं। एक तो यह है कि इसे व्यवहारिक बनाया जाना चाहिये। आज माध्यमिक शिक्षा के छात्रों की श्रम के प्रति कोई आस्था नहीं है, श्रम की महत्ता को वे नहीं जानते हैं। आज एक साधारण गरीब भी यह कहता है कि अपने बच्चे को अगर वे पढ़ायेंगे तो वह पढ़ने के बाद मेहनत भी नहीं करेगा और अगर उसको पढ़ाया नहीं जायगा तो जो काम उसे दिया जायगा वह उसे मेहनत के साथ करेगा तो। आज आजादी प्राप्त करने के इतने दिन बाद भी वह निराश हो गया है कि किस तरह से आपके कार्यों और आपकी नीतियों के कारण आज उद्देश्यहीनता हो रही है।

तो माध्यमिक शिक्षा का पहला उद्देश्य तो यह है कि पढ़ने वाले को व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिये। दूसरा इसका उद्देश्य जौब ओरियेन्टेड एजूकेशन टु मासेज होना चाहिये। रोजगार परक से भी उपयोग नहीं होता जब तक कि उसका सम्बन्ध इन्डस्ट्री और लेबर नीति से नहीं जोड़ा जाता है। गांधी जी का कहना था कि उद्योग और श्रम नीति के साथ शिक्षा नीति को जोड कर उसका आंकलन करना चाहिये। रोजगार-परक अगर बना लिया तो उसका मतलब क्या है? रोजगार-परक शिक्षा बनाने के साथ-साथ आपकी अपनी नीति में यह सुधार करना पड़ेगा कि जो चीजें मैन-पावर से बनायी जा सकती हैं उसको हैवी इन्डस्ट्रोज के द्वारा न बनाया जाय। बिस्कुट छोटे कारखाने से बनाया जा सकता है। क्या जरूरत है बड़े कारखाने को सौंपा जाय और बड़े-बड़े उद्योग खोलें जायं? चिकन के काम में लखनऊ के लाखों हाथ बंधे हुए हैं। अगर हैवी इंडस्ट्रीज को इसे कर दें तो वह बेकार हो जायेंगे। सास और जूस जो किसानों के गांव में बनाये जा सकते हैं वह बड़ी-बड़ी फैक्टरियों को खोलकर बनाने की क्या जरूरत है? जब तक छोटे उद्योग मैन-पावर को नहीं देंगे तब तक रोजगार-परक शिक्षा का कोई मतलब नहीं निकलेगा और जबतक बेरोजगारी दूर नहीं होगी, शान्ति व्यवस्था प्रदेश में नहीं लायी जा सकती। इसलिये माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य रोजगार-परक और रोजगार-परक का निर्धारण उद्योग और श्रम नीति के साथ रखकर किया जाना चाहिये, जौब-ओरियेंण्टेड होनी चाहिये एजूकेशन।

इसके साथ परीक्षा की बात है। दो बातें मूल रूप से कहना चाहता हूं। जो परीक्षा के बारे में कहा जाता है कि यह केवल स्मरण शक्ति की परीक्षा है सही बात है। मैं चाहता हूं कि परीक्षा की प्रणाली मूलरूप में परिवर्तित करना इस प्रदेश के मंत्री के लिये संभव नहीं हो पायेगा, लेकिन परीक्षा के प्रश्नपत्रों का रूप ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें व्यक्ति की वैचारिक, बौद्धिक, स्वतंत्र विचार करने की शक्ति और स्मरण शक्ति की परीक्षा ली जा सके। केवल घिसे-पिटे 5 क्वेश्चन न दिये जायं, बल्कि सैकड़ों क्वेश्चन हों जिसमें पूरे सिलेबस के अध्ययन करने की आवश्यकता पड़े। ऐसा नहीं कि इम्पार्टेंट चैप्टर पढ़ लिया। इसका कारण यह है कि जो प्रश्न बनाते हैं वह जबतक पिछले तीन वर्षों के प्रश्न-पत्रों को नहीं देख लेंगे तब तक प्रश्न-पत्र नहीं बना पायेंगे।

आप तात्कालिक सुधारों की बात करें। मैं नहीं कहता कि शिक्षा-प्रणाली में आमूल-परिवर्तन कर दो। लेकिन आप क्वेश्चन पेपर का स्वरूप बदलें जिससे व्यक्ति की वैचारिक, बौद्धिक और स्वतंत्र विचार करने की शक्ति की परीक्षा ली जा सके। मंत्री जी की घोषणा

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

कर देनी चाहिये थी कि परीक्षाओं में पुस्तकों को ले जाने की पूरी छूट दी जाय और उनका उपयोग करना तभी संभव होगा जब इस तरह के प्रश्न बनाये जायेंगें जो किताब पर आधारित प्रश्न नहीं होंगे बल्कि जो विषय हैं किताबों के, उन पर आधारित होंगे। इसके लिये अध्यापकों के स्तर को भी ऊचा उठाना पड़ेगा। इसी तरह से परीक्षा के मूल्यांकन का जो स्तर है, वह भी उठाना पड़ेगा। वह गलत है। उसमें सुधार लाना पड़ेगा और माध्यमिक शिक्षा में जो फर्स्ट, सेंकेंड, थर्ड डिवीजन हैं उनको समाप्त करके योग्य और पास डिवीजन बनाये जायं और पास डिवीजन को किसी भी प्रकार से ऐडमीशन उच्च शिक्षा में न दिया जाय।

आज सबसे बड़ी समस्या माध्यमिक शिक्षा में बढ़ती छात्रों की भीड़ है और उसमें नैतिकता और चारित्र्य की कमी। भीड़ के कारण माध्यमिक विद्यालयों में सुचारु रूप से विषय का न पढ़ाया जाना। इसलिये मैं एक प्रयोग के रूप में कहना चाहता हूं कि गुरुकुल प्रणाली को एक आधार बना दें। जब गुरुकुल प्रणाली कह रहा हूं तो बहुतों के मन में एक हिचक या चिहुंक सी होगी। उसके पैटर्न पर सुझाव देना चाहता हूं। जो पोस्ट-ग्रेजुएट टाप के, अच्छे डिवीजन के जो कुछ नवयुवक हैं, यह मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि इसे प्रयोग के रूप में चलाना है, उनको एक डेढ़ साल की माध्यमिक शिक्षा की ट्रेनिंग देकर के उन्हें कह दिया जाय कि वह अपने गांव में बैठ कर 20-30-40 छात्रों को बैठाकर पढ़ायें और प्राइवेट रूप से बोर्ड की परीक्षाएं दिलायें। मेरा मतलब यह है कि इससे दो चीजें होंगी। एक तो छात्र और शिक्षक के संबंध घनिष्ठ होंगे, वह डे-टु-डे के निश्चित जीवन में बंधे रहने से अलग होकर शिक्षा का अध्ययन करेंगे।

शिक्षक की समस्या क्या है? वह 10 से 4 बजे तक टाइम-टेबिल के अनुसार पढ़ायेगा। वह नैतिकता की बात हिस्ट्री के पीरियड में नहीं कर सकता। दूसरी चीज इसमे यह होगी कि जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनमें से लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कहा करते हैं कि भ्रष्टाचार रहेगा। मेरी कल्पना यह है कि शुरू में कोई अध्यापक अधिक रुपया लेकर पढ़ायेंगे क्योंकि रोजगार उनको मिल रहा है। दूसरे उनमें कम्पीटीशन भी हो रहा है कि अगर हम अच्छा पढ़ायेंगे तो हमें छात्र फीस अधिक देंगे और दूसरी जगह नहीं जायेंगे। इसलिये उनमें कम्पीटीशन होगा। उनसे यह भी कह दिया जाय कि प्रयोग के रूप में अगर यह सफल हुआ तो इसे आगे बढ़ाया जायगा, नहीं तो, नहीं। उन्हें अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये छात्रों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। तो हमें देखना होगा कि इसका क्या आउट-पुट होता है। क्योंकि आजकल माध्यमिक शिक्षा में कमी यह है कि छात्र और शिक्षक में घनिष्ठ संबंध नहीं हो पाता। 40 मिनट पढ़ा कर छात्रों की समस्याओं को अध्यापक नहीं समझ पाता। इसलिये इस प्रणाली पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

अब प्राविधिक शिक्षा के विषय मे 5 मिनट लूंगा। 30 संस्थाएं हैं, कुल जिनमें कि 15 रोजगार हैं। पालीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स की बहुत बड़ी शिकायत है कि उन्हें सहायता देने में पक्षपात किया जाता है। जो पालिटेक्निक इंस्टीट्यूट डायरेक्टर से अधिक अच्छे कांटेक्ट में हैं, उन्हें अच्छी सहायता दी जाती है और जो नहीं हैं, उनको नहीं दी जाती। एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि पालीटेक्निक इंस्टीट्यूटस के शिक्षकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उनमें सी0 पी0 एफ0 की सुविधा उनको दी गयी है लेकिन सी0 पी0 एफ0 का कांट्रिब्यूशन 1972 से नहीं किया जा रहा है और यह कहकर रोका जा रहा है कि जो वेतन आयोग बना था उसकी रिपोर्ट आने पर सी0 पी0 एफ0 का कांट्रिब्यूशन दिया जायगा लेकिन उस कमेटी को सी0 पी0 एफ0 का विषय ही नहीं सौंपा गया। परिणाम यह हुआ कि उसने अपनी रिपोर्ट में उस पर मत-प्रकाशन ही नहीं किया और फलतः उन शिक्षकों को सी0 पी0 एफ0 और महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

कुछ पार्ट-टाइम पोस्ट खोली गयी हैं पालीटेक्निक में। जब आप रेगुलर स्टूडेन्ट्स को जाब नहीं दिला पा रहे हैं तो पार्ट-टाइम क्यों? पार्ट-टाइम का उद्देश्य क्या है कि

जो वह फीस जमा करते हैं उसे वहां के अध्यापक और अधिकारी मिल कर बांट लेते हैं। इसलिए पार्ट-टाइम क्लासेज की कोई उपयोगिता नहीं है जब तक कि आप रेगुलर पढ़ने वालों को जाब की गारंटी नहीं दे देते हैं।

एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस लाइन की सुनें, मान्यवर। एक ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन स्कीम चलाई गयी।

(लाल बत्ती होनेपर)

मान्यवर, आधा घंटा हमें और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप एक घंटे से अधिक बोल चुके। दूसरे माननीय सदस्यों के भी विचार सुनने का मौका दें, तो अच्छा होगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

कल हमें कम समय दे दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सही हैं, लेकिन बोलने वाले और भी तो हैं। सदन 426 सदस्यों का है। आप महत्वपूर्ण सुझाव रखें। बार-बार आप किसी चीज को दोहराते हैं तो उसमें अनावश्यक समय जाता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

हां, कोई कायदे की बात कहें तो बात भी है।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो, उनके विचार हैं। सब आपके ही तरह थोड़े विचार रखते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

"कायदे की बात कहिये" यह आक्षेप अगर किसी और ने किया होता तो दूसरी बात थी लेकिन यह उन्होंने कहा है जिनके लिये माननीय मुख्य मंत्री भी बार-बार क्षमा मांगते हैं और अध्यक्ष जी भी बार-बार इंगित करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा निवेदन यह है कि भाषण में अधिक समय लेने से कोई समय की उपयोगिता नहीं सिद्ध होती। सुझाव ठोस दें और कम समय में दें ताकि यह सदन लाभान्वित हो। अनावश्यक ज्यादा लम्बा खींचने से कोई लाभ नहीं है। दूसरे माननीय सदस्यों को भी मौका दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, अगर आप कहें तो मैं बैठ जाऊं?

श्री उपाध्यक्ष--

आप 10-5 मिनट में खत्म करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

अगर 2 दिन की बहस है तो कम से कम डेढ़ घंटा दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

कटौती क प्रस्ताव पर मैने आधा घंटा से ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया है। आप एक घंटा से अधिक बोल चुके हैं। तो कम से कम कोई समय तो बांधें तभी काम चलेगा। दूसरे सदस्यों को 7 मिनट का समय दें और आप डेढ़ घंटा बोलें तो कैसे काम चलेगा। मैं इस परिपाटी को पसन्द नहीं करूंगा। आखिर, दूसरे सदस्यों को भी तो समय मिलना चाहिये। आप ज्यादा समय लेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, आज जो डिग्री है। एक तरह से उनकी एकोनामिक वैल्यू खत्म हो चुकी है और डिग्री बिलकुल एक अनाथ बालिका की तरह से हो गयी है जिसको न तो सरस्वती की ममता प्राप्त है, न लक्ष्मी का स्नेह प्राप्त है, न समाज का आदर प्राप्त है और न डिग्री प्राप्त करने वालों का प्यार प्राप्त है। इसी का परिणाम है कि आज डिग्री होल्डर चपरासी के लिये इंटरव्यू में आते हैं। कारण यह है कि जो 27 साल तक डिग्री के प्रति निराशा पैदा की गयी उससे लोगों को लगने लगा कि डिग्री की कोई उपयोगिता और उद्देश्य नहीं है। डिग्री को इतना बेहिसाब बांटा गया कि परिणाम यह हुआ कि डिग्री को लोगों ने रोजगार के लिये समझा और जब रोजगार नहीं मिला तो समझा गया कि डिग्री का यही उद्देश्य था और वह समाप्त हो गया जबकि डिग्री का उद्देश्य नालेज होना चाहिये। मेरा कहना यह है कि डिग्री का उद्देश्य स्पेशलाइज्ड नालेज टु सेलेक्टेड परसन्स होना चाहिये।

मैंने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा डिग्री शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है। जैसा मैंने कहा है, शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये। शिक्षा क्षेत्र से राजनैतिक हस्तक्षेप हटना चाहिये। वाइस चान्सलर की नियुक्ति का अधिकार शासन को नहीं होना चाहिये। उनकी तथा शिक्षकों की नियुक्ति आदि के लिये एक आयोग गठित होना चाहिये जो उनकी नियुक्ति करे। उच्च शिक्षा में जो आज राजनीतिक गन्दगी आयी है उसके लिये सरकारी पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिम्मेदार हैं। जो सक्रिय राजनीतिक दल वाले छात्र संगठन हैं, उन पर बैन लगाना चाहिये। साथ ही जो छात्र राजनीतिक विचाराधारा के हों उन पर रोक नहीं लगानी चाहिये। (व्यवधान) इसके लिये मंत्री जी एक समिति गठित करें और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे छात्र संगठनों पर बैन लगाना चाहिये। आज वाइस चान्सलर अपने विचारों से सहमति रखने वाले गुन्डों को पाल रहा है। वाइस चांसलर किसी भी सक्रिय राजनीति में कार्य करने वाले व्यक्ति को अथवा प्रशासनिक अधिकारी को नहीं बनाना चाहिये। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिये शिक्षकों का ही एक आयोग होना चाहिये जो निष्पक्ष रूप से मेरिट्स के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करें।

महाविद्यालयों को आप सबसे अधिक पैसा देते हैं, मगर उनको एडेड लिस्ट में नहीं रखा गया है। उनको भी एडेड लिस्ट में रखा जाना चाहिये। नीचे के पदों पर काम करने के लिये डिग्रियां आवश्यक नहीं होनी चाहिये। वे ऊंचे पदों के लिये ही होनी चाहिये। सरकार को यूनिवर्सिटीज खोलने का जो नशा है, वह समाप्त होना चाहिये। यूनिवर्सिटी केवल एक विशेष शिक्षा देने के लिये कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिये होनी चाहिये. मास एजूकेशन का केन्द्र उसे नहीं बनाना चाहिये। अनावश्यक ढंग से किसी भी विभाग को मान्यता नहीं देना चाहिये। उदाहरण के लिये मिलीटरी साइन्स के लिये किसी भी सेवा में कोई मान्यता नहीं है, अतः इसे मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है।] फिजूल में इसकी शिक्षा देने से फायदा नहीं है।

संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से संबद्ध जो अन्य महाविद्यालय हैं, उनके टीचर्स को भी यूनिवर्सिटी टीचर्स वाला ग्रेड देना चाहिये और उनके लिये भी वही सेवा नियमावली आदि होनी चाहिये जो विश्वविद्यालय टीचर्स के लिये हैं। यूनिवर्सिटी स्तर की पुस्तकें हिन्दी में बनाने के लिये हिन्दी ग्रन्थ एकादमी को विशेष अनुदान देना चाहिये। मान्यवर, आपने बहुत जल्दी की। मैं नहीं समझता था कि आपके कार्यकाल का नियम कुछ और है और अध्यक्ष

महोदय के कार्य-काल का नियम कुछ और है। यह कहते हुए अब मैं अधिक नहीं बोलना चाहता।

*श्री उपाध्यक्ष––

नियम तो समान हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह––

एक दिन की बहस में तो संशोधन मूव करन वाले को दो–दो घंटे दिये जायं और दो दिन की बहस में कम समय दिया जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य एक घंटा 30 मिनट बोल चुके।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हुं कि आपने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को महत्व देकर आज एक महिला को बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं अपने मुख्य मंत्री जी और अपने शिक्षा मंत्री जी को डिग्री कालेज के अध्यापक और अध्यापिकाओं की ओर से इस बात के लिये धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने.....

श्री उपाध्यक्ष––

माननीया सदस्या, बैठ जायं। कोरम का अभाव है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, सर्व प्रथम मैं अपने मुख्य मंत्री जी और अपने शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने सम्पूर्ण भारतवर्ष में सर्व प्रथम यू0 जी0 सी0 स्केल देकर डिग्री कालेज में डिग्री कालेज के टीचरों को जो सम्मान दिया है, उसके लिये कृतज्ञता प्रकट करने के लिये मेरे पास उतने शब्द नहीं हैं। पैसे की कोई बात नहीं है। धन तो मिट्टी है, पानी की तरह आता है और पानी की तरह चला जाता है लेकिन इस के पीछे जो भावना है, जो अध्यापकों को आदर और सम्मान दिया गया है, जो उसका दर्जा ऊपर उठाया गया है, विशेषकर इस बजट में, इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं और मैं आशा करती हूं कि जो रास्ता हमारे मुख्य मंत्री जी ने दिखलाया है, उस रास्ते पर अन्य प्रदेश भी चल कर अपने को धन्य मानेंगे। और शीघ्र ही अन्य प्रदेशों में अध्यापक और अध्यापिकाओं के लिये जो यू0जी0सी0 के वेतनमान हैं वह लागू किये जायेंगे। हम आशा करती हैं कि इसके बाद हमारे शिक्षा क्षेत्र में हमको उत्तम प्रकार के व्यक्ति प्राप्त होगे और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा।

मान्यवर, अभी विरोधी भाईयों ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है कि अनुदान एक रुपया कर दिया जाय। तो वह अच्छा मजाक है कि एक रुपया कर दिया जायेगा तो मैं आपसे पूंछना चाहती हूं कि नये वेतनमान या जो वृद्धियां हैं उनको कहां से दिया जायेगा? एक रुपया में किस-किस अध्यापक को वेतन दिया जायेगा? इसलिये जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें आप सीरियसली गौर नहीं कर रहे हैं और उसको बच्चों का खेल समझ रहे हैं। इससे यह भी मालूम पड़ता है कि इन लोगों का शिक्षा में इन्टेरेस्ट नहीं है क्योंकि एक रुपया करने का संशोधन पेश किया है। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करती हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि आजादी के बाद हमने शिक्षा में बढ़ोत्तरी की है। सम्पूर्ण शिक्षा के संबंध में बताने के लिये समय नहीं है। उच्च शिक्षा को लें तो 1946 मे सारे प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय थे और आज 29 विश्वविद्यालय हैं। 1974 में झांसी, फैजाबाद, बरेली, गढ़वाल आदि स्थानों पर नये विश्वविद्यालय खोले गये हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि पहाड़ी क्षेत्रों को निगलेक्ट नहीं किया गया है, उन पर ध्यान दिया गया है और वहां पर 5 डिग्री कालेजेज खोले गये हैं।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, टेक्निकल एजूकेशन को लें तो उसमें आजादी के पहले 2 कालेज थे—कानपुर और रुड़की। लेकिन जब आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, नैनीताल आदि स्थानों में टेक्निकल एजूकेशन देने का प्राविधान किया गया है जिसके लिये हम मुख्य मंत्री जी के शुक्रगुजार हैं। एक जमाना था जबकि डिग्री कालेजेज 12 थे और अब 253 डिग्री कालेजेज हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में कोई मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके पीछे श्री रामजी लाल सहायक जी बैठे हुये हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है.....।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, श्री रामजी लाल सहायक विरोधी पक्ष में आ गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके कहने से नहीं आये हैं। जब वे कहेंगे, तभी हम मानेंगे।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, बी0 एड0 में कोई शक नहीं है कि जो प्राइवेट मैनेजमेन्ट हैं, उनमें भ्रष्टाचार है। लेकिन खुशी की बात है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि बी0 एड0 के लिये एक प्रकार का टेस्ट जिस प्रकार पी0 एम0 टी0 के लिये होता है, उसी प्रकार से टेस्ट लिया जायेगा और जो उसमें पास होंगे वह बी0 एड0 में भर्ती किये जायेंगे। इसके लिये अलग से एक बिल आ रहा है। मैं इसकेलिये माननीय मुख्य मंत्री एवम् शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहती हूं। यह बात सही है कि मैकाले ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली इसलिये शुरू की थी ताकि बाबू क्लास पैदा हो और जैसी उनकी मंशा थी उसके अनुसार देश के अन्दर विदेशी शिक्षा तथा विदेशी संस्कृति का प्रचार हुआ। लेकिन आजादी के बाद से इन 27 सालों में शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये हैं और समय-समय पर होते रहे हैं और होते रहेंगे क्योंकि जैसी कि स्थिति है विश्व परिवर्तनशील है और जैसी परिस्थितियां बदलती हैं उसी के अनुसार शिक्षा में भी नये-नये परिवर्तन होते हैं। यही वह शिक्षा है जिसने बड़े-बड़े नेताओं को उत्पन्न किया जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश का निर्माण किया—जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्ण, आचार्य नरेन्द्र देव, लाल बहादुर शास्त्री, सेथाना जैसे वैज्ञानिक उत्पन्न किये और यही वह शिक्षा है जिसने वह सिपाही, कमान्डर, कप्तान आदि पैदा किये हैं जिसने बंगला देश की लड़ाई में शत्रु के दांत खट्टे कर दिये और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। यही वह हमारी शिक्षा है जिसने चीन और पाकिस्तान के दांत खट्टे किये हैं। साथ ही अभी हाल में अणु शक्ति का चमत्कार कर दिखाया है जिसके द्वारा हमारा हिन्दुस्तान स्वर्ग बन सकता है। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, दो मिनट का और अवसर दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

अब तो मेरे लिये मुश्किल है। दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह सही है कि हमारी शिक्षा में कुछ दोष हैं और वह दोष तीन तरह के हैं। पहला दोष यह है कि जब बच्चा पढ़-लिखकर निकलता है तो उसका दृष्टिकोण अवैज्ञानिक हो जाता है। जो भी लड़का पढ़कर निकलता है वह हिन्दू मुसलमान, कुर्मी, ईसाई, शिड्यूल कास्ट, इस प्वाइन्ट आफ व्यू, इस विचाराधारा के अनुसार काम करता है। दूसरा दोष यह है कि वह श्रम से घृणा करने लगता है और तीसरा दोष दलित वर्ग से उसका स्नेह नहीं है। इन तीनों दोषों को उसे दूर करना है। शिक्षा का महत्व क्या है? एक जमाना था कि हमारे यहां जो शिक्षा दी जाती थी, उसका एक लक्ष्य था वह था मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति यानि आत्मा का उच्चतम विकास ही मोक्ष है- सर्वव्यापी हो जाना ही मोक्ष है। मैं आपको एक उपनिषद् की कहानी बताती हूं जिसमें एक शिष्य ने एक गुरू से पूछा कि गुरुजी यह कौन सी शिक्षा है, कौन सा ज्ञान है जिसके अन्तर्गत सब कुछ जाना जा सकता है। तो मान्यवर, सही ज्ञान वही है जो अन्तरदृष्टि को खोल दे और अन्तरदृष्टि खुलने के बाद फिर विश्व का कोई रहस्य ऐसा नहीं रह जाता जो छिपा रह सके जोकि इस विश्व में एक-एक रहस्य अणु की मात्रा में हमारे हृदय में मौजूद है। हमको ऐसी शिक्षा देनी है जो हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करे, जो सोशलिज्म, प्रजातंत्रवाद तथा ह्युमेन मारेल वैल्यूज में श्रद्धा उत्पन्न करे। गांधी जी तथा गौतम बुद्ध ने प्रतिपादन किया है जिन आधारभूत सिद्धान्तों का, उनके प्रति आस्था उत्पन्न करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाये, गरीबों के लिये त्याग तथा मोहब्बत उत्पन्न करे जो ईसा के मन में थी गौतम बुद्ध तथा महात्मा गांधी के मन में थी, जिसकी वजह से उनको गोली का शिकार तक होना पड़ा। हमको इसीलिये प्रतिक्रियावादी शक्तियों के खिलाफ बड़ा होशियार रहना है। बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे विश्वविद्यालय प्रतिक्रियावादी शक्तियों के अखाड़े बने हुए हैं, उन शक्तियों के जिनकी प्रजातंत्रवाद में, सोशलिज्म में कोई आस्था नहीं है, शिक्षा एवं शान्ति में जिनकी कोई आस्था नहीं है। इनके प्रति हमको बहुत होशियार रहना है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, श्री कपुरिया को इन्हीं शक्तियों ने गोली से उड़ा दिया। इन फासिस्ट टेण्डेण्सीज का विश्वविद्यालयों में घुस जाना और इनका निराकरण न करना कहां तक उचित होगा और इससे देश कहां जायगा? इसके प्रति हमको जागरूक रहना है। हमको विश्वविद्यालय में ऐसा वातारण पैदा करना है जिससे ये फासिस्ट टेण्डेण्सीज डेवलप न हो सकें, वरन् हमारे बच्चों के मन में सच्चाई, शान्ति तथा न्याय के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सके।

मुझे एक सुझाव भी देना है कि प्रदेश में महिलाओं का एक महिला विश्वविद्यालय भी होना चाहिये, एक महिला वाइस चांसलर तथा एक महिला डायरेक्टर भी होनी चाहिये। अगर देश में प्रधान मंत्री महिला हो सकती है, झांसी की रानी हो सकती है जो लड़ते हुए अपने को कुर्बान कर सकती है तो क्या महिला वाइस चांसलर अथवा डायरेक्टर नहीं हो सकती? अन्त में मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है शिक्षा का, मैं उसका समर्थन करती हूं।

*श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, शिक्षा का जो अनुदान रखा गया है और उसके तहत शिक्षा का जो स्वरूप रखा गया है उससे मैं समझता हूं कि प्रतिक्रियावाद तथा फासिस्टवाद समाप्त होने वाला नहीं है, उसको बढ़ावा मिलेगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी असमानता है। आप प्रारम्भिक शिक्षा को ले लें। जो उसका स्वरूप है उस पर आप दृष्टिपात करें। एक तरफ गांव में वे स्कूल हैं जिनके लिये भवन नहीं हैं, टाट नहीं हैं, पाठ्यपुस्तकें तथा अन्य सामग्री जो आवश्यक हैं, वह नहीं हैं। दूसरी तरफ शहरों में नर्सरी स्कूल माण्टेसरी स्कूल हैं, शिशु मन्दिर हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव प्रसाद सिंह]

हैं, किण्डर गार्डन स्कूल हैं। वहां इस तरह की शिक्षा होती है और दूसरी तरफ गांवों में जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको बैठने के लिये टाट नहीं है। इस तरह की आज असमानता है। इसका नतीजा यह होता है कि गरीबों के बच्चों का मनोबल टूट जाता है, उनका विकास नहीं हो पाता है, उनकी अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती है। इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। जिससे यह गैर बराबरी और असमानता दूर हो। मैं चाहूंगा कि अगर आप यह चाहते हैं कि यहां से प्रतिक्रियावाद समाप्त हो तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की गैर-बराबरी और असमानता दूर की जाय और एकरूपता लाई जाय। मैं चाहता हूं कि यदि एक बच्चा ग से गधा पढ़ता है तो सभी बच्चे ग से गधा ही पढ़ें। यह नहीं होना चाहिये कि कोई बच्चा ग से गधा पढ़े और कोई बच्चा ग से गणेश पढ़े। इस बात को समाप्त करके प्रारम्भिक शिक्षा में एकरूपता लाने की कोशिश करनी चाहिये।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है और कई बार यह सवाल इस सदन में भी आ चुका है शिक्षा के क्षेत्र में अरबों रुपया व्यय होता है जिन विद्यालयों को सरकार चलाती है, लेकिन अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं जिनको प्राइवेट संस्थायें भी चलाती हैं। ऐसी संस्थाओं में किसी न किसी रूप से जाति विशेष का प्रबन्ध होता है। उसके प्रबन्धक और व्यवस्थापक किसी जाति विशेष के होते हैं। जिन स्कूलों में जिनका प्रबन्ध किसी जाति विशेष के हाथ में होता है, वहां के स्टाफ में उस जाति विशेष से 2/4 अध्यापक लेक्चरर और प्रोफेसर होते हैं जो कि उसी जाति के होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जातिवाद समाप्त हो, आप चाहते हैं कि सामाजिक गैर बराबरी मिटे, प्रतिक्रियावादी समाप्त हो तो आपको चाहिये उसमें कोई न कोई नियंत्रण और अंकुश उसमें लगायें। माननीय मंत्री जी ने जो योजना रखी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह मालूम हो, इस तरह का प्रभुत्व इन संस्थाओं से निकले, ऐसा उसमें कुछ नहीं है।

इस सदन में कई बार यह चर्चा हुई कि जो हमारे हरिजन नवयुवक हैं, एम0 एड0, बी0 एड0, पोस्ट ग्रेजुयेट बेकार पड़े रहते हैं। प्राइवेट शिक्षण संस्थायें किसी जाति विशेष के हाथ में रहती हैं जो कि हरिजनों को मौका नहीं देती हैं चाहे वे कितने ही योग्य क्यों न हों। इसका नतीजा यह होता है कि जुलाई, अगस्त के महीने में जो उच्च शिक्षा के मंत्री हैं जो कि पहले माध्यमिक शिक्षा के मंत्री थे, उनके यहां हम लोगों ने बीसों दरख्वास्तें (ट्रेन्ड ग्रेजुयेट्स की) दीं और उनसे निवेदन किया कि ये बेचारे कहां जायं, उन्होंने बी0 एड0 कर लिया, एल0 टी0 कर लिया। कोई प्राइवेट संस्था में रखने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने भी उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। कई आश्वासन भी उन्होंने दिये विचार करेंगे, लेकिन उनमें से किसी को भी जगह नहीं मिली। आपको ताजुब होगा कि उसमें 2 महिलायें हैं जो कि एम0 ए0, बी0 एड0 हैं, दोनों हरिजन हैं। वह अध्यापन कार्य करना चाहती हैं लेकिन कोई विद्यालय नहीं है जो उनको अध्यापन कार्य के लिये रखना चाहता है। इस तरह से जो आप शिक्षा के ऊपर अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं वह जो साधन सम्पन्न लोग हैं उनके पास जा रहा है। उन्हीं को जिनके पास आजीविका के और साधन हैं, उन्हीं को इससे लाभ हो रहा है। हरिजन गरीब मुहताज लोग जो पढ़ लिख लेते हैं उनको रोटी के लिये मोहताज होना पड़ रहा है, उनको नौकरी नहीं मिलती है अगर वह अध्यापन कार्य करना चाहते हैं, बी0 एड0 और एल0 टी0 हैं तो उनको कोई विद्यालय जगह नहीं देता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आज जो उत्तर प्रदेश में हरिजनों की संख्या 21 प्रतिशत है, संविधान में जन-संख्या के अनुपात से उनको 18 प्रतिशत स्थान मिलना चाहिये। जो 18 प्रतिशत का संरक्षण है, वह सरकार दे। लेकिन सरकार इस पर विचार करने को तैयार नहीं है। आप उनको 21 फीसदी के हिसाब से संरक्षण नहीं दे सकते हैं तो 18 फीसदी दें, 18 फीसदी नहीं दे सकते हैं 10 फीसदी दें, 10 फीसदी नहीं दे सकते हैं तो 1 फीसदी दें। अगर एक फीसदी भी नहीं दे सकते हैं तो फिर कह दें कि हम नहीं दे सकते हैं। सरकार आश्वासन तो देती है, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती है।

मैं समझता हूं कि सरकार प्राइवेट स्कूल, कालेजों के लिये अनुदान देती है, उनके लिये सिलेबस बनाती है, भवन के लिये अनुदान देती है तो इस तरह का कानून भी बनाये कि हरिजनों को 18 फीसदी, 10 फीसदी या 12 फीसदी वह जो भी हो, हर स्कूल में जगह मिले। मैं समझता हूं कि इससे हरिजनों को रोटी मिल जायेगी। लेकिन इस तरह का प्राविधान जो वर्तमान बजट का प्रारूप रखा गया है उसमें नहीं है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें और इस बात को स्वीकार करें अगर वह हरिजन युवकों को रोजी देना चाहते हैं तो यह उनकी गरीबी को मिटाने का अच्छा तरीका है, जिससे उनमें खुशहाली आ सकगी।

इसी तरह से हमारे डिग्री कालेजेज और यूनिवर्सिटीज हैं। बहुत से हरिजन युवक ऐसे हैं जो बी0 एस-सी0, एम0 एस-सी0 कर लिये हैं जो यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर हो सकते हैं लेकिन वहां भी इसी तरह की उपेक्षा उनकी होती है। नीचे से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैं चाहूंगा कि हरिजनों को वहां पर मौका दिया जाय।

इस सम्बन्ध में मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा पिछले वर्ष हमारी सरकार ने कहा था कि डिग्री कालेजों को मान्यता नहीं दी जायेगी, एफिलियेशन नहीं दिया जायेगा। लेकिन में समझता हूं कि ऐसा करने से बहुत सी जगहों पर पक्षपात किया गया है। सरकार को चाहिये कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कालेजेज की जरूरत है, जहां पर 25–30 मील से लड़कों को आना पड़ता है। मेरे क्षेत्र आजमगढ़ में महमूदाबाद में डिग्री कालेज की जरूरत है, वहां पर भवन भी हैं और दूसरे साधन भी हैं। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिले थे वहां के सभी साथी अपोजिशन और कांग्रेस दोनों तरफ के सदस्यों ने उनसे अनुरोध किया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन बाद में वह मुकर गये और वहां के लिये मान्यता नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि अगर आर्थिक संकट के कारण यह किया गया है तो यह अनुचित है, इस पर फिर से विचार करें। जो क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं, उनके लिये यह प्रतिबंध नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री शिव प्रसाद––

मैं इन बातों के साथ जो कटौती प्रस्ताव पेश किये गये हैं, उनका समर्थन करता हूं।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)––

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि शिक्षा मंत्री यह जो अध्यापकों का आन्दोलन चल रहा है, के सम्बन्ध में 2.30 बजे एक बयान देंगे। तो ढाई बज चुका है, क्या वह बयान देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष––

ऐसा है कि शासन की तरफ से सूचना आई है कि जो स्टेटमेन्ट देना है, वह अभी छप कर तैयार नहीं हुआ है। वह ढाई बजे के बजाय 3.30 बजे स्टेटमेन्ट देंगे। परिस्थिति-वश वह स्टेटमेन्ट तैयार नहीं हो सक है।

श्री मोहन लाल कपूर––

स्टेटमेन्ट तो आ गया ह, आप पढ़वा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष––

अभी नहीं आया। 3.30 बजे स्टेटमेन्ट देंगे।

बाबू प्रभाकर सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षा के लिये जो बजट प्रस्तावित किया गया है, वह कुल राजस्व लेखे का 26.3 प्रतिशत है, जबकि गत वर्ष यह 25.2 प्रतिशत था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व शिक्षा पर हमारा व्यय 11 प्रतिशत था और स्वतन्त्रता के पूर्व शिक्षा पर जो परिव्यय हम कर रहे थे, उसमें अब हमारे बजट में 65 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, जबकि पूरे प्रदेश के बजट में केवल 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अतः शिक्षा के बजट में इस वृद्धि के लिए मैं सरकार और शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। परन्तु शिक्षा की उन्नति के लिये अभी और हमें विकास करना है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, उसकी जन संख्या भी बहुत बड़ी है। हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं। शिक्षा का जो 206 करोड़ का बजट है, उसमें से 24 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा पर और 6 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर हम खर्च कर रहे है। मेरी निगाह में यह बहुत कम है और यदि हमारी सरकार के पास शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था करने के लिये धन की कमी है तो मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर गम्भीरता से विचार करें कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा बढ़ाने के लिये विशेष रूप से किसी सेस या कर लगाने की आवश्यकता हो तो वह लगाया जाए। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस बजट में यह कहा गया है कि वे ग्राम पचायतें जिनकी आबादी 750 से अधिक होगी, वहां पर प्राइमरी पाठशालाएं खोली जायेंगी। सरकार का यह निश्चय ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इसके लिये भी शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं।

दूसरी चीज, हमारे बजट में यह कही गयी है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 5 लाख अतिरिक्त छात्रों को विद्यालयों में प्रवेश देने के लिये, अनुभाग खोलने की विद्यालयों में व्यवस्था की जाएगी या द्विपाली शिक्षा योजनाएं चालू की जायेंगी। इस सिलसिले में मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अनुभाग खोलते समय या द्विपाली व्यवस्था लागू करते समय वह इस बात का अवश्य अच्छी तरह से ध्यान रखें कि ऐसा करने से कहीं विद्यालयों की छात्र संख्या इतनी ज्यादा न बढ़ जाए कि शिक्षा में जो अपेक्षित कार्य कुशलता है वह धूमिल हो जाए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को पूरक परीक्षा में बैठने का जो अवसर दिया गया है, वह एक अच्छी बात है। लेकिन हमारा अनुभव यह बताता है कि गत वर्ष जो पूरक परीक्षा हुई थी, उसका स्तर हमारी सामान्य परीक्षाओं से बहुत नीचा था। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस सुविधा के साथ-साथ आप हमारे परीक्षा का स्तर गिरने न दें।

प्रस्तुत बजट में जे0 टी0 सी0 और बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को, यदि उन्होंने निर्धारित योग्यता प्राप्त कर ली है तो सी0 टी0 का वेतन-क्रम देने का प्राविधान किया गया है। यह बहुत ही प्रसंशनीय बात है। यदि हमारे अध्यापक समय-समय पर योग्यताएं बढ़ा लेते हैं, तो उन्हें उन्नति करने के लिये, आगे जाने के लिये ऐसा अवसर देना ही चाहिये। इसके बिना अब तक जे0 टी0 सी0 और बी0 टी0 सी0 अध्यापकों में जो असन्तोष था, वह अब बहुत कुछ दूर हो जाएगा। हमारे बजट में इस बात का भी प्राविधान किया गया है कि आहरित वेतन के 1—5 भाग के बराबर मासिक अनुग्रह पेंशन प्राइमरी से लेकर डिग्री स्तर तक सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों को दी जाएगी।

शिक्षकों को आर्थिक कष्टों से मुक्त करने के लिए यह बहुत अच्छा सरकार का प्रयास है। यहीं पर एक बात अपने अनुभव से कहना चाहूंगा। अनुग्रह पेंशन या प्राविडेंट फंड पाने में अध्यापकों को बड़ी कठिनाई हुआ करती है। प्राविडेंट फंड का यह हाल होता है कि अध्यापक सेवा निवृत्त हो जाता है और कई साल बीत जाते हैं, कभी—कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन प्राविडेंट फंड प्राप्त नहीं होता है। इसके लिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अपने बजट में उसी तरह से जैसे कि अन्य मदों में प्राविधान किया जाता है, फरवरी तक सरकार का जो प्राविडेंट फंड के लिये देय अंश होता है, उसे जमा कर दिया जावे। ताकि

शिक्षक के सेवा निवृत्त होने पर महालेखाकार, जिला विद्यालय निरीक्षक और शिक्षा अधिकारियों के बीच, जो अनावश्यक पत्राचार होता है और शिक्षक को प्राविडेंट फंड से बंचित हो जाना पड़ता है, वह कठिनाई दूर हो सके ।

इसी बजट में अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष के बालकों के लिये अंशकालीन कक्षायें खोलने की बात कही गयी है । जहां तक इन कक्षाओं को खोलने का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये कक्षायें पुरस्कार स्वरूप न खोली जायं बल्कि इन कक्षाओं के लिये ऐसे योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाय जो योग्य और कार्यनिष्ठ हों । हमारा पुराना अनुभव बताता है कि ऐसी योजनाओं में प्रायः धन का दुरुपयोग होता रहा है। इससे बचने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास पैसा वैसे ही कम है ।

इसी बजट में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात भी कही गयी और यह बताया गया कि सुल्तानपुर जिले में एक पायलेट योजना चल रही है, जिसमें कार्यानुभव के अन्तर्गत कई प्रकार के काम हो रहे हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि कार्यानुभव के अन्तर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं, उनकी संख्या और बढ़ायी जाय। हमें जो भी सूचना दी गयी है वह थोड़ी है । साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि व्यवसायीकरण और सैद्धान्तिक पक्ष दोनों पर बराबर जोर हो, ऐसा न हो कि सैद्धान्तिक पक्ष पर बहुत जोर दें और व्यवसायीकरण पर हल्का फुल्का ध्यान दें । ऐसा होगा तो आपकी योजना कमजोर हो जायगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहूंगा कि जो बातें हैं, जिनसे प्रत्येक शिक्षाविद का संबंध है । हम देखते हैं कि हमारी भारतीय राज्य रचना उसकी आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक मूल्य आज सामन्तवाद, पूंजीवाद और समाजवाद की सद्रताओं से ग्रस्त हैं। आज हमारी हालत यह है कि हम विदेशों से न केवल धन उधार ले रहे हैं बल्कि विचार और मूल्यों का भी आयात कर रहे हैं। आंख मूंद कर उन्हें अपना रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि हम जब नये समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में भारतीय मानसिकता को आधारशिला मानकर-नया पुनर्गठन किया जाय और जो सुद्रतायें हमारे समाज में और शिक्षा जगत में व्याप्त हो गयीं हैं, उनको दूर किया जाय। हमें इस बात को देखकर बड़ा दुख होता है कि हमारे राजनैतिक दल, राजनैतिक और हमारे सामाजिक नेतागण और हमारी अनेक संस्थायें सामान्य मान्यताओं और राष्ट्रीय उद्देश्यों विमुख होकर कार्य करती हैं। उसका बहुत बुरा प्रभाव हम पर पड़ता है। मैं अनुभव करता हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा आमूल-चूल परिवर्तन किया जाय कि जिस विषम स्थिति में हम आ गये हैं इससे हमें मुक्त होने में सहायता मिले।

श्रीमन्, मैं एक बात और आप से कहना चाहूंगा। इस समय यह कहा जाता है, कि छात्रों में बड़ी अनुशासन हीनता फैली हुयी है। मैं आप से यह कहना चाहुंगा कि जब तक हमारे शिक्षक, हमारे अभिभावक और हमारे समाज के चेतना सम्पन्न वर्ग इस अनुशासनहीनता को दूर करने में सहयोग नहीं देंगे तब तक यह अनुशासनहीनता दूर नहीं हो सकती । आखिर हमारे समाज की वर्तमान स्थिति और हमारा नेतृत्व जो उनके सामने उदाहरण रख रहा है और जो हमारी समस्यायें हैं, उनसे हमारे जो युवक हैं, जो छात्र हैं वे अपने को उनसे कैसे दूर रख सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य का समय समाप्त ।

बाबू प्रभाकर सिंह--

मैं दो मिनट चाहूंगा जिससे मैं अपने इस विचार को समाप्त कर सकूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अन्य माननीय सदस्य कृपया अभी बैठ जायं।

बाबू प्रभाकर सिंह--

हमने आजादी की प्राप्ति के लिये बहुत बड़ी क्रान्ति की। हमने पंचवर्षीय योजनायें बनायीं और उनके द्वारा हम आर्थिक क्रान्ति की ओर अपने देश और प्रदेश को ले चल रहे हैं। लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि इस देश में अभी एक क्रान्ति और होने की आवश्यकता है। उसका श्रीगणेश होना चाहिये और वह क्रान्ति है मौलिक जनतांत्रिक मूल्यों की क्रान्ति। हमारा अभिप्राय यह है कि हमारे जनतान्त्रिक अधिकार क्या हैं और हमारे जनतान्त्रिक कर्त्तव्य क्या हैं, इसका हमें ज्ञान नहीं है। आज स्थिति यह है कि हमारे समाज के तथा-कथित शिक्षित लोग जो इन जनतन्त्रीय मूल्यों को समझते हैं किन्तु इन जनतन्त्रीय मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने के लिये तैयार नहीं हैं। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं आप से कहना चाहूंगा कि जब तक मौलिक जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी शिक्षा संस्थाओं, हमारे शिक्षकों, हमारे शिक्षाविदों की बौद्धिक प्रतिबद्धता नहीं होगी, तब तक उसके बिना आज जो अनुशासनहीनता का वातावरण और हिंसा का वातावरण हमारी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त हो गया है, उन्हें हम दूर नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

बाबू प्रभाकर सिंह--

केवल एक मिनट का समय दे दीजिये, बात समाप्त कर लूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी विवशता है। जितना समय दिया जा सकता था, वह आप को दे दिया गया है। अब आप कृपया समाप्त करें।

बाबू प्रभाकर सिंह--

इन शब्दों के साथ हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर दिया।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था कि नई उम्र के शिक्षा मंत्री जब बजट रखेंगे तो उसमें कुछ नई बातें होंगी और पिटे-पिटाये तरीकों से हट कर के शिक्षा के बारे में कोई नया स्वरूप गढ़ा जावेगा किन्तु जो बजट यहां पर आज रखा गया है, उससे न तो साम्प्रदायिकता मिटने वाली है न प्रतिक्रियावाद का खात्मा होने वाला है और न उत्तर प्रदेश के विकास में विद्यार्थियों को कोई नयी बात मिलने वाली है।

सन् 47 के बाद से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में साक्षरता का जो आंकड़ा है वह इस प्रकार है। सन् 74 में 21.70 फी सैकड़ा लोग यहां पर साक्षर थे। सन् 73 में 21.64 फी सैकड़ा के आसपास लोग साक्षर थे। दूसरी तरफ केरल जैसे राज्य में साक्षरता का आंकड़ा 60 फी सैकड़ा है। पश्चिमी बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र का साक्षरता का आंकड़ा ले लिया जाय तो 33 से 40 फीसदी के आसपास है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो सबसे बड़ा आरोप ही यह है कि अंग्रेजों ने जहां-जहां कोठियां बनाई थीं और जहां-जहां अंग्रेजी सभ्यता का प्रसार करने का बीड़ा उठाया था, वहां-वहां ही दक्षिणी भारत में हमारी कांग्रेस की सरकार भी विकास कर रही है, लेकिन जहां पर आजादी की लड़ाई लड़ी गयी चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, वहां पर यह सरकार उनको पिछड़ा हुआ रख रही है। आज उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय जो भाषण दिया है और जो विचार रखे हैं उनसे ऐसा लगता था कि जैसे विपक्ष के स्वर को अपना रहे हों। शिक्षा मंत्री कह रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

थे कि हमारी शिक्षा का जो ढांचा है, उसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक और बीच में जो माध्यमिक शिक्षा है, इन सब में गैर बराबरी का वातावरण बना हुआ है। चाहे वह साम्प्रदायिकता की बात हो, या पैसे की बात हो, सभी स्तरों पर गैर बराबरी का वातावरण है और गैर बराबरी के वातावरण को जन्म देकर इन स्कूलों और कालेजों और शिक्षा मन्दिरों को चलाया जा रहा है। जो प्राथमिक शिक्षा है, इसमें जहां इतिहास का गलत ज्ञान कराया जाता है दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के साहित्य और समाज की जो संस्कृति है, जो सभ्यता और परम्परा है, उसका भी बहुत गलत ज्ञान कराया जाता है। जो कविता रखी जाती है पाठ्यक्रमों के अन्दर, वह छात्रों की मानसिकता को ध्यान में रखकर नहीं रखी जाती। कवि की कविता रहेगी या कवि ही रहेंगे। छठवीं, सातवीं कक्षाओं तक जो कविता रखी जाती है वह कवि के अनुसार रखी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य बैठें, यह बातचीत करने का स्थान नहीं है। जो माननीय सदस्य बातचीत कर रहे हैं, वे बाहर जाकर बातचीत करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश––

उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर दिनकर जी की दो लाइन की कविता पढ़ना चाहता हूं।

"क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा है,
हे नर, व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां का भारा है।"

यह दिनकर जी की लाइन है जो सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों की जो मानसिक भावना है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। सूरदास का एक पद है।

"मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी।"

आजकल के आधुनिक सभ्यता को ग्रहण करने वाले विद्यार्थी अब चोटी कब बढ़ेगी यह कविता की जो भाषा है जो मन को सम्भालने वाली नहीं है। मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि छात्र की मानसिकता को ध्यान में रखकर उसको रखा जाय, कवि को ध्यान में रखकर न रखा जाय। आज इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल का जो बोर्ड बनाया गया है, यह कांग्रेस सरकार की तरफ से निश्चित रूप से एम0 एल0 सी0 बनाने का माध्यम बनाया गया है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन किसी भी कीमत पर तो होता ही नहीं है। आजकल की शिक्षा जो है, इतनी ज्यादा बे बकवास हो गई है, उसका आज तक की जिन्दगी से कोई मतलब ही नहीं है। हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की जो परीक्षा है रोज की जिन्दगी से कोई उसका मतलब नहीं है। उसकी शिक्षा प्रणाली जो है, जो बोर्ड में रखी जाती है वह बिलकुल बदलनी पड़ेगी। उसमें कोई सुधार करने से कोई भी नतीजा निकलने वाला नहीं है। विकेन्द्रीकरण करने से भी कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है जब तक कि इसके बोर्ड के विकल्प में दूसरी शिक्षा प्रणाली न रखी जाय। आज विश्वविद्यालय की शिक्षा 50 साल पुरानी हो गई है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी ने आगरा विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह में कहा था कि खुले विश्व-विद्यालय होने चाहिये। डा0 के0 आर0 बी0 राव ने इसकी वकालत की थी और बटलर साहब ने इसकी सिफारिश की थी। आजकल प्रवेशों में सीटों को कम किया जा रहा है। आजकल पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में सीट कम की जा रही हैं, पी0 एम0 टी0 की सीटें घटाई जा रही हैं। 300 सीटें पी0 एम0 टी0 की घटा दी गई हैं। दूसरी तरफ शिक्षा को कम किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, खुली किताबें रखकर परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिये इन्टरमीडिएट तक या हाई स्कूल तक। उपाध्यक्ष महोदय, दो या 3 मिनट या 5 मिनट का मौका दें।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मुझे थोड़ा समय और चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

दो मिनट तो शेष हैं।

श्री शतरूद्ध प्रकाश---

महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको पहले कह देना चाहिये। पहले तो भटकते रहे। (खड़े सदस्यों से) माननीय सदस्य बैठने का कष्ट करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

इस परीक्षा प्रणाली में एक रटन्त प्रणाली चल रही है। जब परीक्षा होने वाली होती है तो किताब से रट कर परीक्षा पास की जाती है। आज जरूरत है कि खुली किताब को रखकर परीक्षा की इजाजत देना चाहिये। 1951 और 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बात पर शोध किया और शोध करने के बाद खुली परीक्षा के बारे अपना नतीजा निकाला। टर्मिंग साहेब ने कहा कि इससे भय खतम होगा, छात्र की रुचि का पता लगेगा, उसकी प्रतिभा का विकास होगा। शिक्षा विदों की जो विचारधारा है, उसके मुताबिक मैं कह सकता हूं कि आज नकल को खतम करने के लिये लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। जो परीक्षा करायी जाती है, मैं मांग करता हूं कि खुली परीक्षा करायी जाय, जिससे उसकी प्रतिभा को समुचित मौका मिले।

मैं कहना चाहता हूं कि कुलपतियों की जो नियुक्ति हो रही है, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रही है। सरकार का विरोधपूर्ण रवैया है उनको दबाने के लिये कुल पतियों को नियुक्त किया जाता है। कलेक्टर या कोतवाल की तरह से उनसे काम कराया जाता है। वाईस चान्सलर के जो राइट्स हैं, उनका विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। मुझे इतना ही कहना था।

*श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के बजट का समर्थन करने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं।

श्री काशी नाथ मिश्र---

कोई सूची वगैरह दी गयी है ?

श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया---

शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन हुआ है जो पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ है। शासन ने उसका भार अपने ऊपर लिया है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक जी0 ओ0 गया, जिसमें नये सेक्शन खोलने के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया। ऐसे भी जिले हैं जहां पर डिग्री कालेज नहीं हैं। अलीगढ़ इतना बड़ा जिला है, लेकिन इसकी 4 तहसीलों में डिग्री कालेज नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसा प्रतिबन्ध न लगाया जाये। जहां पर उच्च शिक्षा की आवश्यकता है, वहां पर उच्च शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिये। दूसरी चीज अभी अनुशासन के सम्बन्ध में कही गई हैं। यह एक व्यापक चीज है। जितनी शिक्षा बढ़ रही है, उतना ही अनुशासन बढ़ रहा है। शिक्षा या अनुशासन ऐसी चीज नहीं हैं, जो रुक सके। ये रोज बढ़ती चली जायेंगी और शोषित समाज रोज ही बढ़ता चला जायगा। तो इसके लिए हमें कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। जैसे एक रौ होती है, जब यह आती है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर इसके लिये कहा जाय कि अब खत्म हो जाय, पानी नहीं रुकेगा लेकिन अगर नहरें हैं तो रुकेगा वरना जमीन को सैलाब करके बरबाद करेगा। हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है, उसमें हमें परिवर्तन करना होगा। हमारी जो टैक्नीकल एजूकेशन है वह हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा काम कर सकती है। इस समय टैक्नीकल एजूकेशन में पुरानी परिपाटी चली आ रही है। जो सरकार के टैक्नीकल स्कूल्स हैं, उनमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीन प्रकार की शिक्षा दी जाती है। नतीजा यह है कि सभी इन्जीनियर्स बेकार हैं, जबकि और ट्रेड्स के लिये सैकड़ों इन्जीनियर्स और जूनियर इन्जीनियर्स की जरूरत है। इसलिये मेरा सुझाव है कि नई ब्रान्चेज खोली जायं और टैक्नीकल एजूकेशन को अधिक पैसा दिया जाय तो जो हमारे बेकार नवयुवक हैं, वे उन धन्धों में लग जायेंगे। इसके अलावा जिन मामलों में हम विदेशों से सलाह मश्विरा लेते हैं, अगर हमारे नवयुवक शिक्षित होंगे तो उसकी आवश्यकता न पड़ेगी।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, आज हर एक ही आंख उधर ही लगी हुई है कि राष्ट्रीयकरण होगा या नहीं होगा। आज इस प्रकार की चीजें पैदा हो रही हैं, लेकिन यह तो शासन जाने, शासन की ओर से जो घोषणा होगी, वह होगी लेकिन जो माध्यमिक परिषद् है, उसके बारे में सुझाव के रूप में एक बात अवश्य कहता। पुराने जमाने में जब परिक्षार्थियों की संख्या केवल हजारों में होती थी तो उसका केन्द्रीकरण होना ठीक था। लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 10 लाख के करीब हो गई है तो आवश्यक हो गया है कि इसका भी विकेन्द्रियकरण क्यों न किया जाय? जब कि हमारी यूनिवर्सिटियां, एक से बढ़कर 2, 2 से 3 और इस प्रकार से बढ़ रही हैं तो कारण समझ में नहीं आता है कि हमारी जो माध्यमिक परिषद है, उसको रीजनल बेसिस पर अलग-अलग हिस्सों में करने में सरकार को क्या आपत्ति है? क्या एक्जामिनेशन प्रणाली में बिल्कुल ही भ्रष्टाचार आ जायगा, यह बात समझ में नहीं आती है। यदि इन्टरमीडिएट बोर्ड को रीजनल बेसिस पर कर दिया जाय तो हमारी समस्या खत्म हो जायगी।

आज हमारी संस्कृत शिक्षा को भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। जो हमारी संस्कृत की पाठशालायें हैं, उनके अध्यापकों को वह वेतन नहीं मिल रहा है जो हमारे हायर सैकेन्ड्री स्कूल्स या इन्टरमीडिएट कालेजेज के अध्यापक को मिल रहा है। मेरा सुझाव है कि जो सस्कृत और ओरियन्टल शिक्षा है, उसको डिप्टी डायरेक्टर के रैंक के अधिकारी की देख-रेख में होनी चाहिये। अभी जो अधिकारी हैं उन्हें 8–8 जिलों का कार्य देखना होता है। एक तरफ तो बेकारी फैल रही है और एक तरफ आपको संस्कृत के शास्त्री कहीं नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनको आप केवल 120 रुपया वेतन देते हैं जबकि बी0 टी0 सी0 तक को 250 रुपया प्रति माह मिल रहा है। आज की हालत यह है कि यदि हजारों शास्त्री भी होंगे तो वे भी खप जायेंगे। आज संस्कृत के पढ़ने वालों को आप हतोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। जहां तक अनुशासन की बात है, मैंने देखा कि जिन शिक्षा संस्थाओं में स्काउटिंग होती है वहां अनुशासन की समस्या अपने आप हल हो जाती है। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि आगे के लिये कम से कम स्काउटिंग में काफी लम्बा चौड़ा बजट होना चाहिये और उन संस्थाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिलना चाहिये जो स्काउटिंग की ट्रेनिंग अपने यहां पर दें।

हमारे बी0 टी0 सी0 में इतने छात्र पैदा हो गये कि शासन के सामने यह समस्या पैदा हो गयी कि प्राइवेट बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग कालेजेज तोड़ दिये जायें। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि प्राइवेट कालेजेज जहां 40–50 छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वह तो तोड़ दिये जायं, लेकिन गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेजेज में डेढ़-डेढ़ सौ छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग कालेजेज में अधिक छात्र भरती न किये जायं और जो बी0 टी0 सी0 कर चुके हैं उनको रोजगार दिया जाय।

[श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया]

इसके अलावा हम देखते हैं कि बाज जगह पर 20 लड़के हैं और 5–5 अध्यापक हैं। में जो चीज राष्ट्रीयकरण में आती है, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं और जो बुराई हमारी बेसिक शिक्षा में फैली हुई है, वह यह है कि 5–7 अध्यापक एक ही जगह के रहने वाले हैं और बाज जगह दो-ढाई सौ छात्र हैं और 2 पढ़ाने वाले हैं और वह भी जाते नहीं हैं। आज जब उनको ढाई-तीन सौ रुपया मिलता है तो कोई कारण नहीं है कि उनका ट्रांसफर न किया जाय। यह नियम बनना चाहिये कि अपने निवास स्थान से 20 मील से कम फासले पर कोई अध्यापक नहीं रहेगा। प्राइमरी शिक्षा का जायजा लेना चाहिये और 1 : 25 का अनुपात होना चाहिये। जहां कम हैं वहां ज्यादा करना चाहिये और जहां ज्यादा हैं, वहां कम कर देना चाहिये।

नर्सरी शिक्षा के ऊपर विरोधी पक्ष और हमारी तरफ से भी कहा गया है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता है, 20–20, 25–25 रुपये फीस ली जाती है। मैं भी इससे सहमत हूं। गांव का गरीब बालक तो दो–दो आने दे कर पढ़े और जो अपने बच्चों को 20–20 और 25–25 रुपये दे कर पढ़ाते हैं, उनमें बड़ा भेद हो जाता है। सरकार की तरफ से इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये भले ही कोई प्राइवेट करे।

अन्त में मैं अपने शिक्षा मंत्री जी की ओर से जो बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस शिक्षा के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, शिक्षा किसी भी देश की प्रगति की एक आधार शिला है। शिक्षा के माध्यम से ही इंजीनियर बनते हैं और देश के कर्णधार बनते हैं। जो आज देश और प्रदेश में शिक्षा का बिगड़ता हुआ स्वरूप है उसके लिये केन्द्र और प्रान्त की सरकार पूर्णरूप से दोषी हैं। प्राइमरी शिक्षा का जो स्वरूप है, वहीं से इसका ढांचा बिगड़ा हुआ है। आज प्राइमरी कक्षाओं में एक पाठ है 'सोती सुन्दरी'। उसमें लिखा हुआ है कि वह सुन्दरी 100 वर्ष तक सोती थी। वह क्या खाती थी, उसकी दिनचर्या क्या थी ? छोटे बालकों को पलायनवादी बनाना इस सरकार का पहला रवैया रहा है। जब कभी भी कोई पाठ्यक्रम सरकार के सामने आता है तो उसमें यह होना चाहिये कि उस लड़के की बुद्धि के संतुलन को यह पाठ्यक्रम चला सकेगा या नहीं। इस देश का और प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि आज की शिक्षा से दो प्रकार के नागरिक पैदा हो रहे हैं––एक तो टाट-पट्टी वाले तथा दूसरे मान्टेसरी वाले। यदि आप देश का विकास चाहते हैं तो सभी के लिये शिक्षा का एक समान मापदंड होना चाहिये। दुख की बात है कि यह सरकार तानाशाही की ओर जा रही है और आई० ए० एस० तथा पी० सी० एस० के हितों की रक्षा में ही यह सरकार लगी हुई है। आज देहात में बच्चों की जो प्राइमरी पाठशालायें हैं उनमें न तो बच्चों के बैठने केलिये उचित व्यवस्था है, न अन्य कोई साधन हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिये आवश्यक होते हैं। एक लड़का खड़ा हो जाता है, वह क, ख, ग, कहता जाता है, दूसरे बच्चे उसी को रटते चले जाते हैं। इसकी जगह वहां पढ़ाई के आवश्यक साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये ताकि बच्चे रट्टू पीर न बन सकें। इसके लिये बजट में प्राविधान होना चाहिये।

जब हम माध्यमिक शिक्षा की ओर देखते हैं तो उसमें भी बहुत सी कमियां दिखलायी देती हैं। वहां पर भी कुछ ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं, जिन्हें बच्चे पढ़ व समझ नहीं पाते और उसमें वर्षों तक फैल होते हैं। इसके कारण छात्रों में अशान्ति का वातावरण बना रहता है।

अब मैं गोरखपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन्टर कालिज के लिये 16 कमरे होना आवश्यक हैं। लेकिन

डी0 आई0 ओ0 एस0 वाले जिन विद्यालयों में अपने ही आदमी रखा देते हैं, चपरासी से लेकर अध्यापकों तक की नियुक्ति में उनका हाथ रहता है, उन्हे मान्यता मिल जाती है। चौकीदार तक की नियुक्ति उनके द्वारा होती है। यह भी भ्रष्टाचार का एक नमूना है जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे विद्यालयों को जो मान्यता मिल रही है, उसमें आपके आफिसरों का बहुत बड़ा हिस्सा है।

(सदन में शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य कृपया आपस में बातचीत न करें। शान्ति रखें। माननीय मिश्रा जी, आप कृपया विशारद जी की बात तो सुनें वरना आप जवाब कैसे देंगे। माननीय सदस्य, कृपया बात न करें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

मान्यवर, गोरखपुर में जो उपशिक्षा संचालक हैं उनकी नैतिकता में भी संदेह होता है। मेरे गोरखपुर, में खोराबार ब्लाक में, जंगल सिकरी में एक डी0 ए0 वी0 इन्टर कालिज है वहां के प्रिन्सिपल की कोई लड़की किसी विद्यालय में अध्यापिका है। उसको पेश किया गया उप-डायरेक्टर महोदय के सामने और बिना शर्त को पूरा किये हुए उस विद्यालय को डी0 आई0 ओ0 एस0, गोरखपुर पर दबाव डालकर इन्टर की मान्यता देने को विवश किया है। यह गोरखपुर के लिये एक शर्म की बात बनी हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनकी नीयत पैसे में कम है लेकिन भ्रष्टाचार और बुराई में अधिक है, सुरा–सुन्दरी के लिये अधिक है।

इसके साथ मैं आपका ध्यान एक विशेष तथ्य की ओर ले जाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, ऐसा होता है कि विद्यालयों की जो प्रबन्ध समितियां होती हैं, उनके बनाने के लिये उसके लिये उनका जो मैनिफैस्टो या जो उनका नियम होता है, उसके अनुसार चुनाव की तारीख नियत होती है, लेकिन चोरी-चोरी उन समितियों का निर्माण हो जाता है। इसके लिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चहता हूं। जिस स्कूल की प्रबन्ध समिति का जब कभी भी चुनाव हो, इसके लिये जैसे पदों का सृजन होता है–उसके पहले ही कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उसका विज्ञापन जरूर निकल जाय ताकि सामान्य जनता तक यह बात पहुंच सके। हमारे जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद हैं जिनके भ्रष्टाचार की प्रशंसा केवल विरोधी दल के सदस्यों ने ही नहीं बल्कि शासक दल के सदस्यों ने भी की है और शासन तक उसे पहुंचाया है लेकिन इतना होते हुए भी उनको आज तक पुरस्कार मिल रहा है। (व्यंगोक्ति)। बीच में मुझे पता चला है कि उनका स्थानान्तरण हो गया था। लेकिन उसे रोक दिया गया। मैं कहता हूं कि मंत्री जी, आप जवान आदमी हैं, आपसे हम लोगों को अधिक उम्मीदें हैं लेकिन इस चमकते अपने दिल में, अपनी सफेद पोशाक में धब्बा लगाते हैं तो यह शोभा की बात आपके लिये नहीं होगी।

जैसा कि मैंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बात कही कि उनकी कोई सेवा नियमावली नहीं बनी हुई है उसका परिणाम है कि प्रधानाचार्य ने जब जिसको चाहा उसका निष्कासन कर दिया और जब जिसको चाहा प्रवेश दिला दिया। हर चौथे और आठवें दिन निष्कासन और प्रवेश दिलाने का काम चलता रहता है, जिससे उनका भविष्य खतरे में रहता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि छात्रों की संख्या जो दिखलायी जाती है वह सही नहीं दिखलायी जाती, गलत संख्या दिखलायी जाती है। इसकी आप जांच करा लिया करें तब तो अच्छा होगा अन्यथा जो आंकड़े देते हैं कि प्रदेश में पढ़ने वालों की संख्या इतने प्रतिशत तक पहुंच गयी, वह प्रतिशत गलत साबित होगा।

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

जहां तक पेंशन की बात है, वह उनको बहुत देर में मिलती है। एक आदमी पद से मुक्त हो जाता है लेकिन उसे पैसा नहीं दिया जाता है। और जो पैसा मिलता भी है वह इतना नहीं होता कि उसमें अकेले एक उस व्यक्ति का भी जीवन निर्वाह हो सके। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि वेद में पंडितों को विशेष सम्मान दिया गया है। मैं तो कहूंगा कि इससे ब्राह्मणवाद को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं है। माननीय मंत्री जी आप तो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, आपने मजबूरी में ही इसे स्वीकार किया है।

श्री अम्मार रिजवी--

पंडित से मतलब यहां ब्राह्मण से नहीं है। जो भी विद्वान् हो, ब्राह्मण हो या किसी भी जाति का हो, लेकिन वेदों का ज्ञाता हो।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं समझता हूं कि आपकी जवान दबी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य जल्द समाप्त करें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप विचार कर लें और किसी के दबाव में न आवें क्योंकि आप विद्वान् आदमी हैं, इसलिये हर तरीके से जानते हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह आग्रह करूंगा कि जो-जो बातें मैंने मंत्री जी को बतायी हैं, उनमें जहां तक उचित समझें उनको लागू करें। अन्त में मैं श्री ओम प्रकाश सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायण पांडेय (जिला गोन्डा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक शिक्षा विभाग का संबंध है, आजादी के बाद हर तरफ शिक्षा में काफी प्रगति हुई है। स्वतंत्रता के पूर्व जो हमारी उपलब्धियां रही हैं माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय स्तर पर तथा बेसिक शिक्षा के स्तर पर वह इस तरीके से हैं--स्वतंत्रता के पूर्व प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 19,117 तथा चौथी योजना के अन्त तक वह 63,414 हो गयी। स्वतंत्रता के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1945-46 में 365 बालकों की और 89 बालिकाओं की थी वह वर्ष 1973-74 में 3,230 बालकों की और 525 बालिकाओं की हो गयी। इस तरह से माध्यमिक शिक्षा में बहुत प्रगति हुई है। विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज एवं सेकेन्डरी स्कूल बहुत खुले हैं। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जहां इतना विस्तार स्कूलों और विश्वविद्यालयों का हुआ वहीं स्वतन्त्रता के बाद और विशेषकर 10 वर्षों के अन्दर इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसा वातावरण विश्वविद्यालयों और छात्रों का बनता जा रहा है जिससे देश के सामने शिक्षा की समस्या चुनौती के रूप में खड़ी हो गयी है। लार्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति चालू की थी, वही आज हिन्दुस्तान में पद्धति चली जा रही है। एक तरफ बच्चे इंगलिश स्कूलों में पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि बड़े और छोटे आदमियों के बीच में जो इस प्रकार की शिक्षा नीति है, उसको खत्म होना चाहिये। आजतक इन कालेजों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, इसलिये वह भी होना चाहिये।

(इस समय 3 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं देखता हूं कि शिक्षा आज व्यापार हो गयी है। कालेज व्यावसायिक संस्थायें बनकर केवल पैसा कमाने में लगी हैं। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा संस्थाओं

पर सरकार कड़ी निगरानी रखे जिससे शिक्षा व्यवसाय न बने। जिस मुल्क में शिक्षा जब व्यवसाय का रूप धारण कर लेती है तब वहां उन्नति नहीं हो सकती है। मैं लखनऊ का ही एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जगदीश गांधी जो मान्टेसरी स्कूल चलाते हैं वह गुप्ता जी के समय में, इसी उद्देश्य को लेकर चलाया। इसी तरह से सरस्वती मंदिर भी चलाये जा रहे हैं। इन पर सरकार की कड़ी निगरानी रहनी चाहिये। जो बच्चे आ रहे हैं, उनकी जिन्दगी में यह लोग जहर घोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी सरकारें आयीं और चली भी गयीं, मैं देखता हूं कि मंत्री लोग भी शिक्षा पद्धति में अव्यवस्था की बात करते हैं, बुराइयों की बात करते हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि शिक्षा पद्धति को बदलने से घबड़ाते क्यों हैं? यदि क्रांति लाना चाहते हैं तो घबड़ाने से काम नहीं चलेगा।

मैं ऐसा देखता हूं कि जब इस तरह के राष्ट्रीय या प्रदेशीय स्तर पर एक अहम मसला आता है तो हमारे नेता डर जाया करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी की जिन्दगी में तब्दीली आये तो शिक्षा को बदलना पड़ेगा। मैं विश्वविद्यालय में 8–9 साल रहा हूं और मैंने देखा है कि उस समय तक लखनऊ विश्वविद्यालय चन्द्रभानु गुप्त की जागीरदारी बना रहा। हालांकि श्री कमलापति त्रिपाठी ने वहां के कुछ हेड्स वगैरह का सफाया किया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पुराने नेताओं ने परिपाटी डाली है कि विश्वविद्यालय उनकी जागीर बना रहे, तो उसको समाप्त किया जाना चाहिये। जब हमारे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था, उस समय एक नये वी0 सी0 की नियुक्ति हुई थी और वह वी0 सी0 आज भी कायम है। मुझे कई विद्यार्थियों ने बतलाया वह शराब पीकर होस्टल में टहला करता है और उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जब सच्चाई यह है कि इस बात को प्रदेश का हर नेता जानता है। इसी विश्वविद्यालय में ऐसे भी वी0 सी0 हुये हैं जिनकी छात्र इज्जत करते थे और जिनके लिये छात्र अपने प्राणों को देने के लिये तैयार रहते थे लेकिन जिस प्रकार का दोष हमारे उपकुलपति और अध्यापकों में आया है, वह मेरे छात्र जीवन में नहीं था। शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं और मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके छोटे–छोटे बच्चों के दिमाग में तब्दीली आये तो आर0 एस0 एस0 और जनसंघ द्वारा चलाये गये इन्टीट्युशन्स को समाप्त करना पड़ेगा जिनके द्वारा बच्चों का दिमाग खराब किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश और देश के काम में हर बच्चा भागीदार बने तो इन नालायक और निकम्मे वी0 सी0 को निकालना पड़ेगा।

आज हमारे विरोधी भाई छात्रों को गुमराह करके क्रान्ति लाने की बात कर रहे हैं लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह एक प्रतिशत बच्चों को गलत राह पर ले जा सकते हैं लेकिन 99 प्रतिशत बच्चा इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि छात्रों की जो सही मांग है, उनको आपको मानना होगा। आज जो हर कालेजेज और विश्वविद्यालय में गुटबाजी ने जन्म लिया है, वह हमारे देश और प्रदेश की उन्नति में घातक है। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह चाहते हैं कि शिक्षा से दोषों को निकाला जा सके उसके लिये अपको शिक्षा पद्धति का राष्ट्रीयकरण करना होगा और व्यावसायिक शिक्षा को समाप्त करना होगा जिसके द्वारा लाखों रुपया का गबन हो रहा है। ऐसे इन्स्टीट्यूशन को गवर्नमेंट को एड देना बन्द करना चाहिये। विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है. उसके खिलाफ गवर्नमेंट को सख्ती से कदम उठाने चाहिये।

दूसरी बात मैं अनुशासन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। अनुशासन के अभाव में कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है और न ही सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति आ सकती है जब तक कि युवा पीढ़ी को हिस्सेदार न बनाये और कंधे से कंधा मिलाकर वह न चले। यह दुख और चिन्ता की बात है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस समस्या की ओर ध्यान दें।

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

आज प्राइमरी स्कूल की बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। मेरे यहां गोंडा में मेरे क्षेत्र में एक स्कूल की स्थापना 1904 में हुई। आज तक उसका भवन नहीं बना जब कि वह इतना पुराना स्कूल है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि प्राइमरी स्कूल में अध्यापक 12 बजे जाता है, 2, 3 बजे चला आता है और लड़कों को क्या पढ़ाता है, क्या नहीं पढ़ाता है यह समझ में नहीं आता है ? दूसरे जिला परिषदों में शिक्षा क्या दी जाती है मानों उनको राजनीति का अखाड़ा बना दिया जाता है। सिवा नेतागीरी के कुछ नहीं होता। जहां तक बुनियादी शिक्षा का प्रश्न है उस पर मुस्तैदी से सरकार को ध्यान देना चाहिये। अगर पौधा ठीक नहीं होगा तो पेड़ अच्छा नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब यह अनुदान कल जारी रहेगा और इसके पश्चात् माननीय शिक्षा मंत्री का वक्तव्य होगा ।

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों की मांगों के सम्बन्ध में वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

उत्तरप्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट जनवरी, 1975 में प्रस्तुत हो चुकी है। शासन ने इस रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। संविधान के अन्तर्गत यह भी आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकारों को सुरक्षित रखा जाये और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन अधिकारों के बनाये रखने की दिशा में समय-समय पर दिये गये फैसलों को भी ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन कृतसंकल्प है कि यह अधिकार अक्षुण्ण रहे। प्रबंधाधिकरणों एवं विभिन्न ट्रस्टों की संपत्ति के अधिग्रहण के प्रश्न भी विचाराधीन हैं। शासन द्वारा शिक्षा के उन्नयन की दृष्टि से इन सभी समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।

इस संदर्भ में शिक्षा के उन्नयन में शिक्षक वर्ग की आधारभूत रचनाकारी भूमिका के महत्व को अंगीकृत करते हुए शासन ने निर्णय ले लिया है कि उच्चस्तरीय समिति की कतिपय संस्तुतियों के संदर्भ में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रभावशाली अस्त्र बनाने की दिशा में संगठनात्मक मार्ग प्रशस्त करने और माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न में निहित नीति की उत्तरोत्तर पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। अतएव,

(1) वर्तमान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को और अधिक स्वायत्तता प्रदान कर उसमें शिक्षकों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये। एतदर्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद् में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक मंडल से एक प्रधानाचार्य तथा एक शिक्षक सम्मिलित मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो कर परिषद् के सदस्य होंगे। निर्वाचित होने वाले प्रधानाचार्य तथा शिक्षक की अर्हतायें क्या हों इसका भी अधिनियम में प्राविधान किया जाएगा। प्रस्तावित अधिग्रहण संबंधी संवैधानिक समस्याओं के निर्णीत हो जाने की दशा में माध्यमिक शिक्षा परिषद् को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिये अतिरिक्त उचित प्रशासनिक अधिकार दिये जा सकेंगे।

(2) अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के किसी भी प्रधानाचार्य अथवा शिक्षक का निलम्बन आदेश की तिथि के उपरान्त 60 दिन से अधिक प्रभावी न रहेगा यदि इस बीच जिला विद्यालय निरीक्षक या संबंधित अधिकारी की अनुमति न प्राप्त कर ली जाए।

(3) अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भविष्य में सुयोग्य व्यक्तियों की भरती सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा सेवा आयोग या स्वतंत्र चयन समितियों का गठन किया जायगा। इसकी रूपरेखा विधिक पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई जायगी।

(4) सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षकों को मिलनेवाली पेंशन सहित सेवा निवृत्ति उपलब्धियों में कितनी और किस प्रकार वृद्धि की जाए इसको तय करने के लिये वर्तमान स्थिति के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसके लिये शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जायगी जिसमें संयुक्त वित्त सचिव तथा माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह समिति एक मास के अन्दर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी और शासन द्वारा उसके बाद एक मास के अन्दर यथोचित आदेश प्रसारित कर दिए जाएंगे। जो भी निर्णय होगा 30-6-74 को सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षकों पर भी लागू होगा।

(5) वेतन पुनरीक्षण से सम्बन्धित अवशेष वेतन के भुगतान पर लगाई अस्थाई रोक समाप्त की जाएगी और उसे संबंधित शिक्षकों के प्रविडेन्ट फन्ड में जमा किया जायगा।

(6) मान्यता प्राप्त 200 असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों 1975-76 में, 250 विद्यालय 1976-77 में तथा 250 विद्यालय 1977-78 में, स्थापना के वर्ष से क्रमानुसार अनुदान सूची पर लाए जाएंगे।

(7) सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण से मुक्त, तथा ए0 टी0 सी0 अध्यापक भाषा अध्यापक तथा प्राच्य भाषा योग्यताधारी अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक शासनादेश 7-4-75 तक जारी कर दिये जायेंगे।

(8) वेतन निर्धारण के सभी अवशेष मामले 15-5-75 तक पूर्ण कराने का प्रभावी प्रयास किया जाएगा।

(9) अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यलयों में 33 प्रतिशत के बजाए 40 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे-शेष सीधी भरती द्वारा।

(10) माध्यमिक शिक्षकों को इन्वीजीलेशन फीस 1975 की परीक्षा से तीन रुपये के स्थान पर पांच रुपए दी जायेगी।

(11) सेवा कालीन प्रशिक्षण की सुविधा कार्यरत शिक्षकों के लिये जारी रहेगी।

(12) शासन के सम्मुख यह तथ्य बलपूर्वक रखा गया कि 1971-72 के बाद नियुक्त गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनक्रम इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-बी और उसके अधीन बनी नियमावली के अनुसार निर्धारित नहीं किए गए हैं। इस प्रश्नपर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार कर एक सप्ताह के अन्दर नियमानुकूल निर्णय घोषित कर देगा।

(13) 6-7-74 के बाद जिन सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण राजाज्ञा निर्गत की गई है उनको 1973-74 का अवशेष देय वेतन नकद भुगतान कर दिया जाएगा।

(14) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध बी0 टी0 सी0 यूनिट के प्रशिक्षक अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमान की राजाज्ञा तीन सप्ताह में जारी कर दी जाएगी।

(15) सहायता प्राप्त डिग्री कालेज से संबंद्ध इन्टर कक्षाओं के अध्यापकों का पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण 30-5-75 तक नियमानुसार कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये जहां कहीं नियमों या अधिनियमों में संशोधन आवश्यक होगा वह यथाशीघ्र किया जायगा।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर माध्यमिक शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तावित आन्दोलन की वापसी की सूचना दी है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

अभी दो सौ लोग पकड़े गए हैं.....

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अम्मार रिजवी--

जो फैसला हुआ है उससे पहले कल दो बजे रात तक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से बात चीत हुई थी। उसी के परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

यह जो कहा गया है कि उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है और वह संतुष्ट हैं। जो इस सम्बन्ध में अभी 200 अध्यापक बाहर गिरफ्तार हुए हैं मैं अभी नीचे से आ रहा हूं। जो सूचना मुझे मिली है वह यही है। मान्यवर, इस स्टेटमेंट को पढ़ने से यह मालूम होता है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि जो वर्तमान प्रबंध है वह उनको पसन्द नहीं है। इसको बदलना है लेकिन बदला नहीं गया जिससे अध्यापकों में असंतोष है। माननीय मंत्री जी दो बातों का जबाब दे दें, पहला यह कि क्या सरकार ने इन विद्यालयों की जो आर्थिक जिम्मेदारी है वह अपने ऊपर ले ली है ? और दूसरा वह यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको इसमें क्या कठिनाई है कि शिक्षाविदों की एक संस्था हो ? यानी पहले पैरे में उन्होंने राष्ट्रीयकरण की बात को माना है। इन्टरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड जो है वह एक इग्जामिनिंग बाडी है उसका शिक्षा देने से कोई संबंध नहीं है। इसमें दो तीन प्रतिनिधि करना कोई बात नहीं है।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)--

मान्यवर, जो दो प्रश्न रखे हैं एक तो यह कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनक वित्तीय भार सरकार ले रही है या नहीं तो वह अभी तक जो भार लिया है वही उससे एक पैसा आगे नहीं है। (व्यवधान) जो वेतन दे रहे हैं वही है। राष्ट्रीयकरण का जो प्रश्न है और जो आपने शिक्षा विदों की संस्था बनाने की बात कही है। तो वह इसमें शुरू में लिखा है राष्ट्रीयकरण की समिति की रिपोर्ट अभी सवा महीना पहले सरकार के पास आई है। अभी उसमें विधिवत् विचार नहीं हुआ है। जब वह सामने आयेगा वह प्रश्न भी आयेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव हमारी तरफ से था। यह मामला इतना आगे बढ़ चुका है और जो मंत्री जी का वक्तव्य आया है उससे बड़ी निराशा हुई है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, कंप्लीट टेकओवर हो, इस बात को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया था और उसके प्रारूप के लिये समिति गठित हुई थी उस समिति ने प्रतिवेदन दिया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसमें कितने सदस्य थे और उन सदस्यों में से कितनों में कम्पलीट टेकओवर की राय दी है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, उसमें लगभग 37 सदस्य थे और जो निर्णय लिया गया उसमें इस बात के ऊपर वहां पर किसी प्रकार का मत नहीं लिया गया। हमने कोशिश की कि मत न लिया जाय। कंपलीट टेकओवर के बारे में मैं यही कह सकता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

किसी ने इसके पक्ष विपक्ष में मत दिया ।

श्री रामजीलाल सहायक--

वह आप जानते हैं किस की क्या राय है ?

श्री मोहन लाल कपूर—

पैरा 4 के सम्बन्ध में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षकों को मिलने वाली पेंशन सहित सेवा निवृत्ति उपलब्धियों में कितनी और किस प्रकार बृद्धि की जाय, इस सम्बन्ध में अध्यापकों की मांग पेंशन की समानता की है.....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था.....

श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य का पहला सवाल था कि राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया ? तो मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिस समय ऐसी कमेटी का गठन किया गया और यह महत्वपूर्ण प्रश्न कमेटी के सामने आया उस समय न तो गुजरात के सम्बन्ध में और न केरल के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था, जिसके अन्दर यह कहा गया है कि किसी भी स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वह माइनारिटीज इंस्टीट्यूसंश या अन्य संस्थाओं को टेक–ओवर कर सके। यह बहुत बड़ी कठिनाई है जो कि हमारे रास्ते में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पदा कर दी है। दूसरी बात जो पेंशन में पैरिटी के सम्बन्ध में है, वह एक व्यापक प्रश्न है। इसको एक कमेटी के सुपुर्द किया गया है। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षकों के सामने ही नहीं है, उनके अलावा भी अन्य बहुत से लोग हैं, जो सरकार से तन्ख्वाह पाते हैं, उनके सामने है। पैरिटी कहां तक होनी चाहिये, एज आफ रिटायरमेंट क्या होनी चाहिये आदि कई बड़े व्यापाक सवाल हैं, जिसके ऊपर काफी बहस और सोचने की आवश्यकता है। यह चीज जल्दी में तय नहीं की जा सकती है। इसलिये एक कमेटी का गठन किया गया है।

श्री मोहनलाल कपूर—

पेंशन की वृद्धि के बजाय, समानता पर आप क्यों नहीं विचार करते ?

श्री अम्मार रिजवी—

यदि यह समानता शब्द रख दिया जाता तो कमेटी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने जो पढ़ा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। यह जो प्रश्न है यह शिक्षा की नीति से सम्बन्धित है। हमारी जो शिक्षा नीति है, उसके यह अनुरूप नहीं है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जैसा हमारे चुनाव घोषणा–पत्र की पहली लाइन में लिखा है "प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पद्धति में, शिक्षाशास्त्रियों की सलाह से, आमूल परिवर्तन का प्रभावी प्रयास किया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा को सरकार अपने हाथ में लेगी।"

तो यह स्पष्ट वाक्य है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति उत्तर प्रदेश सरकार की क्या है और कौन सी कठिनाई है कि इसको आप अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, जबकि आपके घोषणा–पत्र में यह कहा गया है और एक साल बीत चुका है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय श्री काशीनाथ मिश्र ने मेरी मुश्किल को कुछ आसान कर दिया है और उन्होंने मुझे कुछ और बल दिया है जो उनके प्रभावी रिप्रजेन्टेशन की बात है कि यह प्रभावी रिप्रजेन्टेशन उनका हो तो इसके अन्तर्गत शिक्षकों का प्रभावी रिप्रजेन्टेशन अधिक है ——

श्री काशीनाथ मिश्र—

माध्यमिक शिक्षा को सरकार को अपने हाथ में लेने में क्या कठिनाई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

दो ही चीजें किसी संस्था के लिये महत्वपूर्ण हो सकती हैं। एप्वाएन्टमेंट और सस्पेंशन के बारे में और तनख्वाह कैसे दी जाए। तो ये चीजें सरकार ने स्टेजेज में अपने हाथ में ली हैं। सरकार पूरी तरह से चाहती है, इसीलिए उसनेकमेटी बनाई है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने.....

श्री काशीनाथ मिश्र--

उसमें है कि माध्यमिक शिक्षा को पूर्णरूपेण सरकार अपने हाथ में रखेगी। जैसे जनसंघ द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाएं-सरस्वती शिशु मंदिर तथा अन्य तमाम नामधारी संस्थाएं जो ऐसे खाऊ-कमाऊ लोगों के व्यापार का अड्डा बनी हुई हैं, उनके इन कारनामों को समाप्त करने की दृष्टि से सरकार द्वारा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण या अन्य कोई ऐसा प्रभावी कदम, जिस तरह से वह चाहें, करें, इसमें क्या आपको कठिनाई है, जिसकी वजह से आप कदम नहीं उठा रहे हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, इससे पहले मैंने निवेदन किया यह बात सही है कि सिद्धान्त रूप में सरकार इस बात को मानती है कि माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण किया जाए। लेकिन मैंने अभी निवेदन किया कि जो इसके बारे में समिति बनी थी, उसका प्रतिवेदन अभी-अभी सरकार के पास गया है। उस पर विचार करने के लिये समय चाहिये। उसके कई पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं क्या मंत्री जी कोई टाईम लिमिट देंगे कि इतने समय के अन्दर इस विषय पर विचार पूरा कर लिया जाएगा ? नम्बर दो, आपने कहा कि अध्यापकों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अध्यापक दो दलों में विभक्त हैं, दोनों दलों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

दोनों दलों से अलग-अलग बातें की गयी। उनके मांग पत्र देखे गये और उन पर एक-एक पर परामर्श हुआ। जिनकी सहमति से यह वक्तव्य आया है, जो बातें तय हुई हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

कब तक विचार पूरा हो जायगा ?

श्री रामजी लाल सहायक--

समय लगेगा यही कह सकता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

यह विषय बड़ा गम्भीरहै। बच्चों के इम्तहान का समय नजदीक आ गया है। माननीय मंत्री ने यह खबर दी कि वह विवाद खत्म हो गया। उन्होंने अपना स्ट्राइक वापस ले लिया। अभी-अभी माननीय सदस्य, सदन से कह रहे हैं कि दो सौ आदमी अभी गिरफ्तार हुए हैं। सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। इसको साफ कर दें कि स्ट्राइक वापस ले लिया या नहीं ले लिया और यह गिरफ्तारी किस बात की हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो लीडर या जो भी नेता उस शिक्षक दल के जो भी हमारे पास आये थे, जिनसे बातचीत हुई, उनसे जो बातचीत हुई, उसके आधार पर, जो उन्होंने बताया वक्तव्य दिया गया। मैं नहीं समझता कि जो नेता हमारे पास आये थे, उनके कहने में इतने लोग नहीं हैं या जो बात वह तय करके गये, बाहर वह तय हुई या नहीं। दोनों दलों से बातचीत हुई, रात के दो बजे तक और आज भी हुई। उन्होंने बताया कि हम इस चीज में कुछ नहीं करेंगे और यह वापस ले लेंगे। जहां तक इम्तहान का सम्बन्ध है, लारी साहब को बताना चाहता हूं, लड़कों का नुकसान होने के लिये लारी साहब की चिन्ता ठीक है, हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, अगर सब-कुछ हो भी जाता, शासन इम्तहान कराता।

श्री मोहनलाल कपूर--

आपका कहना है कि उनसे बातचीत करके तय हुआ। मैं कहना चहता हूं कि जो राष्ट्रीयकृत समिति आपने बनायी। राष्ट्रीयकृत समिति में दोनों के प्रतिनिधि एक साथ बुला लिये थे। लेकिन मेरी सूचना यह है कि आपने पहले एक ग्रुप को, माध्यमिक शिक्षक संघ के एक ग्रुप को पहले बुला लिया, 11, साढ़े 11 बजे तक उनसे बातचीत की। उनसे सब बातें तय करने के बाद, शायद दूसरे ग्रुप को बुलाया। कौन सी कठिनाई थी कि दोनों को एक साथ बुला लेते। सबके सामने बात आ गयी होती। एक ग्रुप ने डेक्लेअर कर दिया दूसरे ग्रुप ने माना नहीं। आप को कौन कठिनाई थी, जैसे आपने उस समय दोनों को बुला लिया था दोनों को बुला कर बात कर लेते ?

श्री अध्यक्ष--

दोनों से बात करेंगे तो दो मर्तबा हो जायगा।

सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में अध्यापकों की पेंशन के सम्बन्ध में जो कहा गया है कि 30 जून, 1974 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले अध्यापकों को यह लागू होगी। शासन को क्या कठिनाई है कि 30 जून, 1974 से पूर्व जितने अध्यापक अवकाश प्राप्त कर चुके हैं उनको भी यह सुविधा दी जाय, उसके सम्बन्ध स्पष्ट घोषणा क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

कोई डेट लाइन तो फिक्स की जायगी। अगर दो साल कहा जाता तो कहा जाता कि दो साल पहले क्यों नहीं किया जाता। हमने रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से किया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। 30 जून, 1974 के पूर्व जो अध्यापक अवकाश प्राप्त कर चुके हैं उनको सुविधा देने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जवाब तो दे दिया कि कोई अन्तिम तिथि तो निश्चित की जायेगी।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)--

जो टीचर्स गवर्नमेंट कालेजेज में हैं उनका रिटायरमेंट होने वाला है, उनकी एज केवल 55 साल की है और जो गैर राजकीय विद्यालय हैं उनमें 58 साल है। यह जो डिसपैरिटी रिटायरमट की है क्या सरकार उसको वेव करेगी जब कि उनके वेतन समान हैं ? प्रश्न नम्बर 1 और.....

श्री अध्यक्ष--

एक-एक सवाल कीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

इन्हीं सब मामलों को सुलझाने के लिये ही और इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिये समिति का गठन किया गया है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे अन्य विभागों के कर्मचारी जिस मूल वेतन पर रिटायर होते हैं तो पेंशन उनको उस मूल वेतन का 1 बटा 4 या 1 बटा 3 मिलता है लेकिन माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाध्यापक जो 12 सौ रुपया पाता है रिटायरमेंट के समय उसको सिर्फ 75 रुपया मिलेगा और शिक्षक को केवल 65 रुपया। तो क्या शिक्षा मंत्री जी उन अध्यापकों को उसी प्रकार 1 बटा 4 या 1 बटा 3 पेंशन के रूप में मूल वेतन को दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय कौशिक जी ने जो सवाल उठाया है वह काफी गम्भीर है और इन्हीं गम्भीर मामलों की जांच के लिये सारे मसले कमेटी को सौंप रखे गये हैं और इन सब पर फैसला होगा ।

श्री अध्यक्ष--

अब समय नहीं है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब नियम 51 के अन्तर्गत जो मामले उठाये गये हैं उनको लेता हूं । जैसा सवेरे आजमगढ़ के बारे में था उसको लेकर और भी आये हैं । माननीय जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, माननीय हरिकेवल, माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा, माननीय जमुना प्रसाद बोस, माननीय चौधरी रामपाल सिंह यादव और माननीय तीरथ राम कोहली ने जो सवाल उठाये हैं यह सब साम्प्रदायिक तनावों से सम्बन्धित हैं और इसको मैंने स्वीकार किया है ।

माननीय शतरुद्ध प्रकाश ने भी इसी विषय से सम्बन्धित नियम 52 के अन्तर्गत दिया है । तो यह चर्चा सब एक साथ हो जावेगी ।

शेष सब प्रश्नों के योग्य है । माननीय दशरथ सिंह और माननीय आशाराम जी का है बजट में इन सबका जवाब दिया जा चुका है । माननीय अवधेश कुमार जी और माननीय श्रीनारायण जी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

अब माननीय खेलकूद मंत्री नहीं है । इसलिये अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
31 मार्च, 1975 ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1117 पर)

उन्नाव जिलेकी कार्यरत इकाइयों का विवरण

क्रम-सं0	इकाई का नाम/पता	स्वामी का नाम/पता
	मेसर्स—	
1	सेनी फाउण्ड्री एण्ड मेटल वर्क्स, सहजनी	श्री मुन्ना लाल जैन, मुरब्बा मंडार, कानपुर ।
2	ज्योति केमिकल, शुक्लागंज, उन्नाव	श्री शशि प्रभा दुबे, गंगाघाट
3	विजय ट्रेडर्स, शुक्लागंज ..	श्री शैल बाला निगम, 15/220, सिविल लाइन्स, कानपुर ।
4	शक्ति आइस कैण्डी ..	कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।
5	नेशनल सडेलरी, शुक्लागंज ..	श्री एस0 के0 मिश्रा, 40/224, नया चौक, कानपुर ।
6	राजू लैम्प, मगरवारा ..	श्रीमती देवकी शरन जायसवाल, मगरवारा, उन्नाव
7	विनोद कुमार ऐण्ड कं0, अचलगंज, उन्नाव	श्री मदन लाल शुक्ला, 62/169, हरवंश मोहाल, कानपुर।
8	कानपुर पेस्टीसाइड, सहजनी ..	डा0 सुरेन्द्र रोहतगी, 16/78, मिविल लाइन्स, कानपुर ।
9	राजा फूड प्रोडक्ट्स, ए0 बी0 नगर, उन्नाव	श्री मालती मिश्रा, छोटा चौराहा, उन्नाव ।
10	हिन्दुस्तान इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, अचलगंज रोड ।	कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।
11	श्रीवास्तवा कैण्डिल, बिजौरा ..	श्री श्रीवास्तव, बिजौरा, उन्नाव ।
12	हितैषी रहट उद्योग, औरास ..	श्री गुरु प्रसाद, ग्राम–औरास, पो0–औरास, उन्नाव ।
13	पंजाब इंजीनियरिंग वर्क्स, स्टेशन रोड, उन्नाव	श्री मनोहर सिंह, अब्बास बाग, उन्नाव ।
14	जायसवाल इंजीनियरिंग वर्क्स, कुन्दन रोड, उन्नाव ।	श्री एस0 के0 जायसवाल, 85/45, कूपरगंज, कानपुर ।
15	प्रकाश मिनिचर लैम्प्स	श्री प्रकाश चन्द्र, 193–गांधी नगर, उन्नाव ।
16	राजपूत सेफ वर्क्स, गंगाघाट ..	श्री देवी बक्स सिंह, गंगाघाट, उन्नाव ।
17	श्रीवास्तवा रेडियो, बांगरमऊ ..	श्री संतोष बाबू, नौनिहाल गंज, बांगरमऊ, उन्नाव ।
18	संजय सोप वर्क्स, सफीपुर ..	श्री सुन्दर लाल, बाबर अली खेरा, सफीपुर, उन्नाव ।

क्रम-सं0	इकाई का नाम/पता	स्वामी का नाम/पता
19	खाण्डसारी उद्योग ,स0 सं0 लि0, सफीपुर, उन्नाव ।	श्री बी0 एस0 नेगी, एम0 डी0
20	न्यू भारत टेनरी, उन्नाव	.. रिकार्ड नहीं है ।
21	सुप्रीम इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, शेखपुर	श्री सज्जात अहमद, शेखपुर, उन्नाव।
22	पीफीजर इंजी0 एण्ड कं0, मगरवारा, उन्नाव ।	श्री ए0 के0 शर्मा, 118/569, सुन्दर नगर, कानपुर ।
23	केमडाई इण्डिया, शुक्लागंज	.. श्री विशाल शर्मा, 118/569, सुन्दर नगर, कानपुर ।
24	हिन्द इण्डस्ट्रीज, शुक्लागंज	.. श्री जी0 डी0 समद, शुक्ला गंज, उन्नाव ।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 1132 पर।)

दिनांक 31–1–75 को निजी क्षेत्र की तथा स्टेट शुगर कारपोरेशन (उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम) द्वारा संचालित एवं रिसीवरों के अन्तर्गत चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य बकाया की स्थिति।

क्रम-सं0	चीनी मिल का नाम	सीजन 1974–75 से पूर्व का गन्ना मूल्य बकाया	सीजन 1974–75 का गन्ना मूल्य बकाया
1	2	3	4
			(लाख रु0 में)
	निजी क्षेत्र की चीनी मिलें		
1	इकबालपुर	6.42	36.67
2	देबबन्द	5.85	11.46
3	लक्सर	..	39.74
4	मन्सूरपुर	5.34	26.76
5	खतौली	0.22	27.77
6	शामली	..	73.01
7	दौराला	..	51.42
8	जसबन्त	10.76	17.75
9	बेगमाबाद	..	27.86
10	सिम्मौली	..	22.83
11	मवाना	1.52	36.54
12	काशीपुर	0.02	14.28
13	बिलारी	9.10	17.78
14	रामपुर	13.21	40.36
15	सिबहारा	..	43.01
16	धामपुर	0.06	38.23
17	नेवली	..	26.37
18	बहेड़ी	1.06	40.86
19	पीलीभीत	0.14	42.87
20	रोजा	0.01	40.89
21	हरदोई	..	11.83
22	हरगांव	..	22.05
23	महोली	5.01	27.08
24	बिसवां	3.65	13.95
25	गोला	..	27.93
26	ऐरा	..	24.79
27	पलिया कला	..	19.61
28	मोतीनगर	0.03	35.43

क्रम-सं0	चीनी मिल का नाम	सीजन 1974–75 से पूर्व का गन्ना मूल्य बकाया	सीजन 1974–75 का गन्ना मूल्य बकाया
1	3	3	4
		(लाख रु0 में)	
29	शाहगंज	0.39	26.99
30	बभनान	..	8.38
31	नवाबगंज	..	12.35
32	तुलसीपुर	..	22.44
33	बलरामपुर	..	24.14
34	खलीलाबाद	0.07	6.68
35	मुन्डेरवा	..	14.10
36	बस्ती	..	9.14
37	वाल्टरगंज	..	17.87
38	सरदारनगर	0.12	21.75
39	घुघली	..	19.01
40	सिसवाबाजार	2.03	19.90
41	आनन्दनगर	0.05	3.52
42	परतावपुर	..	4.69
43	बेतालपुर	..	16.77
44	गौरीबाजार	..	11.27
45	देवरिया	..	15.45
46	छितौनी	..	17.31
47	कैप्टेनगंज	..	11.30
48	लक्ष्मीगंज	..	16.47
49	रामकोला (पी0)	..	10.33
50	पडरौना	0.04	25.24
51	कठकुइयां	..	13.82
52	खेवरही	..	10.41
	स्टेट शुगर कारपोरेशन (उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम) द्वारा संचालित चीनी मिलें		
53	सहारनपुर	37.42	27.88
54	रोहाना	27.86	14.88
55	डोईवाला .. .	5.79	29.49
56	सखौती	0.15	18.33
57	मोहीयुद्दीनपुर	5.35	23.82
58	बाराबंकी	27.25	13.19
59	किच्छा	..	52.86
60	पिपराइच	11.24	14.04
61	खड्डा	9.82	17.55
62	भटनी	0.68	8.01

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1140 पर)

देवरिया जिले के सम्बन्ध में टीम की रिपोर्ट के उद्धरण

देवरिया जनपद—

देवरिया जिला चावल/धान के लिये अलग ब्लाक है और वहां गोरखपुर जिले से जाने पर रोक है। परता वल बाजार गोरापुर में देवरिया के बार्डर पर स्थित है। टीम ने परतावल से चल कर उसी रूट पर देवरिया जिले के विभिन्न बाजारों का निरीक्षण किया और गांव वालों से बातचीत किया ।

रामकोला—

बाजार में खाद्यान्न उपलब्ध था परन्तु फडियों और दुकानदारों द्वारा ही बेचा जा रहा था। गेहूं 2.15 रु0 किलो, चावल (खुद्दी) 2.20 रु0 से लेकर 2.80 रु0 तक प्रति किलो और अरहर दाल 4.00 रु0 किलो बिक रहा था। वहां लोगों ने बताया कि पहले परतावल से बड़ी मात्रा में अनाज रामकोला आता था पर अब ज्यादा चेकिंग होने के कारण आना बन्द हो गया है साइकिलों पर थोड़ा-थोड़ा कुछ लोग लाकर बाजार में दे आते हैं। यदि वह न आये तो लोगों को खाना न मिले।

पडरौना—

बाजार में खाद्यान्न उपलब्ध था परन्तु फड़ियों और छोटे दुकानदारों द्वारा बेचा जा रहा था, गल्ला बाजार में वहीं गेहूं 2.25 से 2.40 रु0 तक प्रति किलो, चावल 2.30, 2.40 रु0 प्रति किलो था आटा बाजरा 2 रु0 तथा मक्का 2 रु0 से 2.25 प्रति किलो था। पडरौना में भी रामकोला ही जैसी स्थिति थी। लोगों ने बताया परतावल से लाने पर रोक होने के कारण बहुत तबाही है। यह भी बताया कि आस-पास के काश्तकार जो बाजार में बेचने के लिये लाते हैं, उन्हें भी पुलिस रोकती और परेशान करती है। यदि कस्बे के लोग देहात से अपने खाने के लिये थोड़ा बहुत लाते हैं तो पुलिस उन्हें परेशान करती है और उनसे पैसा लेती है।

ग्राम सेमरा—

(थाना पडरौना) में मक्खू तथा शमशेर खा ने बताया कि पहले परतावल से गल्ला आता था पर अब बन्द हो गया है। कठकुइयां बाजार से गेहूं आटा लाकर खाते हैं। गेहूं 2.25 रु0 तथा आटा 2 1/2 रु0 प्रति किलो के भाव से।

ग्राम बमहरा—

तिलकपट्टी (थाना बिशनुपुरा) के लोगों ने बताया कि दुधंही बाजार से 2 1/2 रु0 प्रति किलो आटा और 2 1/2 रु0 किलो चावल भुजिया लाकर खाते हैं। उन लोगों ने यह भी बताया कि बाजार मे अनाज लाने वालों को पुलिस परेशान करती है।

सेवरही बाजार—

(तुमकुही रोड) में लोगों से बिना identity बताये ही बात करने पर और वैसे देख पर मालूम हुआ कि गल्ले की आमद की कमी है। लोगों को, विशेष रूप से उस बाजार पर निर्भर लोगों को (जो कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है) काफी परेशानी हो रही है। गेहूं 2.10 से 2.30 रु0 प्रति किलो, आटा 2.50 रु0 प्रति किलो और चावल 2.44 रु0 प्रति किलो बिक रहा था। कुछ एक फड़ियों के यहां जौ 1.75 तथा जौ का आटा 2.00 रु0 प्रति किलो था और मक्का 2.00 रु0 प्रति किलो। लोगों ने बताया कि कानूनी रोक के कारण इस बाजार में गल्ला नहीं आ पा रहा है और जो थोड़ा बहुत इधर उधर से आता है उसे भी पुलिस रोकती है और लाने वालों को परेशान करती है। कुछ लोगों ने बताया कि चम्पारन से मक्क और धान आ रहा है। धान कुटवा कर ले आते है या वहीं बेच जाते हैं।

व्यापारियों से पूछने पर कि वे क्यों नहीं एन0 ओ0सी0 पर गल्ला लाते हैं तो उन्होंन बताया कि प्रथम तो एन0 ओ0 सी0 की वर्तमान प्रणाली से जिसमें डाक से जाने का प्राविधान है और दस्ती नहीं चलता है, उन्हें कठिनाई होती है और काफी समय लग जाता है। दूसरे 100 क्वि0 का एक बार में मिलता है जो अव्यवहारिक है। तीसरे अब यह आदेश होगया है कि देवरिया जिले के बाहर से लाने के लिये एन0 ओ0 सी0 नहीं मिलेगा। इनके अतिरिक्त पश्चिम के चावल का भाव ज्यादा होने के कारण परता न पड़ने की बात कही गयी है।

बाद में identity मालूम होने पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी और सबने ही गल्लेकी आमद पर रोक होने से पैदा होने वाली कठिनाई का जिक्र किया। एक स्थानीय कार्यकर्ता श्री इन्द्रासन सिंह द्वारा एक हस्तलिखित नोट भी दिया गया जो गल्ला पर से कन्ट्रोल हटाने की मांग तथा केवल बिहार बाडर पर चेकिंग की मांग के लिये प्रदर्शन आदि के बारे में था, वह नोट संलग्न है। इसमें पुलिस के द्वारा गल्ले छिन जाने तथा परेशानी की बात कही गयी है।

नोट:—यह देखा गया कि परतावल बाजार जैसे-जैसे हम लोग पूरब बढ़ रहे थे, खाद्यान्न के भाव ऊपर बढ़ते जा रहे थे। सेवरही बाजार और परतावल के भावों में 20 से 30 रु० प्रति क्वि० अन्तर था।

फाजिलनगर—बाजार जो देवरिया के एक काफी भाग को फीड करने वाली बाजार है, वहां गल्ले की उपलब्धि थी परन्तु भाव काफी ऊंचे थे। गेहूं का आटा 2.50 रु० प्रति किलो और चावल 2.45 रु० तथा 2.50 रु० प्रति किलो था। मक्का रु० 2 प्रति किलो और दाल अरहर 4.25 रु० प्रति किलो।

कसिया—बाजार में जो काफी बड़ा कस्बा भी है खाद्यान्न दुकानों पर सीमित मात्रा में उपलब्ध था। गेहूं का आटा 2.10 से 2.30 रु0 प्रति किलो और चावल 2.30 से लेकर 2.60 रु0 प्रतिकिलो के भाव से था। सलेमपुर बाजार रात में देर होने के कारण न जा सके परन्तु वहां के भाव इस प्रकार मालूम हुये गेहूं 2.24 प्रति किलो, चावल 2.58 से 3.02 रु0 प्रति किलो और मक्का 1.92 रु0 प्रति किलो।

देवरिया—देवरिया शहर में भी खाद्यान्न सीमित मात्रा में उपलब्ध । और भाव भी बहुत ऊंचे थे—गेहू 2.4० रु0 प्रति किलो तथा चावल 2.60 रु0 से 3.50 रु0 प्रति किलो की दर से था। देवरिया में गल्ला व्यापारी संघ के महामंत्री से भेंट हुई उन्होंने बताया कि खाद्यान की स्थिति उधर बहुत गम्भीर है। एन0 ओ0 सी0 में कठिनाई तो थी ही। जिलाधिकारी के इस आदेश से कि देवरिया जिले से बाहर से चावल लाने के लिये एन0 ओ0 सी0 नही दिया जायेंगा और परेशानी बढ़ गयी है। शासन के हाल के आदेश से कि देवरिया हेडक्वार्टर्स में भी चावल बिना एन0ओ0सी0 के नहीं लाया जा सकता, बाजार भाव चढ़ गये हैं। उन्होंने बार्डर बेल्ट में दुकानदारों द्वारा गल्ला केवल कार्ड पर ही बेचे जाने की प्रणाली को भी त्रुटिपूर्ण बताया और कहा कि इससे केवल परेशानी बढ़ती है। यदि तस्करी रोकना ही इस आदेश का ध्येय था तो मार्केटिग विभाग द्वारा निर्धारित स्टाक रजिस्टर एवं सटटी बही उसके लिये काफी है। उनका कहना था कि देवरिया हेडक्वार्टस के लिये एन0ओ0सी0 के आदेश को तत्काल हटा देना चाहिये, अन्यथा स्थिति और भी बिगड़ जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस समय मोटा अनाज बिहार से आ रहा है।

जिलाधिकारी देवरिया नें बताया कि उन्होंने दिनांक 29–12–74 को एक आदेश सभी ज्येष्ठ हाट निरीक्षकों तथा हाट निरीक्षकों को इस आशय का भेजा था कि चावल के लिये देवरिया जिले से बाहर के लिये एन0 ओ0सी0 की संस्तुति न करे। इसके फलस्वरूप चावल के भाव रु0 30 प्रति क्वि0 ऊपर चढ़ गये। अतः उन्होंने इस आदेश को अब वापस ले लिया। उन्होंने यह भी बताया कि इधर हाल में एन0ओ0सी0 की दरख्वास्तें कम आई जिसका एक कारण यह था कि उसके साथ अल्प बचत योजना जोड़ दी गयी थी।

यह भी मालूम हुआ कि एन0ओ0सी0 केवल एक महीने के लिये वैध होता है और इतने समय में मूवमेन्ट (movement) परमिट जारी होना तथा माल का आना सम्भव नहीं हो

पाता जिलाधिकारी, देवरिया ने जिले के बाढ तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये मोटा अनाज के मांग की पूर्ति किये जाने की बात कही।

टीप—जिलाधिकारी देवरिया ने 3 लाख रु0 की मांग टेस्ट वर्क के लिये की जिसके लिये उनसे पूर्ण औचित्य मांगा गया था। उनके अधिकारी मुख्यालय आये तथा 2 लाख रुपया उन्हें आवंटित किया गया।

पुलिस अधीक्षक ने सूचना दी कि श्री जय प्रकाश नारायण का देवरिया में 30-31 जनवरी, 1975 को प्रोग्राम है उसके लिये 155 व्यक्तियों की एक साथ संघर्ष समिति बनी है जिनका कहना है कि शासन बिना agitation काम नहीं करती। बिहार में जब agitation हुआ तो भारत सरकार ने वहां गल्ला भेजा जिससे दाम सस्ते हुये। देवरिया में जो महंगाई चल रही है, उसको कम करने का यही तरीका है कि agitation किया जाय जिससे कि सरकार वहां भी गल्ला बाहर से भेजे और दाम नीचे आवें।

पुलिस के विरुद्ध लोगों द्वारा किये गये शिकायत कि पुलिस लोगों को परेशान कर रही है और अपने खाने के लिये छोटी मात्रा में गल्ला ले जाने वालो से भी परेशान करके पैसा वसूल करती है से पुलिस अधीक्षक देवरिया को अवगत कराया गया और उनसे कहा गया कि स्थिति को देखते हुये यह बेहतर होगा कि पुलिस देवरिया से बाहर बिहार को होने वाली तस्करी को रोकने का कार्य करे और irregular trade को रोकने का काम मार्केटिंग स्टाफ पर ही छोड़ दें क्यों कि कन्ट्रोल आदेशों का कान्सटेबल के स्तर तक पूरी जानकारी न होने से उनके द्वारा गलत कार्यवाही हो जाती है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1140 पर)

[विवरण-पत्र—१

26 अगस्त, 1974 के बाद 19 नवम्बर, 1974 तक व्यय में की गई मितव्ययता का विवरण।

1—आयोजनेतर अपव्ययक प्राविधान में लगभग 12.00 करोड़ रु० तथा अपेक्षाकृत कम महत्व के आयोजनागत प्राविधान में लगभग 13.00 करोड़ रु० की बचत करने का निर्णय लिया गया जिससे विद्युत सिंचाई आदि की महत्वपूर्ण योजना के लिये अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि की आंशिक पूर्ति की जा सके।

2—ऐसी योजनाओं को छोड़कर जिसके लिये भारत सरकार या किसी अन्तराष्ट्रीय संस्था द्वारा शत प्रतिशत सहायता प्राप्त है और आय व्ययक में उसके लिये समुचित धनराशि उपलब्ध है, अन्य मामलों में नियंत्रक अधिकारी द्वारा मोटर गाड़ी के रख-रखाव तथा पेट्रोल को खरीद के लिये धन का पुनर्वितरण या पुनर्विनियोग न किया जाय।

3—बिजली के उपभोग में मितव्ययता की जाय।

4—कागज के प्रयोग में मितव्ययता की जाय।

5—प्रत्येक आवासीय टेलीफोन पर प्रति तीन माह में 1500 स्थानीय काल की सीमा घटाकर 1000 कर दी गई।

6—समस्त विभागीय सरकारी टेलीफोन की संख्या में 20 प्रतिशत की कटौती की गई।

विवरण पत्र--12

26 अगस्त, 1974 के बाद 19 नवम्बर, 1974 तक दरों म की गई वृद्धि का विवरण ।

दर का नाम	1974-75 में अनुमानित अतिरिक्त आय।
	(करोड़ रु० में)
1--मोटर वाहनों पर कर-रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि की गई परन्तु कम्पनियों के स्वामित्वाधीन गाड़ियों पर यह कर उसी श्रेणी की गाड़ियों पर लगे सामान्य कर की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक किया गया ।	1.25
2--खंडसारी इकाइयों पर क्रय कर की दर पचास पैसे प्रति कुन्तल से बढ़ाकर एक रु0 प्रति कुन्तल की गई तथा उनकी अनुज्ञप्ति शुल्क बढ़ाई गई ।	2.00
3--भू-राजस्व में 29 अक्टूबर , 1974 के अध्यादेश द्वारा निम्न वृद्धि की गई--	
(क) सवा छः एकड़ तक की जोतों की लगान माफी समाप्त की गई ।	7.00
(ख) (1) सवा छः एकड़ से साढ़े बारह एकड़ तक की जोत पर विकास कर ड्योढ़ा किया गया ।	
(2) साढ़े बारह एकड़ से ऊपर की जोत पर विकास कर डेढ़ से बढ़ाकर ढाई गुना किया गया ।	5.00
4--बिक्री-कर की दरों में वृद्धि--	
(क) बहु सूत्रीय कर की दर साढ़े तीन प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत की गई ।	
(ख) 2 लाख से ऊपर के वार्षिक टर्न ओवर पर अधिभार आधा प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत किया गया ।	1.40
(ग) औषधियों पर कर की दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गई ।	
(घ) व्यापारियों द्वारा बिक्री-कर या क्रय कर के रूप में वसूल की गई धनराशि का टर्न ओवर में सम्मिलित किया गया ।	
योग ..	16.65

नोट:--इनके अतिरिक्त विद्युत टेरिफ की दरों मे वृद्धि की गई जिससे राज्य विद्युत परिषद् को 1974-75 में 5.40 करोड़ रु० की अतिरिक्त आय होने की प्रत्याशा है ।

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1141 पर)

स्वर्ण नियंत्रण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिये लम्बी अवधि के, सस्ती ब्याज दर और आसान शर्तों पर उद्योग तथा व्यवसायों के लिये पुनर्वासन ऋण, स्वर्णकार छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां, केन्द्र तथा राज्य सरकार के वर्ग 3 व 4 की नौकरियों में रोजगार सहायता तथा उम्र में छूट, प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में 5 से 10 प्रतिशत तक सुरक्षित सीटें, कन्ट्रोल की दूकानों संबंधी सहायता, उदयोग हेतु कच्चा माल, पावर आदि संबंधी सहायता, स्कूटर रिक्सा परमिट संबंधी सहायता, निराश्रित असहाय और रोगी आदि व्यक्तियों को अनुदान सहायता, ऋणी स्वर्णकारों द्वारा पुनः स्वर्णकारी कार्य अपनाये जाने के सम्बन्ध में लाइसेन्स संबंधी सुविधा तथा स्वर्णकारों की विभिन्न कठिनाइयों और समस्याओं के निराकरण आदि की कार्यवाही प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार की जा रही है।

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1141 पर।)

वर्ष 1974–75 में गन्ना मूल्य से हुई कटौती का विवरण मिलवार एवं समिति वार, जनपद–गोण्डा

नाम चीनी मिल	नाम समिति	नाम संस्था जिसके लिये कटौती की जा रही है	दर कटौती	किस पद हेतु कटौती की जा रही है।	प्रबन्ध कमेटी का प्रस्ताव संख्या दिनांक	वार्षिक साधारण सभा का प्रस्ताव सं0/दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
तुलसीपुर	तुलसीपुर ..	शिक्षा संस्था ..	0.03 पैसा प्रति कुन्टल।	शिक्षा संस्था	..	8/24–6–74
		एम0 एल0 के0 डिग्री कालेज, बलरामपुर।	02 पैसा प्रति कुन्टल।	एम0 एल0 के0 डिग्री कालेज	..	,,
बलरामपुर	बलरामपुर ..	,,	05 पैसा प्रति कुन्टल।	,,	..	7 (स)/8–4–73
		नेत्र चिकित्सालय	20 पैसा प्रति कुन्टल।	नेत्र चिकित्सालय	..	6 (3)/7–6–74
	गोण्डा ..	राजाराम सिंह, उ0मा0 विद्यालय–मंगवल।	20 पैसा प्रति कुन्टल।	विद्यालय सहायतार्थ	..	6/31–10–74
		जनता स्कूल, कौड़िया।	0.25 पैसा प्रति गाड़ी।	स्कूल भवन निर्माण	..	11(1)/31–10–74।
		सड़क निर्माण, कौड़िया।	10 पैसा प्रति कुन्टल	सड़क निर्माण कौड़िया।	..	11(2)/31–10–74

1	2	3	4	5	6	7
नवाबगंज	गोण्डा	.. मनवर नदी पुल निर्माण	02 पैसा प्रति गाड़ी ।	पुल निर्माण	..	6/31–10–74
	मनकापुर	.. आर0पी0 विद्यालय मनकापुर ।	25 पैसा प्रति गाड़ी ।	भवन निर्माण एवं शिक्षा प्रचार ।	8/2–12–74 ।	10/10–12–74
		ए0पी0 इन्टर कालेज मनकापुर ।	19 पैसा प्रति गाड़ी ।	,,	,,	,,
		अस्पताल	0.4 पैसा प्रति गाड़ी ।	स्थानीय अस्पताल हेतु ।	,,	,,
		सड़क ..	12 पैसा प्रति गाड़ी ।	सड़क/मरम्मत	,,	,,
	नबाबगंज	गन्ना बैंक ..	10 पैसा प्रति गाड़ी ।	हिस्सा हेतु	14(15)/ 24–11–74	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 1143 पर।)

सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु सन् 1974 में प्रतिमास मुरादाबाद नगर को दिया गया गेहूं, चावल तथा चीनी का कोटा तथा सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा कोटा प्राप्त कर वितरण प्रारम्भ करने की तिथि (समस्त मात्रा मीटरिक टनों में है)

क्रम-संख्या	माह का नाम 1974	मुरादाबाद नगर को दिया गया गेहूं का नियमित कोटा	मुरादाबाद नगर को दिया गया गेहूं का तदर्थ कोटा	योग	सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा कोटा प्राप्त करने तथा वितरण प्रारम्भ करने की तिथि	
					गेहूं का नियमित कोटा	गेहूं का तदर्थ कोटा
1	2	3	4	5	6	7
1	जनवरी	810	..	810	5-1-74	..
2	फरवरी	540	270	810	2-2-74	18-2-74
3	मार्च	778	..	778	1-3-74	..
4	अप्रैल	778	..	778	5-4-74	..
5	मई	..	..	..	..	..
6	जून	..	..	..	..	..
7	जुलाई	515	..	515	3-7-74	..
8	अगस्त	540	..	540	1-8-74	..
9	सितम्बर	600	..	600	2-9-74	..
10	अक्तूबर ..	600	..	600	1-10-74	..
11	नवम्बर ..	600	..	600	4-11-74	..
12	दिसम्बर	600	..	600	2-12-74	..
	योग ..	6361	270	6631	..	..

क्रम-संख्या	माह का नाम 1974	मुरादाबाद नगर को दिया गया चावल का नियमित कोटा	सस्ते गल्ले के दुकानदारों को चावल का कोटा दिये जाने तथा वितरण प्रारम्भ करने की तिथि	मुरादाबाद नगर को दिया गया चीनी का कोटा	सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा भारतीय खाद्य निगम से चीनी का कोटा उठाने तथा वितरण शुरू करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	जनवरी	540	2–1–74	357.4	12–1–74
2	फरवरी	810	5–2–74	374.4	2–2–74
3	मार्च	540	1–3–74	481.3	2–3–74
4	अप्रैल	540	9–4–74	360.3	2–4–74
5	मई	540	2–5–74/16–5–74	389.9	3–5–74
6	जून	540	1–6–74/17–6–74	492.8	2–6–74
7	जुलाई	768	3–7–74/18–7–74	278.5	2–7–74
8	अगस्त	460	1–8–74/17–8–74	458.3	3–8–74
9	सितम्बर	460	1–9–74	190.6	2–9–74
10	अक्तूबर	460	1–10–74	267.5	2–10–74
11	नवम्बर	460	20–11–74	227.5	2–11–74
12	दिसम्बर	460	2–12–74/16–12–74	264.2	2–12–74
	योग ..	6578 ..		4142.7	..

दिनांक 24 मार्च, 1975 को मुरादाबाद नगर में 2,99,107 यूनिटें थीं तथा यह यूनिटें 60,308 राशन कार्डों की हैं।

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ . 1145 पर ।)

मिर्जापुर नगर चुनार नगर अहरौरा नोटिफाइड एरिया की जनता पुलिस, पी0 ए0 सी0 तथा जेल को जनवरी, 1974 से दिसम्बर, 1974 तक प्रति यूनिट प्रति माह दिये गये राशन की मात्रा का विवरण

स्थान का नाम	किस्म खाद्यान्न	(वितरित किया गया मात्रा किलो में) जनवरी, 74	फरवरी, 74	मार्च, 74	अप्रैल, 74	मई, 74	जून, 74	जुलाई, 74	अगस्त, 74	सितम्बर; 74	अक्टूबर, 74	नवम्बर, 74	दिसम्बर, 74
		किलोग्रा 0	किलोग्रा 0	किलोग्रा 0	किलोग्रा 0	किलोग्रा 0	किलोग्रा 0	किलोग्रा 0	किलोग्रा 0	किलोग्रा 0	किलोग्रा 0	किलोग्रा 0	किलोग्रा 0
मिर्जापुर नगर पालिका	गेहूं/आटा	2	2	2 1/2	2	2	3	1	1	1–300	1	1 1/2	1 1/2
	चावल	1	2	1 1/2	1	1	1	2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
	मोटा अनाज	1	2	1 1/2	1	..	..	..	..	..	..	1	..
चुनार नगर पालिका	गेहूं/आटा	2	2	2 1/2	2	1 1/2	2 1/2	1	1	1	1	1	1
	चावल	1	2	1 1/2	1	1	1	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1
	मोटा अनाज	1	2	1 1/2	1	..	..	..	..	..	..	..	..
अहरौरा नोटी–फाइड एरिया	गेहूं/आटा	2	2	2 1/2	2	1 1/2	2 1/2	..	..	..	..	..	..
	चावल	1	2	..	1	1	1	1 1/2	2	2	2	1 1/2	1 1/2
	मोटा अनाज	1	2	1 1/2	1	..	..	..	..	..	..	1	..
पी0 ए0 सी0	गेहूं	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	चावल	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
पुलिस सिविल	गेहूं	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11
	चावल	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

जेल को उनकी मांग के अनुसार साधन दिये जाते हैं जिसका मूल्य पुस्तक समायोजन द्वारा समायोजित किया गया है।

तालिका संख्या 2

विभिन्न जिलों को राशन में दिये जाने वाले खाद्यान्नों के वितरण की प्रचलित दरें

	गेहूं/आटा	चावल
	प्रति यूनिट प्रति माह	प्रति यूनिट प्रति माह
	किलो	किलो
1—कबाल नगर	4	2
2—पहाड़ी जिले	3	3
3—औद्योगिक एवं श्रमिक केन्द्र ..	3	3
4—अभाव ग्रस्त एवं कुछ सरप्लस जिला मुख्यालय।	3	2
5—अन्य जिला मुख्यालय व अन्य छोटे नगर	2	2

पी० एस० यू० पी०—एल० 113 वि० सभा (523)—1976—840।